Wednesday 06, March, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
28-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12—बुधवार, 6 मार्च, 1974/15 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 12—*Wednesday, March* 6, 1974/*Phalguna* 15, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	**Members Sworn**	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTION

***ता० प्र० संख्या**
*S. Q. Nos.

201	केरल में लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Small Scale Industry in Kerala	1–3
202	औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में उदारता के परिणाम	Result of Liberalisation of Industrial Licensing . .	3–5
203	राज्यों की वार्षिक योजनाओं में बिजली, सिंचाई तथा कृषि के लिये प्रावधान	Provision in Annual Plans of States for Power, Irrigation and Agriculture . . .	5–8
204	छिपे नागाओं की गतिविधियां	Activities of Underground Nagas	9–10
206	तेल के स्थान पर देश में विद्यमान ऊर्जा के मूल साधनों के प्रयोग की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिये अध्ययन दल	Groups to Study Possibilities of Substituting Oil by Indigenous Sources of Energy .	11–12
207	लिखाई तथा छपाई के कागज की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Writing and Printing Paper . .	12–15
208	भारत में मैक्स-फैक्टर द्वारा उत्पादन	Production by Max-Factor in India	15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

205	ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड के साथ इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का अनुसंधान समझौता	Research Agreement by Indian Oxygen with British Oxygen Limited	15–16
209	सीमेंट कारखानों में कोयले की खपत	Consumption of Coal in Cement Plants	16
210	जमाखोरों, काला बाजार करने वालों तथा खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Hoarders, Black Marketeers and food Adulterators . . .	16–18

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—4 LSS/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
211	सरकारी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने की आयु बढ़ाना	Raising of Retirement Age of Government Employees	18
212	क्रास-बार टेलीफोन केन्द्रों में परिवर्तन	Changes in crossbar Exchanges	18
213	परमाणु शक्ति परियोजनाओं की सुरक्षा	Safety of Nuclear Power Projects	18–19
214	स्वतंत्रता सेनानियों की अंडमान की यात्रा	Visit of Freedom Fighters to Andaman . . .	19
215	आक्सीजन सिलेंडरों के आयात के लिये लाइसेंस	Licence for Import of Oxygen Cylinders	19–20
216	डाक तथा तार विभाग में रनर्स और ई० डी० एम० सी० को महंगाई भत्ते की अदायगी	Payment of DA to Runners and EDMC in P & T Department	20
217	गुजरात में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्व	Forces that Fomented Trouble in Gujarat . . .	20
218	"रोजगार के पांच लाख अवसर" (हाफ-ए-मिलियन जाब्स) योजना के अन्तर्गत पैदा किए गए रोजगार	Jobs created under 'Half a Million Jobs' Scheme . .	21–23
219	टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल के आवेदकों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to applicants of West Bengal for production of T.V. Sets . . .	23
220	महानगरों में विद्युतचालित ट्राली-बसें चलाना	Introduction of Electric Trolley Buses in Metropolitan Cities	23
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2004	हथियारों का लाइसेंस देने संबंधी प्रतिबंधों में ढील देना	Relaxing restrictions on arms licensing	24
2005	सूरत में समाज सदन (सिविक हाल) से प्रधान मंत्री की प्रतिमा को हटाना	Removal of the portrait of Prime Minister from the Civic Hall in Surat	24
2006	गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में डाक-घर	Post Offices in Gaya, Nawadah and Jehanabad Districts	24
2007	परमाणु बिजली-घरों में पैदा की जा रही प्रति किलोवाट बिजली की लागत में वृद्धि	Increase in cost of Kilowatt of energy produced in Atomic Power Plants . . .	25
2008	परमाणु बिजली घरों में विद्युत उत्पादन	Production of atomic power in atomic power projects . .	25–26
2009	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन वर्ष 1973 में लोगों पर मुकदमें	Prosecution of persons under untouchability (Offences) Act during 1973 . . .	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2010	टेलीफोन केंद्रों की स्थापना	Setting up of Telephone Exchanges	27
2011	वर्ष 1973 के दौरान दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi during 1973	27
2012	दिल्ली से एक भारतीय व्यापारी श्री टी० पी० सोंधी का गायब हो जाना	Disappearance of an Indian businessman Shri T. P. Sondhi from Delhi . .	28
2013	केरल में नारियल-जटा उद्योग का विकास	Development of Coir Industry in Kerala	28
2014	हिमाचल-प्रदेश में पाकिस्तानी पारपत्रधारी पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak nationals holding Pak passports in Himachal Pradesh	29
2015	प्रधान मंत्री द्वारा किये गये दौरों पर व्यय	Expenditure incurred on tours performed by Prime Minister	29
2016	तमिलनाडु में लम्बी अवधि के वीसा पर रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रीक	Pak Nationals staying on long term visas in Tamilnadu .	29
2017	मध्य-प्रदेश में वन-आधारित उद्योग	Forest-oriented Industries in Madhya Pradesh . .	29–30
2018	मध्य प्रदेश के नगरों और अन्य राज्यों के प्रमुख नगरों के बीच स्वचालित टेलीफोन सेवा	Automatic Telephone Links between cities of Madhya Pradesh and Principal cities of other States	30
2019	मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की विस्तार योजनाएं	A. I. R. Expansion Schemes in Madhya Pradesh. . .	30–31
2020	डा० बी० आर० अम्बेदकर, डा० राम मनोहर लोहिया और डा० राजेंद्र प्रसाद की विरासत का सम्मान करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps to honour the heritage of Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Ram Manohar Lohia and Dr. Rajendra Prasad . . .	31
2021	राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्य करने हेतु स्वयं सेवी संगठनों को तदर्थ अनुदान	Ad Hoc grants to voluntary Organisations for doing National Integration Work .	31
2022	मंत्रालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी	Scheduled Caste/Scheduled Tribes Employees in Ministries	31
2023	ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास	Evolution of Alternative Sources of Energy . .	32
2024	समुद्र से वनस्पति तेल का निकाला जाना	Exploration of Vanaspati Oil from Sea	32
2025	राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना	Setting up of National Energy Board	32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2026	राष्ट्रीय आय	National Income . .	33
2027	विद्युत संकट दूर करने के लिये किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट	Report of Survey conducted to Overcome Power Crisis .	33-34
2028	भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा किया गया अनुसंधान और विकास कार्य	Research and Development Works carried out by the Branches of Foreign Companies in India . . .	34
2029	विदेशी कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य हेतु कर लाभों का उपयोग	Tax benefits availed of by Foreign Companies for Research and Development Works	34-35
2030	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सचिव के पद पर किसी डाक्टर का नियुक्त किया जाना	Appointment of a Medical Man as a Secretary of Ministry of Health and Family Planning	36
2031	भारत-बुल्गारिया व्यापार वार्ता	Indo-Bulgaria Trade Talks .	36
2032	यूनियन बैंक आफ इंडिया के डकैती कांड में पकड़े गये व्यक्ति	Arrest of persons in connection with a case of dacoity in the Union Bank of India . .	36-37
2033	ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी द्वारा क्षमता का कथित विस्तार	Alleged expansion of capacity by the Britannia Biscuits Company	37
2034	राज्यों के संतुलित औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की कुछ मुख्य मंत्रियों की मांग	Demand by some Chief Ministers for Balanced Industrial and Economic Development of States	37-38
2035	भूतपूर्व नरेशों को संक्रमणकालीन भत्ते (ट्रांजीशनल भत्ते) का भुगतान	Payment of Transitional Allowances to former Rulers .	38
2036	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 'इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया, के वार्षिक अंक पर प्रतिबंध	Ban on Annual number of 'Illustrated weekly of India' by Jammu and Kashmir Government . . .	38
2038	पूर्वी सीमा पर स्थिति	Situation in Eastern Frontier	39
2039	चीन द्वारा नागा गतिविधियों में रुचि लेना	China taking interest in Naga Affairs	39
2040	कोयले से तेल निकालने के लिये केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा जियालागोड़ा में लगाया गया परीक्षण संयंत्र	Testing plant set up at Jealgora by the Central Fuel Research Institute to extract Oil from Coal	39
2041	प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में जनशक्ति अध्ययन	Man Power Studies in Major Economic Sectors . .	39-40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2042	रोज़गार के पांच लाख अवसर पैदा करने के कार्यक्रम पर राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट	Progress Reports of Half-a-million job Scheme by States	40–41
2043	गुजरात को टायरों की सप्लाई	Supply of Tyres to Gujarat .	41
2044	भारत-पाक युद्ध के समय नेपाल चले गये बिहारी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Indian Citizenship to Bihari Muslims who fled to Nepal during Indo-Pak War . .	41
2045	नीमच, मध्य प्रदेश स्थित केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस मुख्यालयों में बटालियनों के जवानों के लिये आवास दुनिया	Housing Facilities for Jawans attached to various Battalions at CRP Headquarters, Neemuch, M. P. . .	42
2046	मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नमक की मानक किस्म	Standard of Salt fit for Human Consumption . . .	42
2048	लघु उद्योगों में इंजीनियरों को रोजगार देना	Provision of Jobs to Engineers in Small Scale Industries .	42–43
2049	सरकार आयोग द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of report by Sarkar Commission . . .	43
2050	इलैक्ट्रानिक्स सामान के लिये पृथक आयात/निर्यात निगम	Separate import/export corporation for Electronic goods .	43–44
2051	दिल्ली के विकास के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Development of Delhi . .	44
2052	विदेशों से सहयोग संबंधी योजनाएं	Collaboration schemes with Foreign Countries . .	45
2053	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा के अंतर को कम करने के लिये कार्यवाही	Steps to reduce Foreign Exchange gap in Fifth Plan	45–46
2054	आर्थिक संकट का हल निकालने हेतु उद्योगपतियों द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Industrialists to solve Economic Crisis .	46
2055	बम्बई में 'दलित पंथरों' की शिकायतों की छानबीन	Investigation into grievances of the Dalit Panthers in Bombay	46
2056	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर व्यय	Expenditure on Post-Matric Scholarships to S.C. and S.T. Students	47
2057	पश्चिम बंगाल में मधुमक्खि पालन पर कीटनाशी दवाइयां छिड़कने का प्रभाव	Effect of Insecticide spray on Bee-keeping in West Bengal .	47
2058	मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Adivasi and Backward Areas in M.P. .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2060	कोयले से तेल निकालने के लिये परीक्षण करने हेतु धनबाद स्थित केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान को अमरीका द्वारा धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव	Funds offered by USA to Central Fuel Research Institute, Dhanbad for carrying out test for Extraction of oil from coal	48
2061	बन्दों की समस्या को हल करने के लिये एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव	Proposal for calling an All Party Convention to deal with Bandhs	48
2062	केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grants of pension to Freedom Fighters from Kerala . .	48-49
2063	लाइसेंसों के लिये विचारार्थ पड़े केरल के आवेदन-पत्र	Pending Applications from Kerala for licences . .	49
2064	केरल सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Kerala Circle	50
2065	आटोमैटिक टेलीफोन की सुविधा वाले केरल के नगर	Cities in Kerala where Automatic Telephone Facilities are available	50-51
2066	राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में कागज मिल की स्थापना	Paper Mill in Andhra Pradesh by State Industrial Development Corporation . .	51
2067	बैटरी से चलने वाली कारें	Battery Powered Cars . .	51
2068	ऊटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को हुआ घाटा	Loss incurred by Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd., Ocotacamund .	52
2069	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड में उत्पादन	Production in Indian Oxygen Limited	52-53
2070	पूर्वी भारत में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in Eastern India	54
2071	दामोदर घाटी में पेपर कम्प्लैक्स की स्थापना	Setting up of Paper Complex in Damodar Valley . . .	54
2072	वार्षिक योजनाओं के लिये अधिक धन जुटाने हेतु राज्यों को अनुदेश	Instructions to States to raise more Funds for Annual Plans	54
2074	औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया के साथ मानकीकरण कार्यक्रम और औद्योगिक उत्पादन के बीच समन्वय करना	Integration of Standards Programmes with process of Industrial production . .	54-55
2077	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिये कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत लघु योजना	Mini Plan submitted by Karnataka Government for ameliorating the condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	55-56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2078	बिहार में रामेश्वरनगर स्थित कागज के कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of Paper Plant at Rameshwarnagar, Bihar	56
2079	पटना टाऊन की जनसंख्या	Population of Patna Town .	56
2080	फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस जारी करना	Issue of licences to Philips India I imited	57–58
2081	वृद्ध तथा अपंग स्वाधीनता सेनानियों के लिये 'होम'	'Home' for aged and physically handicapped freedom fighters	58–59
2082	"गरीबी हटाओ" नामक फिल्म का का सेंसर किया जाना	Censoring of motion picture "Garibi Hatao" . . .	59
2083	स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी	Sanction of pension to freedom fighters	59
2084	शाहदरा, दिल्ली से लापता एक लड़की का पता लगाया जाना	Tracing of a girl missing from Shahdara, Delhi . . .	59–60
2085	पांचवीं योजना में लघु उद्योगों का विस्तार	Expansion of Small Industry in Fifth Plan	60
2086	कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र	Television Centre in Calcutta .	60–61
2088	डाक-तार विभाग में मितव्ययता	Economy in P & T Department .	61–62
2089	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद	Maharashtra-Karnatak Boundary Dispute . . .	62
2090	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद के संबंध में हुए उपद्रवों के फलस्वरूप पुलिस कार्यवाही	Police Action on account of Stir over Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute .	62–63
2091	सीमेंट की कमी	Shortage of Cement . .	63
2092	कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन का मूल्य वृद्धि पर प्रभाव	Effect of Production in Agriculture and Industry on Price rise.	63–64
2093	कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दिये जाने के आदेश को अवैध घोषित करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय	Judgement of Gujarat High Court declaring Illegal the order that persons violating Curfew are liable to be shot	64–65
2095	उद्योगों में इंधन की खपत में कमी	Reduction in Fuel Consumption in Industry . . .	65–66
2096	चौथी योजनावधि के दौरान संचार सुविधाएं	Communication Facilities during Fourth Plan period . .	66
2097	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती संबंधी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिये समिति	Committee to evaluate system of recruitment through Examinations by UPSC .	66–67

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2098	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिये औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य	Industrial Production Targets during First Year of Fifth Plan	67–68
2099	केन्द्रीय सहायता से लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of small Scale Industries with Central Assistance	68
2100	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करना	Shifting of office of Hindustan Paper Corporation of India from New Delhi to Calcutta .	68
2101	देश में आपातकालीन स्थिति समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to revoke Emergency in the country . . .	68–69
2102	'आल इंडिया न्यूजपेपर एम्प्लाइज फेडरेशन' द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई की पद्धति की जांच करने की मांग	Demand form All India Newspaper Employees' Federation for probe into the system of Newsprint Supply . .	69
2103	संयुक्त क्षेत्र के एकक	Joint Sector Unit .	69
2104	कागज का आयात	Import of paper	70
2105	वर्ष 1973 में विभिन्न भाषाओं में बनाई गई फिल्में	Film produced in various languages during 1973 .	70–71
2106	पत्रों की छटनी और वितरण	Sorting and distribution of letters	71
2107	गुजरात में निर्यातोन्मुख उद्योग	Export-oriented Industries in Gujarat	72
2108	विदेशी फर्मों की ओर से अपने विस्तार/उत्पादों के विशाखन के लिये आवेदन-पत्र	Application for expansion/Diversification of Products from Foreign Concerns . .	72
2109	काश्मीर घाटी में गुप्त रेडियो केन्द्र	Clandestine Radio Station in Kashmir Valley . . .	73
2110	समाचारपत्रीय कागज निगम	Newsprint Corporation	73
2111	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 'पब्लिक सर्वेंटों' पर मुकदमा चलाया जाना	Public Servants prosecuted by CBI	73
2112	टेलीफोन के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting list of Telephone	74
2113	पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास	Economic Development of Backward Regions .	75
2114	मैसूर के भूतपूर्व नरेश की संपत्ति	Property of Former Ruler of Mysore	75
2115	पांचवीं योजना में काम करने वाली स्त्रियों के लिये नौकरियां	Jobs for Working Women in Fifth Plan . . .	75–76

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2116	उत्पादों के लिये केन्द्रीकृत आंकड़े रखना	Maintenance of Centralised Data for Products . . .	77
2118	राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to promote National Integration . . .	77–79
2119	गुजरात के भूतपूर्व वित्त और योजना मंत्री द्वारा पांचवीं योजना को पुनरीक्षित करने का सुझाव	Suggestion by Ex-Finance and Planning Minister of Gujarat for Revising the Fifth Plan .	79
2120	बड़े औद्योगिक एककों की विकास दर	Growth Rate of Industrial Giants	80
2121	चन्डीगढ़ का भविष्य और फाजिलका और अबोहर का हरियाणा को अंतरण	Future of Chandigarh and Transfer of Fazilka and Abohar to Haryana	80
2122	उड़ीसा में राजनीतिक दलों के नेताओं को आकाशवाणी भुबनेश्वर से अपने भाषण प्रसारित करने के लिये समय आबंटित करने के बार में प्रस्ताव	Proposal regarding allotment of time to leaders of Political Parties in Orissa to Broadcast Their Speeches from AIR Bhubaneswar . . .	80–81
2123	नये डाक/तार डिवीजनों के निर्माण या विद्यमान डाक/तार डिवीजनों के विभाजन में कर्मचारियों का आबंटन	Allotment of Employees on creation of New or Bifurcation of existing Postal/Telegarph Divisions	81
2124	आणविक बिजली के उत्पादन में थोरियम की उपयोगिता	Usefulness of Thorium in Nuclear Power Generation .	81–82
2127	भारत और नेपाल योजना आयोगों के बीच वार्ता	Talks between Planning Commissions of India and Nepal	82
2128	फीलिस्तानी छात्रों द्वारा अरब लीग मिशन के दिल्ली स्थित कार्यालय पर अधिकार किया जाना	Occupation of Delhi office of Arab League Mission by Palestinian Students . .	82
2129	समाचारपत्रों को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन देने के संबंध में नियमों और विनियमों का संशोधन	Revision of rules and regulations in regard to giving of Central Government Advertisement to News Papers .	82–83
2130	सिंगर सीविंग मशीन कंपनी, यू० एस० ए० की अनुचित व्यापारिक गतिविधियां	Unfair trade practices of Singer Sewing Machine Co. USA .	83–84
2131	कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन	Production in Colgate Palmolive (India) Pvt. Ltd . .	84
2132	जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोगों के प्रतिवेदनों का सभापटल पर रखा जाना	Laying of reports of Commissions set up under the Commission of Inquiry act on the table of Lok Sabha . .	84

अता०प्र०संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2133	गैर-सरकारी उद्योग के लिये इंफ्रा-स्ट्रक्चर (आधारभूत ढाचा) सुविधाएं	Infra-structure facilities to private industry . . .	85
2134	सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें	Concessions to political sufferers in appointments in Government Service . . .	85–86
2135	केन्द्रीय औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व	Representation of M.P. in Central Industrial Licensing Committee	86
2136	शांतिपूर्ण कार्य के लिये परमाणु	Atoms for peace programme	86–87
2137	साम्प्रदायिक दंगों में कमी	Decline in communal clashes .	87
2138	लिफाफों तथा पोस्टकार्ड की डाक दरें	Postal rates for envelopes and post cards	87
2139	उद्योगों को दी गई लाइसेंस संबंधी छूट को वापिस लेना	Withdrawal of exemption from licences in respect of Industries	87–88
2140	ऊर्जा संकट को दूर करने के लिये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना	Harnessing solar energy to meet energy crisis . . .	88
2141	अंतर्राज्यीय सीमा विवाद	Inter-State Boundary disputes .	88–89
2142	पंजाब और हरियाणा के लिये सीमा आयोग की नियुक्ति करना	Appointment of Boundary Commission for Punjab and Haryana	89
2143	अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया जाना	Enforcement of curfew in Ahmedabad . . .	89
2144	कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाषायी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार	Atrocities on Linguistic minorities in Karnataka and Maharashtra . . .	89
2145	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात-चीत	Talks with Maharashtra-Karnataka Chief Ministers on Boundary Dispute . .	90
2146	पूर्वी भारत में डाक सेवाएं	Postal Services in Eastern India	90
2147	पश्चिम बंगाल सरकार तथा योजना आयोग में मतभेद	Differences between West Bengal and Planning Commission	90
2149	दिल्ली में बेरोजगार व्यक्तियों के लिये नौकरियां	Jobs for Unamployed in Delhi	91
2150	भारत और श्रीलंका के बीच सूक्ष्म तरंग परियोजना	Microwave project between India and Shri Lanka . .	91–92
2151	विभिन्न आन्दोलनों में डाक तथा तार विभाग की हानि	Loss to P & T Department in various agitations. . .	92

अता०प्र०संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2152	चौथी योजना अवधि के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Newsprint during Fourth Plan period .	92
2153	विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत-जर्मन करार	Indo-German agreement for Co-operation in the Field of Science and Technology .	92–93
2154	भट्ट समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of Bhatt Committee .	93
2156	गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चिमन भाई पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of Corruption against Shri Chimanbhai Patel Ex-Chief Minister of Gujarat .	93–94
2157	कोयले तथा तेल की कमी के कारण दिल्ली में औद्योगिक एककों का बंद होना	Closure of Industrial Units in Delhi for want of coal and oil	94
2158	बम्बई उच्च न्यायालय में टेलीफोन काटने की कथित धमकी	Alleged threat to cut Bombay High Court Telephones .	94–95
2159	बर्लिन में हुआ वृत्त-चित्र समारोह	Documentary Film Festival held in Berlin . . .	95
2160	चौथी योजना में सीमेंट का उत्पादन	Cement production in Fourth Plan	95
2161	उड़ीसा में "हाफ ए मिलियन जाब्स" कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था	Employment provided under half-a-Million Jobs' Programme in Orissa . .	95–96
2162	उड़ीसा के विभिन्न खंडों में आदिम-जाति व्यक्तियों में व्याप्त ऋणग्रस्तता	Indebtedness amongst Tribals in various Blocks in Orissa	96
2163	राजकोट में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रार्थना पत्र	Applications for Telephone connections in Rajkot .	96–97
2164	पश्चिम क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना	Atomic power Plant in Western Region . . .	97
2165	सब राज्यों में सीमेंट का समान मूल्य	Uniform price of Cement in All States . . .	97
2166	अंग्रेजी भाषा में भारतीय फिल्मों का निर्माण	Production of Indian Films in English	98
2167	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, में नियुक्ति की प्रणाली	Method of appointment in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	98
2168	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Report of Ashoka Mehta Committee on KVIC . . .	98

अता०प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2169	1973-74 में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाये गये मुकदमे	Prosecution launched by CBI against Public Servants in 1973-74	99
2170	कर्नाटक में लघु उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw material in Small Industries in Karnatak	99–100
2171	वर्ष 1974 में टेलीविजन सेटों का उत्पादन	Production of T V. sets during 1974	100
2172	पांचवीं योजना के दौरान टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना	T.V. stations to be established during Fifth Plan . .	100
2173	त्रिपुरा के आदिम जाति व्यक्तियों की शिकायतें	Grievances of Tribals of Tripura .	100–101
2174	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	101–102
2175	केरल के कुदुंबी और वलन समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना	Inclusion of Kudumbi and Velan Community from Kerala in the list of Scheduled Castes . . .	102
2176	भारत-अमरीका संयुक्त उपक्रम .	Indo-US Joint Ventures . .	102
2177	पांचवीं योजना में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये उपभोक्ता सहकारी समितियां	Coonsumers Coperatives for creating job opportunities for educated un-employed in Fifth Plan . . .	103
2178	विदेशी सहयोग से हलके पेय पदार्थ (साफ्ट-ड्रिंक्स) उद्योग	Soft Drinks Beverages Industry with foreign collaboration .	103–104
2179	हल्के पेय पदार्थ (साफ्ट ड्रिंक्स) बोतल भरना उद्योग	Soft Drink Beverage Bottling Industry	104
2180	कश्मीर में बेरोजगारी दूर करने के लिये राज्य में केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध	Request for setting up of Central projects in Kashmir to remove unemployment in the State	104
2181	डिसूजा घटना के कारण अधिकारियों में अनिश्चितता और अशान्ति की भावना का पैदा होना	Creation of uncertainty and restlessness amongst officials due to D'Souza episode .	104–105
2182	छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर अखबारी कागज की कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति	Committee to study effect of news-print shortage on small and medium newspapers	105

आता०प्र०संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2183	आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम	Yuva Vani Programme of AIR	105
2184	रायल नेपाल एयरलाइंस के फोरबेसगंज विमान अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	Persons arrested in the Forbesganj Hijacking case of Royal Nepal Airlines .	105–106
2185	बिहार के स्वतंता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar . .	106
2186	पांचवीं योजना में उड़ीसा में शिक्षित व्यक्तियों की बरोजगारी दूर करना	Eradication of unemployment among educated unemployed in Orissa in Fifth Plan .	106
2187	कटक में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी बिल	Medical bills of P. & T. employees in Cuttack . .	107
2188	फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना में प्रवश के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Caste/Tribe Candidates for Admission in Film and Television Institute, Poona .	107
2189	स्वाधनीता संग्राम संबंधी सभी पुराने लोक गीत रिकार्ड करना	Recording of old Folk Songs concerning Freedom Struggle	108
2190	वर्तमान विदेशी व्यापार विनियमन के कारण इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में कदाचार	Malpractices in the Field of Electronics due to existing Foreign Trade Regulations	108
2191	अखबारी कागज की कमी के कारण सामयिक, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का बंद होना	Closure of periodicals, dailies, weeklies and monthly due to Newsprint Shortage .	108–109
2192	ईंधन तेल के अभाव के कारण महाराष्ट्र में कागज मिलो का बंद होना	Closure of Paper Mills in Maharashtra due to Lack of Fuel oil	109–110
2193	भारतीय फिल्मों के लिए विदेशी मंडियों की खोज के लिए सलाहकार चयन पेनल की सिफारिश	Recommendation of Consulative Selection Panel for exploring foreign markets for Indian films	110
2194	राष्ट्रीय मंजूरी परिषद्	National Wage Council . .	110
2195	मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा पिछड़े क्षत्रों में डाक और तार घर	P & T Offices in Adivasi and Backward Areas of M.P. .	111
2196	साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध	Ban on Communal Organisations	112
2197	आंध्र प्रदेश की मुस्लिम लड़कियों को वेश्यावृत्ति के नारकीय जीवन से छुड़ाना	Rescue of Muslim girls of Andhra Pradesh from henious life of Prostitution . .	112
2198	केन्द्रीय मंत्रियों के उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के दौरे	Tours of Union Ministers to U.P. and Orissa	113

अता॰प्र॰संख्या॰ U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2199	पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली में केन्द्र खोलना	Opening of centres in Delhi to receive complaints against Police Official . . .	113
2200	फर्मों को सी॰ ओ॰ बी॰ लाइसेंस देना	Issue of Cob licences to Firms .	113
2201	फर्मों द्वारा सी॰ ओ॰ बी॰ लाइसेंस प्राप्त न करने पर दंड देने संबंधी उपबंध	Penal provisions for not obtaining Cob licences by Firms .	114
2202	निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबंद व्यक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement regarding detention of persons under Preventive Detantion Act	114
2203	स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिए आवेदन प्राप्ति की समय-सीमा	Time limit for receipt of application for pension to Freedom Fighters . . .	115
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
	उत्तर रेलवे के सिराथू स्टेशन पर गोली चलाये जाने का समाचार—	Reported Firing at Sirathu on Northern Raiway—	
	श्री राम प्रकाश	Shri Ram Prakash . .	115
	श्री एल॰ एन॰ मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	115–116 117
	स्थापन प्रस्ताव—अनुमति नहीं दी गई— गुजरात में स्थिति	Motion for Adjournment—Consent withheld Situation in Gujarat .	118–120
	सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	120–122
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	122
	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक—	North Eastern Areas (Reorganisation) Amendnent Bill—	
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha .	122
	नागपुर में श्री राम हेडाउ संसद सदस्य पर कथित हमला—	Statement Re. Alleged Assault on Shri Ram Hedaoo, M.P. at Nagpur—	
	श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	122–123
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter Under Rule 377—	
	दियगो गार्सीया में अमरिकी अड्डे के बारे में अमरिकी राजदूत द्वारा की गई कथित टिप्पणिय	Reported Observations by US Ambassador about U.S. Base at Diego Garcia . . .	124–125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
रेल बजट, 1974-75---सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1974-75—General Discussion—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	125–127
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	127
श्रीमती रोज़ा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	128–129
श्री गेंदासिंह	Shri Genda Singh . .	129
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda . .	129–130
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	131–133
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	133
श्री अम्बेश	Shri Ambesh . . .	133–134
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . . .	137
श्री रामरतन शर्मा	Shri R. R. Sharma .	138
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	138–139
श्री आर० पी० यादव	Shri R. P. Yadav . .	139
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
38 वां प्रतिवदन	Thirty Eighth Report .	134
मोटे अनाज के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Removal of Restrictions on Movement of Coarse Grains—	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed . .	134–135
खाल तथा चमडे पर निर्यात शुल्क के बारें में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत—	Statutory Resolution Re. Export Duty on Hides and Skins—Adopted—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	135–136
श्री माधुर्य्य हाल्दर	Shri Madhuryya Halder .	135–136
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma . .	136
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	136
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyana Sundaram	136
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an Hour Discussion—	
समाचार पत्रों के स्वामित्व का विस्तार—	Diffusion on ownership of New papurs—	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	139–140
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujaral .	141–143

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 6 मार्च, 1974/15 फाल्गुन, 1895(शक)
Wednesday, March 6, 1974/Phalguna 15, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री भगतराम राजाराम मनहर (जंजगीर)

श्री निरल एनम शेरो (खुंटी)

अध्यक्ष महोदय : श्री शेरो के पुन: इस सभा में आने का स्वागत है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी

***201. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की बहुत कमी है ;

(ख) क्या कच्चा माल न मिलने से अनेक उद्योग बन्द हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केरल सहित सारे देश में कच्चे माल की सामान्य कमी चल रही है।

(ख) इस मंत्रालय को केरल में कच्चे माल की कमी के कारण एककों के बन्द होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

2—4 LSS/74

(ग) उपलब्धता की स्थिति में सरकार द्वारा लघु एककों को अतिरिक्त कच्चे माल के आवंटन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि केरल में कच्चे माल की कमी के कारण कारखानों के बन्द होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि काजू उद्योग में 185 फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं और लगभग दो लाख श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : 'लघु उद्योग' का कुछ विशिष्ट अर्थ है और जहां तक मुझे स्मरण है काजू उद्योग उसके अंतर्गत नहीं आता। तो भी हमने केरल सरकार को यह जानने के लिये सन्देश भेजा है कि क्या लघु उद्योगों के अलावा भी कुछ फैक्ट्रियां कच्चे माल के अभाव के कारण बंद पड़ी हैं। दुर्भाग्यवश अभी हमें उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : मैं समझती हूं कि काजू उद्योग एक लघु उद्योग है। तो भी मेरा एक अनुपूरक प्रश्न है। क्या यह सच नहीं है कि केरल के बहुत से छोटे उद्योग बाहर से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर निर्भर करते है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने राज्य में से ही कच्चा माल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनायी है और यदि हां, तो इससे केरल को आत्म-निर्भर बनाने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जैसा कि विवरण में बता दिया गया है, वहां कच्चे माल की आय कमी है। हम न केवल केरल को अपितु सभी राज्यों को यथासम्भव कच्चा माल सप्लाई करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री के० मालन्ना : बिजली, कोयला, कच्चा माल तथा वित्तीय सहायता न मिलने के कारण कुछ लघु उद्योगों के बंद हो जाने अथवा कुछ सीमा तक उनके उत्पादन के कम हो जाने के बारे में क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई है तथा कितने कर्मचारी, कारीगर तथा गैर-कारीगर बेकार हो गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं। इसकी परिधि को व्यापक बना रहें हैं। प्रश्न कच्चे माल के बारे में है।

श्री के० मालन्ना : यह बन्द होने का प्रभाव है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इसके लिए हमें अलग नोटिस की आवश्यकता है। उन्होंने कारखानों के बन्द होने के बारे में पूछा है। हमने यह स्वीकार नहीं किया कि केरल में कुछ कारखाने बंद हो गये हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि पर्याप्त मात्रा में काजू का आयात नहीं किया जाता और जितना आयात किया जाता है उसका सभी राज्यों में विशेषतः छोटे कारखानोमें समान रूप से वितरण नहीं किया जाता और लघु कारखाने आयातित काजू की कमी के कारण हानि उठा रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : यह मामला वाणिज्य मंत्रालय से संबन्धित है। माननीय सदस्य उस मंत्रालय से प्रश्न पूछें।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि कुछ विद्यमान कारखाने कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाई में हैं जबकि कुछ नये कारखानों की, जिन्हें उसी कच्चे माल तथा बिजली की आवश्यकता है, स्थापना की मंजूरी दी जा रही है और यदि हां, तो क्या सरकार उसी कच्चे माल की खपत करने वाले उद्योगों को स्वीकृति न देने पर विचार करेगी ताकि विद्यमान बेकार पड़े कारखानों को कच्चा माल दिया जा सके ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : ऐसे आयातित कच्चे माल की जो विश्व के बाजारों में कठिनता से मिलते हैं तथा जिनके मूल्यों में वृद्धि हुई है, खपत के लिये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे है। देशी कच्चे माल की स्थिति में सुधार की आशा की जाती है, इस लिये हम नये कारखानों को लाइसेंस देना पूर्णतया बन्द नहीं कर सकते ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon'ble Minister has admitted that there is shortage of raw materials. I want to know the percentage of the raw materials available in the country which is sent to Kerala and also the percentage of imported raw materials made available to Kerala.

Shri Ziaur Rahman Ansari : So far as indigenous raw material is concerned, during 1973-74 the allocation of iron and steel to Kerala was eight times more than that of 1970-71, whereas the overall allocation of iron and steel to small scale units is six times more. So the question of Kerala getting less does not arise. We have given more than what ought to have been given.

Shri Hukam Chand Kachwai : What percentage of imported raw material is allocated to Kerala ?

Shri Ziaur Rahman Ansari : Mr. Speaker, Sir, it would be difficult to tell the overall percentage of the raw material.

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में उदारता के परिणाम

*202. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में उदारता लाने और उसमें सुधार करने के प्रसाशित परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित कार्यविधियों तथा लाइसेंस मुक्त क्षेत्र के लिये कार्यविधियों को सुप्रवाही बनाने के लिये निर्णयों की घोषणा कर दी है। इनका मुख्य उद्देश्य निर्धारित समय में आशयता औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग की स्वीकृतियां तथा पुंजीगत माल के अनापत्ति-पत्र जैसी औद्योगिक स्वीकृतियां जारी करना है। लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में एक करोड़ रुपये का निवेश करने वाले छोटे तथा मुझोले उद्यमियों को कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन बिना लाइसेंस प्राप्त किये पुंजीगत माल के अनापत्तिपत्र के वास्ते आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

इन अभ्युपायों के परिणाम स्वरूप स्वीकृतियों को जारी करने में तीव्रता आई है तथा लघु तथा मुझोले उद्यमियों को सहायता मिली है। यह उल्लेखनीय है कि नवम्बर 1973 में प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसों के 173 आवेदनों में से जिनके लिये निर्धारित समय 90 दिन का है, 164 आवेदनों का निपटान फरवरी के अन्त तक ही कर दिया गया था। नवम्बर मास में विदेशी सहयोग के लिये प्राप्त 46 आवेदनों में फरवरी 74 के अन्त तक 37 मामलों को निपटा दिया गया था। इस प्रकार नवम्बर 73 में पूंजीगत माल के अनापत्तिपत्रों के 41 आवेदनों में से इस वर्ष फरवरी के अन्त तक 38 मामले निपटा दिये गय थे। जिन मामलों को निर्धारित समय में नहीं निपटाया जा सका उनमें आगे जांच आवश्यक थी।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय के विवरण से यह पता चलता है कि नवम्बर 1973 में लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदनपत्रों को बिल्कुल संतोषजनक ढंग से निपटाया गया है। किन्तु क्या, मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि की जानी चाहिये और यदि हां, तो मंत्री महोदय का पूर्वानुमान क्या था और क्या इस पूर्वानुमान के अनुसार उपलब्धि हो गई है।

(ख) क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या लाइसेंस देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को उदार बनाने का सरकार के पास पहले से विचाराधीन पड़े हुये प्रार्थनापत्रों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य ने प्रक्रियाओं के संबंध में उदार बनाना शब्दों का प्रयोग किया है। लाइसेंस देने के पहलू को उदार बनाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ऐसा उस नीति के अनुसार किया जाता है जिसे पहले ही निर्धारित किया जा चुका है और जिसे सभा-पटल पर भी रखा जा चुका है। इस उदारता के कारण अब लाइसेंसों और आशय पत्रों को 90 दिन की अवधि में जारी किया जा रहा है। किन्तु इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त होने में तीन या चार वर्ष लग जायेंगे। अतः हम तुरन्त यह नहीं कह सकते कि इससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये हमें इसके प्रभाव को देखने के लिये कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

विचाराधीन पड़े पुराने प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि 1 नवम्बर, 1973 को 3848 प्रार्थनापत्र विचाराधीन पड़े हुये थे और 1 फरवरी, 1974 को इन विचाराधीन प्रार्थनापत्रों की संख्या कम होकर 2395 रह गयी है। इसका अभिप्राय यह है कि तीन महीनों में 1453 प्रार्थनापत्रों का निपटान किया गया है। अतः, हमें आशा कि इस गति से हम कुछ महीनों में शेष विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का भी निपटान कर देंगे।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : यद्यपि मंत्री महोदय ने कहा है और मैं उनके साथ इस बात से सहमत हूं. . . कि इस प्रकार कोई उदार बनाने की नीति नहीं है, तथापि हाल ही में स्थान निर्धारण संबंधी नीति बनाने के लिये लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने का कुछ प्रयास किया गया है ताकि औद्योगिक गतिविधि देश के पिछड़े क्षेत्रों में बढ़े इस प्रक्रिया को उदार बनाने के फलस्वरुप नवम्बर, 1973 से लेकर क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

श्री सुब्रहमण्यम् : मैं गत तीनचार महीनों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिये लाइसेंसों के सम्बन्ध में आंकड़े तुरन्त नहीं बता सकता। यदि माननीय सदस्य पृथक रुप से प्रश्न पूछे, तो मैं सूचना दे सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : जब लाइसेंस देने के संबंध में कुछ प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त होते हैं, तो कुछ मामलों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास भेज दिया जाता है। इन मामलों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास भेजते समय किन सामान्य मानदण्डों का पालन किया जाता है। उदाहरणार्थ जब सोडियम ट्रिप-पोली फास्फेट के उत्पादन के लिये हिन्दुस्तान लीवर तथा अन्य उद्यमियों ने प्रार्थना पत्र भेजे थे, तो केवल हिन्दुस्तान लीवर के प्रार्थना पत्र को ही क्यों एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास भेजा गया था ? क्या यह स्वविवेकाधिकार है जिसका उपयोग भेदभावपूर्ण ढंग से किया जा रहा है अथवा क्या आपने उसके लिये कुछ मानदण्ड बनाये हुये हैं ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास केवल बड़े औद्योगिक मामलों को ही भेजा जाता है जो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुके है अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकते हैं या उन विदेशी कम्पनियों के मामलों को इस आयोग के पास भेजा जाता है जो उत्पादन के संबंध में

प्रमुख स्थान रखती है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान लीवर के मामले को प्रत्यक्ष रूप से नहीं निपटाया जा सकता था और इसी कारण कम्पनी कार्य मंत्रालय ने इस मामले को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास यह जानने हेतु भेजा था कि क्या समुचे रूप से देश के व्यापक हित को देखते हुये यह लाइसेंस हिन्दुस्तान लीवर को दिया जा सकता है और इसी प्रकार इस मामले को निपटाया गया था।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि हिन्दुस्तान लीवर के साथ साथ अन्य प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुये थे। ऐसा क्यों किया गया कि हिन्दुस्तान लीवर के प्रार्थनापत्र को भेज दिया गया, अन्य प्रार्थनापत्रों को तो अनिर्णीत रखा गया।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने बताया है कि वे एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं। उन्हें इस आयोग के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : फरवरी, 1970 में लाइसेंस रहित क्षेत्र आरम्भ किया गया था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि फरवरी 1970 से लेकर फरवरी 1974 तक इस क्षेत्र में कितना पुंजी निवेश किया गया है? पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये ही इस क्षेत्र को आरम्भ किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रक्रिया को कारगार बनाने के बारे में है न कि उपलब्धियों के बारे में।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मुझे खेद है कि मैं तुरन्त आंकड़े नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रकार उदारता की नीति अपनायी नहीं गयी है, यह केवल प्रक्रिया में शीघ्रता लाने का ढंग ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उस समाचार को पढ़ा है जो आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है अथवा विश्व बैंक के उस मूल प्रतिवेदन को पढ़ा है जिसमें इस बात के बारे में विचार किया गया है कि इस देश में लाइसेंस देने की प्रक्रियायें धीमी तथा बेढंगी हैं और इसलिये क्या वह उदारता संबंधी नीतियों सहित अन्य नीतियों में परिवर्तन करने के बारे में सोचेंगे?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मेरे विचार में कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रकार हमारी नीति की आलोचना करने का अधिकारी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था तथा देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपने मत के अनुसार नीति निर्णय लेते हैं। यदि कोई इसे पसंद नहीं करता है, तो हमें इस की चिन्ता नहीं है। हम अपने विचार से सर्वोत्तम निर्णय लेते हैं। निश्चय ही यह एक ऐसा मामला नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारी नीति ठीक नहीं है, तो इसलिये हमें इसे बदल देना चाहिये। हम हमेशा किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों पर विचार करने के लिये तैयार है, किन्तु निश्चय ही हम केवल इस कारण से परिवर्तन नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति इसे ठीक नहीं समझता।

राज्यों की वार्षिक योजनाओं में बिजली, सिंचाई तथा कृषि के लिये प्रावधान

*203. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार से राज्यों की वार्षिक योजनाओं में बिजली, सिंचाई तथा कृषि के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) 1974-75 में पंजाब की इन योजनाओं के लिए कितना नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों ने अपनी 1974-75 की वार्षिक योजनाओं के प्रारूप में कृषि, सिंचाई और बिजली क्षेत्रों के लिए क्रमश: 470 करोड़ रुपये, 398 करोड़ रुपये और 849 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन मदों में योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने क्रमश: 360.29 करोड़ रुपये, 389.51 करोड़ रुपये तथा 685.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी कुछ ऐसी स्कीमें भी हैं जो कतिपय तकनीकी कारणों से योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं। 1974-75 वर्ष में पंजाब के सम्बन्ध में इन स्कीमों के लिए अस्थायी आवंटन इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
कृषि . .	15.80
सिंचाई	9.00
बिजली	60.75

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि सिंचाई और विद्युत के लिये गोआ के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने नियतन के बारे में पूछा था ? आप ने तो धनराशियों के प्रावधान के बारे में पूछा था।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : पंजाब के संबंध में नियतन का प्रश्न किया गया था। श्रीमान् जी, मैं गोआ के बारे में वही प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह सभी राज्यों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : वह विभिन्न परियोजनाओं के नियतन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन : भाग (क) सभी राज्यों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों बोल रहे हैं ? माननीय सदस्य की बात स्पष्ट है।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : निस्संदेह यह सभी राज्यों के बारे में है। हम से तो यही पूछा गया है कि हम कृषि, सिंचाई और विद्युत शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मांगों के प्रति योजना आयोग की प्रतिक्रिया के बारे में बतायें। हमने सभा के विचारार्थ सूचना प्रस्तुत कर दी है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब के बारे में विशेष प्रश्न पूछा गया था। हमने उस प्रश्न के संबंध में भी विशिष्ट सूचना दे दी है। यदि अन्य राज्यों के संबंध में विशिष्ट सूचना की आवश्यकता है, तो मैं इसे सूचना देने पर दे सकता हूं।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : गोआ में कई छोटी पहाड़ियां तथा उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र हैं और उस में कोई भी बड़ा मैदानी क्षेत्र नहीं है। यदि ये परियोजनायें बहुत बड़ी है, यदि इन्हें कुछ क्षति पहुँचती है अथवा इन से किसी प्रकार का रिसाव होता है, तो मरम्मत करने में काफी समय की आवश्यकता होगी। कृषि संबंधी हानियां भी होती हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो अनेक बातों में उलझ गये हैं। उन्हें सीधा प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : कृपया मुझे अपना अनुपूरक प्रश्न स्पष्ट करने के लिये कुछ समय दीजिये, अन्यथा उचित उत्तर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री महोदय सीधा उत्तर देंगे। स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मुझे अपना प्रश्न स्पष्ट करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदैव ही सदस्यों को परामर्श देता रहा हूं कि वे न . . .

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल अपने प्रश्न को स्पष्ट कर रहा हूं।

यदि कोई परियोजना छोटी है, और यदि कोई क्षति पहुंचती है अथवा हमसे रिसाव होता है, तो मरम्मत करने में कम समय लगेगा और इससे हानि भी अधिक नहीं होगी। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि अन्तर-राज्य परियोजनाओं से अन्तर-राज्य विवाद पैदा हो जाते हैं और हम इन अन्तर-राज्य विवादों से तंग आ गये हैं। अतः क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार ने गोआ में अन्तर-राज्य परियोजनाओं की बजाय छोटी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनायी है ?

श्री डी० पी० धर : हमें गोआ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोआ की वार्षिक योजना के बारेमें चर्चा करने का सौभाग्य मिला था और गोआ की वार्षिक योजना में गोआ की विशिष्ट आवश्यकताओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया जिनकी वहां के प्रतिनिधियों ने स्वयं परिकल्पना की थी और योजना आयोग ने बिना किसी शर्त के इस मामले में उनकी सिफारिशों और उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

श्री माधुर्य्य हालदार : इस प्रश्न के भाग (क) में, नियतन के सम्बन्ध में राज्यों के द्वारा की गयी प्रार्थना का उल्लेख किया गया है और सभी राज्यों के संबंध में सूचना मांगी गयी थी। यद्यपि मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या यह सरकार की योजना का ही भाग है कि कुछ सूचना को सभा से छुपाया जाये मेरे प्रश्न का दूसरा भाग . . .

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न नियतन के लिये राज्यों से प्रार्थनाओं के बारे में है।

श्री माधुर्य्य हालदार : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि कुछ योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये योजनायें कितनी हैं और उन योजनाओं के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी और किन किन राज्यों में ये योजनायें शुरू की जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय करने का प्रयास कर रहा हूं, किन्तु मैं नहीं कर सकता . . .

श्री डी०पी० धर : मुझे यह अवश्य ही मान लेना चाहिये कि विभिन्न राज्यों के संबंध में विचाराधीन। पृथक पृथक योजनाओं के नाम लेना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा और मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं जब हम वार्षिक योजना पर चर्चा कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास समय कम था और हम यह नहीं चाहते थे कि राज्य अपने बजट पेश करने में पीछे रह जायें और इसलिये ये कुछ योजनायें जो अन्तर्राज्यीय की अथवा जिनके बारे में तकनीकी कठिनाईयां थी या जिन्हें स्वीकृति नहीं दी गयी थी विचाराधीन पड़ी रहीं। उनकी छानबीन की जा रही है और छानबीन पूरी होते ही इन्हें स्वीकृति दे दी जायेगी। यदि माननीय सदस्यों के पास इन योजनाओं की पूरी सूची है, तो मैं उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री एन० शिवप्पा : योजना बनाने वालों ने बड़ी सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया है जिनकी कई समस्यायें होती हैं। यद्यपि उन्हें चालू किया गया है, तथापि उनके कारण पैदा हुई समस्याओं के कारण हाल ही में हमारे देश के विभिन्न राज्यों ने यह समझ लिया है कि छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकतायें दी जानी चाहिये, जहां तकनीकी स्वीकृति आदि के बारे में कोई समस्या नहीं है। इस के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा मांगी गयी धनराशि का कृषि संबंधी उपकरणों तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये पूरी तरह उपयोग किया जायेगा। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार और योजना बनाने वालों ने राज्य सरकारों द्वारा मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये मांगी गयी पर्याप्त धनराशि का नियतन किया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है।

श्री डी० पी० धर : आंकड़े दे दिये गये हैं। हम ने सिंचाई, कृषि और विद्युत पर विशेष बल दिया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या योजना आयोग ने कुछ राज्य सरकारों की आवश्यकताओं और मांगों की ओर ध्यान दिया है जिन्होंने विद्युत और सिंचाई दोनों के लिये बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को शुरु किया है, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और जिसका परिणाम यह हुआ कि इन के संबंध में अनुमान बढ़ते ही जा रहे है ? यदि हां, तो क्या आयोग का प्रस्ताव राजस्थान नहर, नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीसेलम विद्युत परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं के लिये विशेष धनराशि की व्यवस्था करने का है ?

श्री डी० पी० धर : कई वर्षो से अनेक योजनायें शुरु की जा रही है और वे एक योजना से दूसरी योजना में चलती रही हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस बारे में सतर्क रहे हैं कि पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाये। वास्तव में हम इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करते रहे हैं, ताकि इन योजनाओं का लाभ पांचवीं योजना अवधि में ही प्राप्त होने लग जाये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have seen the speech of Dr. Minhas in today's 'Financial Express' and other newspapers, in which he has made an allegation against the Government and the Planning Commission that agriculture and irrigation sectors did not receive sufficient attention from the Government because of influence of foreign ideology. I am not mentioning the name of the country. While taking a final decision regarding the Five Year Plan, will the Government make more provision for irrigation schemes of Bihar and other States and place them before the House ?

Mr Speaker : The provision of allocation for all the states should be placed before the House.

Shri Madhu Limaye : In regard to the whole country. So I have said "Bihar etc.".

श्री डी० पी० धर : मैं बहुत ही आदर पूर्वक किन्तु बहुत ही जोरदार शब्दों में इस आरोप का खंडन करता हूँ, जिसका उल्लेख आज प्रातः के समाचारपत्रों में हुआ है कि हमारे देश में कृषि और सिंचाई के कार्यक्रमों को किसी विदेशी प्रभाव के अन्तर्गत तैयार किया जाता है। वह भारतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय अनुभव के आधार पर भारतीय अवस्थाओं के अनुरूप बनाए गए हैं।

जहाँ तक बिहार के आवंटन का संबंध है, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से सदस्यों की जानकारी हेतु यह बताना चाहता हूँ कि उन राज्यों में जहां कि बजट पेश किए जा चुके है वार्षिक योजनाएं उनके बजट से मालूम पड़ जाती हैं। जहां पर बजट अभी तक पेश नहीं किए गए, वहाँ एक दो दिन में पेश कर दिए जाएंगे। यह सब सूचना उसमें दी गई है। जहां तक बिहार का संबंध है, शायद श्री मधु लिमय के कारण उस पर खास ध्यान दिया गया है।

छिपे नागाओं की गतिविधियां

***204. श्री राम भगत पासवान : †**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं ;

(ख) क्या 6 फरवरी, 1974 को कोहिमा के निकट विद्रोही नागाओं से हुई मुठभेड़ में सशस्त्र सेना के कुछ जवान मारे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी गतिविधियां रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जैसा कि हाल के महीनों में विशेषकर फरवरी, 1974 के दौरान हिंसक घटनाओं की संख्या में कुछ वृद्धि से स्पष्ट है कि भूमिगत नागाओं की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) नागालैण्ड तथा मणिपुर में स्थिति का निकट से तथा लगातार औपचारिक निरिक्षण किया जा रहा है और नागा उपद्रवियों के विरूद्ध विद्रोह विरोधी कार्रवाईयां बढ़ा दी गई हैं । उपयुक्त वृद्धि करने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों की तैनातगी की भी समीक्षा की जा रही है ।

श्री राम भगत पासवान : क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियो की गतिविधियों में तेजी का कारण यह है कि उन्हें विदेशी तत्वों से प्रोत्साहन मिल रहा है और विदेशों में बने अनेक हथियार विद्रोहियों से प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ? क्या यह भी सच है कि नागा विद्रोहियों ने हथियार डालने की इच्छा प्रकट की है बशर्ते कि उन्हे क्षमा दान दिया जाए ? सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अंतिम प्रश्न का संबंध है, हमें इस प्रकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि अनेक नागाओं ने समर्पण किया था और फरवरी की हिंसक घटनाओं मे वृद्धि को छोड़कर जोकि स्पष्टत: चुनावों के दौरान दबाव डालने के लिए थी कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है । किसी भी स्थिति में अब हम आशा कर सकते हैं कि यू०डी० एफ० सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को दृष्टि मे रखते हुए नागालैंड की स्थिति में और सुधार होना चाहिए ।

श्री राम भगत पासवान : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नागा विद्रोहियों को देश की जनतांत्रिक विचारधारा से सहमत कराने के लिए सरकार मामले को सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर हल करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे मत व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं । आप जानकारी संबंधी प्रश्न कीजिए। यदि मंत्री महोदय अपनी राय देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि माननीय सदस्य यू० डी० एफ० पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उसमे कहा गया है कि "शांतिपूर्ण ढ़ंग से गहरे घावों पर मरहम करने के लिए पहल करके सभी लोगों में मेल मिलाप कराने के नए मार्ग खोजना, इस बात के हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे कि जीवन सुरक्षापूर्ण हो, एक कल्याण-कारी राज्य में परिवर्तन किया जाए, जहाँ प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रतापूर्वक रह सकेगा और विचरण कर सकेगा तथा मात्र राजनीतिक विचारों के कारण उसके जीवन और उसकी सम्पत्ति को कोई भय नहीं होगा" ।

मुख्य मंत्री बनने के बाद श्री विज़ोल ने कहा था कि विभिन्न समस्याओं के बारे में मेरी सरकार की नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है। मेरे साथी और मैं शांति और सद्भावना का वातावरण तैयार करें और अपनी भूमि पर अनावश्यक भय और हिंसा को दूर करने के लिए इमानदारी से प्रयत्न करेंगे।

हमारे विचार में वर्तमान स्थिति मे हमें ऐसा कुछ नहीं कहना या करना चाहिए जिससे हमारी सरकार को परेशानी हो।

Shri Hukam Chand Kachwai : Elections were held in Nagaland in a democratic way but why the people there are still dissatisfied and agitated ? The hon. Minister has referred to instances of violence. I want to know how many persons have lost their lives in such incidents ? Is it a fact that the election officer who had gone from Delhi has been killed ? What compensation has the Government given to the survivers of victims ? I want to know the number of Naga rebels who have not surrendered as yet ? Are they in league with Fizo ? What type of weapons have these people with them ? This dispute is hanging fire for the last 10– 12 years. Mizo people have been revolting for the last 12 years What steps have been taken and are going to be taken to end this dispute. ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Smt. Indira Gandhi) : The hon. member's question has surprised me. The House is well aware of the great change that has taken place in Nagaland and the part played by the Government. For years there were hostilities but peace was restored through negotiation and mutual agreement. Many a men, who were hostile, gave up the attitude of revolt and became pro-India. There is no everlasting solution to any problem in this world. Every settlement gives rise to new complications. We should look to the future and see what will happen next as has been said by Mr. Dixit. The success in restoring law and order has given rise to violence, as the few remaining rebels made a last bid to bring about chaos. We assure that situation will be controlled. A majority of people in Nagaland want peace and desire that there should be development in every field.

Shri Bhagendra Jha : Is it a fact that dissatisfaction is prevailing there due to the presence of money-lenders who indulge in unlawful money lending activities and suck the blood of Nagas. The black marketeers who have gone to Nagaland from outside tend to promote revolt and dissatisfaction, if so, what remedial measures are being taken ?

Is it also a fact that Fizo and his followers, who had started the trouble, are still giving shelter and encouragement to the rebels ?

Shri Uma Shankar Dikshit : It seems that the hon. Member has not paid attention to what I have stated. Such incidents have been on the decline since December. Their number varies between 9, 8, 7, 6, 5 or 4. Not a single incident took place in January. Only during February, the violent incidents increased. Therefore, there is no justification in saying that the situation is becoming worst. This is not correct. If the new Government is given some time to restore peace, only then any question can be raised. We have not received any such information that somebody had gone there from outside here and created trouble over there.

Shri Bhagendra Jha : There is no doubt that the situation has improved, but I wanted to know whether dissatisfaction is prevailing due to the presence of unlawful money lenders and black marketeers who indulge in unlawful activities ? Are they being given shelter by the church ?

Shri Uma Shankar Dikshit : The hon. Member will have to give a seprate notice for this question, only then I will be able to tell him as to how many persons are indulging in such unlawful activities.

तेल के स्थान पर देश में विद्यमान ऊर्जा के मूल साधनों के प्रयोग की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिये अध्ययन-दल

*206. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तेल के स्थान पर देश में विद्यमान ऊर्जा के मूल साधनों के प्रयोग की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिये कई अध्ययन-दल गठित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अध्ययन दलों को क्या क्या कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) क्या किसी अध्ययन-दल को ऐसी परियोजनाओं का पता लगाने को कहा गया है जिन में तेल के स्थान पर कोई अन्य पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) तेल के स्थान पर वैकल्पिक घरेलू ऊर्जा साधनों के प्रयोग की संभाव्यता का विस्तार से अध्ययन करने के लिए योजना आयोग ने अनेक कार्यकारी दलों का गठन किया है । कार्यकारी दल इस बात की सिफारिश करेंगे कि किस सीमा तक इस प्रकार का प्रतिस्थापन सम्भव है और इसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे । यह भी आशा की जाती है कि यथा-संभव वे ऐसी विशेष परियोजनाओं का पता लगायेंगे जो इस प्रकार के परिवर्तनों के अनुकूल हों ।

श्री डी० डी० देसाई : कोयले के अतिरिक्त ऊर्जा के कुछ अन्य देशी साधन भी हैं जिनके रास्ते में उत्पादन और परिवहन संबंधी कुछ कठिनाईयाँ आ रही हैं । क्या मंत्रालय ने यूरेनियम 233 पर आधारित "ब्रिडररिएक्टरों" या प्लूटोनियम और थोरियम संयंत्रों के बारे में विचार किया है ?

श्री मोहन धारिया : इस पहलू पर एक कार्यकारी दल विचार कर रहा है ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्रालय ने तेल के स्थान पर पन बिजली का प्रयोग करने, विशेषकर व्यर्थ जा रही विशाल जल मात्रा से पन बिजली तैयार करके उसके प्रयोग द्वारा ऊर्जा की बचत अथवा उसमें वृद्धि करने पर विचार किया है ? नर्मदा नवगाँव बांध की प्रतिवर्ष 20 लाख मीटरी टन कच्चे तेल की बचत की क्षमता है ।

श्री मोहन धारिया : हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं । साथ ही नर्मदा से बिजली उत्पन्न करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री राम सहाय पांडेय : मैं जानना चाहता हूं कि देसी ऊर्जा की उपलब्ध करने के लिए क्या अपने दल को कोयले की क्षमताओं और कोयला खानों के निकट तापीय बिजली घरों की वांछनीयता का पता लगाने के लिए अनुदेश दिए हैं ? उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध है । यदि कोयला खानों के निकट तापीय बिजली घर बनाए जाए तो इससे ऊर्जा की समस्या हल हो जाएगी ।

श्री मोहन धारिया : इस पर भी विचार किया जा रहा है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ परियोजनाएं पहले ही विचाराधीन हैं ।

श्री समर गुह : नई ऊर्जा के नए स्रोत पन बिजली और परमाणु ऊर्जा हैं । दो नए स्रोत भी हैं अर्थात् भू-तापीय ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा । किन्तु ये अभी विकास की आरम्भिक स्थिति में हैं और मैं उनके लिए अभी अधिक बल नहीं देना चाहता हूं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरक उत्पादन के लिए काफी अधिक मात्रा में कोयले के आरक्षण की आवश्यकता होती है और कलकत्ता के समीपवर्ती पूर्व क्षेत्र के औद्योगिक रूप से अत्यधिक विकसित होने के कारण कोयले को अन्य प्रयोजनों हेतु सुरक्षित रखना पड़ता है, क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि पूर्वी क्षेत्र में, विशेषतया हल्दिया में एक परमाणु शक्ति परियोजना प्रारम्भ की जाए ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है अथवा नहीं और यदि नहीं तो क्या सरकार स्वयं ही पूर्वी क्षेत्र में, विशेषतया हल्दिया में, एक परमाणु शक्ति परियोजना प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। यह तो बहुत सामान्य प्रश्न है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय तैयार हैं माननीय सदस्य तैयार हैं किंतु मुझे तो प्रश्न की संगतता देखनी होती है। वह तो उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। किंतु प्रश्न संगत होना चाहिए।

श्री डी० पी० धर : मेरे विचार से यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम जानते हैं कि दुर्भाग्यवश ऊर्जा संकट कुछ देर और बना रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इन अध्ययन दलों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन परियोजनाओं की जांच करने के लिए कहा है और दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या अध्ययन दल केवल विद्यमान स्रोतों का ही पता लगा रहे हैं अथवा विभिन्न संभावनाओं के बारे में अनुसंधान भी कर रहे हैं ताकि हम तेल के प्रयोग के स्थान पर नए विकल्प खोज सकें? तीसरे, ये अध्ययन दल कब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे?

श्री मोहन धारिया : हमने लगभग 25 कार्यकारी दलों का गठन किया है और वे इन सभी पहलुओं की जाँच कर रहे हैं। इनमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों तथा माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अन्य सुझाव भी शामिल हैं। कार्यकारी दल लगभग तीन या चार सप्ताहों में आगामी मास के दौरान अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे।

Demand and Supply of Writing and Printing Paper

+
***207. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the quantum of demand and supply of the paper ordinarily used for writing and printing ;

(b) the market price thereof at present and during the last three years, year-wise ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to provide immediate and long term relief to the consumers ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) लेखन व मुद्रण में सामान्य रूप से काम में आने वाले कागज की मांग का अलग से निर्धारण नहीं किया गया है। फिर भी, लेखन व मुद्रण में सामान्य रूप से काम में आने वाले कागज की मात्रा मोटे तौर से 3 लाख मी० टन वार्षिक के आस पास हैं।

(ख) और (ग) मूल्यों पर कंट्रोल न होने से कोई भी निर्धारित मूल्य सभी कागज़ मिलों पर लागू नहीं है। गत तीन वर्षों में अलग-अलग मिलों में अलग-अलग कीमतें रही जो कि 1973 के मध्य तक 2,150 रु० से लेकर 2,400 रुपए प्रति मी० टन रहीं।

गत कुछ महीनों में विभिन्न किस्म के कागज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। मुद्रण के सफेद कागज की कीमत दिसम्बर, 1973 में 3,500 रुपए प्रति मी० टन बताई गई थी। कागज़ निर्माताओं से इस मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था जिन्होंने, राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों / अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के अन्य दुर्बल वर्गों को सप्लाई किए जाने वाले 60 जी०एस०एम० सफद कागज़ का मूल्य प्रति मी० टन 2,750 रुपए तक कर देने के लिए स्वेच्छा से सहमति दे दी है।

सरकार ने औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो से भी कागज़ की उत्पादन-लागत का अध्ययन करने का अनुरोध किया है ।

लेखन व मुद्रण के कागज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । मिलें 1968-69 तथा 1969-70 में लागू उत्पादन नमूने को अपनाने के लिए सहमत हो गई हैं, जिससे आशा है कि लेखन व मुद्रण के कागज की बजाय उत्पादन क्षमता को अन्य किस्मों की ओर मोड़ देना रुक जायगा ।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में सरकार ने लेखन व मुद्रण के कागज की नई क्षमताओं के लिए निजी क्षेत्र में लाइसेंस दिए हैं । इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जो कि एक सरकारी उपक्रम है, कागज़ की कुछ परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रहा है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : The statement which has been placed on the Table does not provide complete information. The quantum of demand and supply of the paper alongwith its consumption has not been clearly stated therein. Secondly, has the Government decided to make a study of the production, cost as well as the price of the printing paper in the Country. Thirdly, there is no proper control on the price of writing paper. Though it is said that it will be available in the market at the rate of Rs. 3500 per tonne, but as a matter of fact it is available at a rate of Rs. 4,500 per tonne and that too not easily. So under these circumstances and in view of taxes imposed in the new budget, I want to know as to how the Government will ensure that the price of paper is brought down to Rs. 2,700 per tonne and it is made available to students at cheaper rates ?

श्री एम० बी० राणा : कागज निर्माताओं द्वारा कागज का मूल्य 2,750 रुपये प्रति टन तक घटा ले आने के लिए स्वैछिक समझौता हुआ है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : My question is what is the intention of the Government. The paper is available in the market at the rate of Rs. 3,500 per tonne. The Government made an attempt to bring down its price after negotiating with the Mill owners. But now, new taxes have been imposed in the Budget. I want to know as to how then Government is planning to bring down the price of paper ?

श्री सी०सुब्रह्मण्यम् : खैर, अभी तक उन्होंने इस आधार पर मूल्यों में वृद्धि करने के लिए नहीं कहा है ।

Mr. Speaker : When there is no more from the Mill owners, why you are raising this issue ? We will see when the problem arises.

Shri Jagannath Rao Joshi : The price of the paper is increasing constantly and we are interested in imparting free education to our students. In view of this is the Government contemplating a more to the effect that prescribed text books should be made available to the students at half rates ?

Mr. Speaker : It relates to different Ministry... First industrial development and then paper price...

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य को यह बात राज्य सरकारों से पूछनी चाहिये कि क्या वह रोज सहायता देने के लिए तैयार है या नहीं ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : यह सत्य है कि हमारे देश में वन संसाधनों की कमी नहीं है और नये वृक्ष भी लगाये गये हैं । परन्तु इसके बावजूद हमारा देश कागज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है । इन सम्पूर्ण परिस्थितियों के सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके कारण क्या हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : पांचवीं योजना के दौरान कागज की मांग को दृष्टिगत रखते हुए हमने पहले ही विभिन्न परियोजनाओं को लाइसेंस दे दिये हैं और उन परियोजनाओं की क्रियान्विति हो रही है। इसलिए सभी मांगों को पूरा करना सम्भव हो जायेगा।

पांचवीं योजना के दौरान और यहां तक कि अब भी हमारे उत्पादन और मांग में थोड़ा सा अन्तर रहा है और यदि हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो उसे भी पूरा किया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल कहीं बिजली की सप्लाई में कटौती हो रही है, तो कहीं 'धीरे काम करो' आन्दोलन चलाया जा रहा है। यही कारण है कि हम सम्पूर्ण मांग के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाये हैं।

Shri K. M. Madhukar : May I know if the Government is going to implement its proposal of establishing a factory for paper production from Bagasse in Bihar ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि खोई को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अतः जब तक हमें ईंधन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं मिल जाता, तब तक निस्सन्देह हम इसका उपयोग कागज उत्पादन के लिए नहीं कर सकते।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उस समय कागज की कमी का कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया था और अब जब कि चौथी योजना अन्तिम चरण में है तो कागज का भारी अभाव कैसे अनुभव किया जा रहा है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में कागज का उत्पादन करने वाली मशीन का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोग के लिए करने का भी है ताकि कागज के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : आप का पूरक प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में तो नहीं आता। खैर, मंत्री महोदय जो भी कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : आज जिस कागज का अभाव है वह कागज छपाई वाला कागज है जिसका प्रयोग पुस्तकों और कापियों के लिए किया जाता है तथा इसका अभाव होने का कारण यही है कि अन्य प्रकार के कागजों के उत्पादन में लाभ अधिक होता है। यही कारण है कि हमने कागज उत्पादकों को बुलाया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे छपाई के कागज का उत्पादन करने और विशेषतया स्कूलों और कालिजों के लिए काम में आने वाले कागज का उत्पादन करें। अब उनके साथ यही स्वैच्छिक समझौता हुआ है कि वे कागज के उत्पादन में वृद्धि करेंगे ताकि आगामी वर्ष में पाठ्यक्रम पुस्तकों और कापियों की कमी न हो।

श्री ए० के० गोपालन : केरल में कागज का कारखाना लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या हुआ ? इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इसका सम्बन्ध अखबारी कागज से है। उस में कोई विलम्ब नहीं है। मैं सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उस कारखाने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि 2,550 रुपये टन का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वह केवल राष्ट्रीयकृत पाठ्यक्रम पुस्तकों के लिए ही है और क्या यह भी सच है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों के लिए कागज का सम्पूर्ण देश में अकाल पड़ा हुआ है जिसका प्रभाव लगभग एक करोड़ विद्यार्थियों पर पड़ रहा है और यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों का प्रकाशन करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रकाशकों को काले बाजार में कागज के लिए दो या तीन गुना अधिक कीमत देनी पड़ती

है ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में पाठ्यक्रम की पुस्तकों का प्रकाशन करने वाले प्रकाशकों को कागज की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं निश्चय ही इस सुझाव पर विचार करूंगा।

भारत में मैक्स फैक्टर, यू० एस० ए०, द्वारा उत्पादन

*208. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मैक्स फैक्टर द्वारा उत्पादन करने की शर्त क्या है ; और

(ख) क्या नकद राशि के रूप में अथवा मैक्स फैक्टर, यू० एस० ए० से खरीद के रूप में मैक्स फैक्टर यू० एस० ए० को कोई रायल्टी दी जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) मे० मैक्स-फैक्टर एण्ड कम्पनी यू० एस० ए० को देश में शृंगार प्रसाधनों का उत्पादन करने के लिये कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

Shri Shashi Bhushan : It is a strange thing that a good number of cosmetic items are manufactured under the brand name of Max-factor. I am in no way against foreign lip-stick but it is good if they are manufactured in the country. I want to know how this brand name is being used in India ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : प्रश्न यह है कि भारत में मैक्स फैक्टर द्वारा उत्पादन करने की शर्तें क्या हैं। भारत में मैक्स-फैक्टर का उत्पादन नहीं होता, यही उत्तर दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या उन्हें रायल्टी दी जाती है। मुझे मालूम है कि मैक्स फैक्टर के ब्रांड के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और सामान बेचा जा रहा है। परन्तु उसके लिए किसी प्रकार के सहयोग की स्वीकृति नहीं दी गई है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई रायल्टी भी नहीं दी जाती। यदि कोई किसी ब्रांड नाम का प्रयोग करता है तो इसका एतराज ब्रांड के मालिक को ही हो सकता है। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, सरकार का मैक्स-फैक्टर के साथ सहयोग या रायल्टी आदि के सिलसिले में कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Shashi Bhushan : May I know if any raw material is also imported from Max Factor or simply the name of the Company is being used ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : केवल कम्पनी के ब्रांड नाम का ही उपयोग किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड के साथ इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का अनुसंधान समझौता

*205. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा धन राशि के प्रत्यावर्तन के संबंध में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2,500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ने ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड अथवा विदेश स्थित किसी अन्य फर्म के साथ कोई नया अनुसंधान समझौता किया है;

(ख) गत तीन वर्षों में अनुसंधान फीस के खाते में धनराशि के प्रत्यावर्तन में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसंधान और विकास की दिशा में कम्पनी ने देश में क्या प्रयास किए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पहले प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा गया था उससे आगे अनुसंधान तथा विकास फीस के लिए और कोई भी भुगतान नहीं किया गया है । पहले प्रश्न के उत्तर में जिस राशि का उल्लेख है वह उस करार की बकाया राशि के संबंध में है जिसकी अवधि 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त हो चुकी है ।

(ग) कम्पनी का दावा है कि उन्होंने कलकत्ता में एक विकास तथा तकनीकी केन्द्र स्थापित किया है । फिर भी, मान्यता प्राप्त करने हेतु उसने अभी तक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क नहीं किया है ।

सीमेंट कारखानों में कोयले की खपत

***209. श्री वी० पी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रतिशत उद्योगों में कोयले का प्रयोग इंधन के तौर पर होता है; और

(ख) "शुष्क" विधि से सीमेंट बनाने वाले कारखानों में कोयले की खपत कितनी है और देश में कितने सीमेंट कारखानों में कच्चे माल की किस्म सुधारने के लिए जो अपेक्षित किस्म से तनिक घटिया है, फ्लोटेशन प्रणाली अपनाई जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करने वाली 98 प्रतिशत सीमेंट फैक्टरियाँ कोयले को ईंधन के रूप में काम में लाती हैं ।

(ख) एक ड्राई प्रोसेज संयंत्र में एक मीट्रिक टन सीमेंट बनाने में कोयले की औसतन खपत लगभग 200 से 210 किलोग्राम तक है । इसमें बिजली तैयार करने में काम आने वाला कोयला सम्मिलित नहीं है । कच्चे माल की किस्म में सुधार करने हेतु चार संयंत्र इस समय फ्लोटेशन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं ।

जमाखोरों, काला बाजार करने वालों तथा खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

***210. श्री भोगेंद्र झा** : क्या **गृह** मंत्री 19 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरों, काला बाजार करने वालों तथा खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों की गिरफ्तारी तथा उनके ऊपर मुकद्दमें चलाने सम्बन्धी राज्यवार, जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन अपराधों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, क्या कुछ अधिक कड़े तथा प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) जमाखोरों, काला बाजार करने वालों तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण तथा उपलब्धता की स्थिति की लगातार समीक्षा करने की सलाह दी गई थी । कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

30 नवम्बर, 1973 तक जमाखोरी, काला बाजारी तथा मिलावट करने वालों की जो जेल में थे अथवा अभियोजित किए जा रहे थे, कुल संख्या का विवरण ।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, भारत सुरक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत जेल में रखे गये व्यक्तियों की संख्या	भारत रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत अभियोजित किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आन्ध्र प्रदेश . .	14	696
2	असम . .	3	162
3	हरियाणा . .	2	133
4	हिमाचल प्रदेश .	..	39
5	केरल . .	..	130
6	महाराष्ट्र	1	1943
7	मणिपुर .	..	3
8	उड़ीसा . .	4	45
9	पंजाब . .	..	312
10	तमिलनाडु	7	845
11	त्रिपुरा	..	56
12	उत्तर प्रदेश .	7	369
	संघ राज्य क्षेत्र/प्रशासन		
1	अंडमान और निकोबार . .		12
2	दादरा और नगर हवेली . .		5
3	दिल्ली . . .		303
4	गोवा, दमन और दीव . . .	..	63
5	पांडेचरी	..	21

(क) अब तक विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार जमाखोरों, काला बाजार करने वालों आदि के विरुद्ध कार्रवाई बन्द नहीं की गई है बल्कि कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई चल रही है ।

(ख) बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में सूचना अधूरी है । मामले का अनुसरण किया जा रहा है ।

(ग) स्तम्भ-3 में एक तिथि विशेष को जेल में रखे गये व्यक्तियों की केवल संख्या की सूचना के बारे में है । स्तम्भ-4 में अभियोजित किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या से स्पष्ट है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सन्दर्भ में भी जहां स्तम्भ-3 में शून्य सूचना दी गई है विभिन्न कानूनों के अधीन कार्रवाई की गई थी ।

(घ) छोटे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम ने स्तंभ 3 और 4 के अन्तर्गत 30–11–1973 तक की सूचना शून्य दी है ।

सरकारी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने की आयु बढ़ाना

***211. श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने की आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं, श्रीमान ।

क्रास बार टेलीफोन केंद्रों में परिवर्तन

***212. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवा में सुधार करने की दृष्टि से क्रास बार टेलीफोन केन्द्रों में कुछ परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जाने हैं और उन पर कितना धन व्यय होगा ?

संचार मंत्री (श्री के०ब्रह्मानंद रेड्डी) : (क) जी, हां । क्रास बार एक्सचेंजों की सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार ने भारत में स्थापित विभिन्न क्रास बार एक्सचेंजों को बेहतर बनाने का काम पहले ी शुरू कर दिया है ।

(ख) इन एक्सचेंजों को बेहतर बनाने के लिए सर्किट व्यवस्था में फेर-बदल करने, पुर्जे बदलने और नये पुर्जे जोड़ने का प्रस्ताव है । स्थानीय और ट्रंक क्रास बार एक्सचेंजों की करीब 1 लाख 50 हजार लाइनों को बेहतर बनाने के काम में लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । यह खर्च प्रति लाइन करीब 260 रुपये निकलता है ।

परमाणु शक्ति परियोजनाओं की सुरक्षा

***213. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका में परमाणु शक्ति परियोजनाओं के हाल ही में किये गये अध्ययन से इन परियोजनाओं में सुरक्षा सम्बन्धी पहलू के बारे में गंभीर शंकायें उत्पन्न हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सरकार ने भारत में परमाणु शक्ति परियोजनाओं का ऐसा ही अध्ययन करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी एवम् सुरक्षा विज्ञान में हुए विकास को ध्यान मे रखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु विद्युत परियोजनाओं के सुरक्षा सम्बन्धी पहलूओं का पुनरीक्षण निरन्तर किया जाता रहता है । इस कारण से तथा परमाणु विद्युत कार्यक्रम की अपेक्षाकृत धीमी गति के कारण, परमाणु विद्युत परियोजनाओं के सुरक्षा सम्बन्धी पहलूओं के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Visit of Freedom Fighters to Andaman

*214. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a group of freedom fighters had gone to Andaman in January-February 1974 to see the jail where they have passed their period of imprisonment, if so, the names of freedom fighters gone there ;

(b) whether their visit was arranged by Government, if so, the expenditure incurred on them ; and

(c) whether any memorandum asking for converting it into a memorial has been received by Government from them ; and if so, the facts thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) A party consisting of 390 members, 94 of whom were freedom fighters and the rest their family members, visited Port Blair from the 26th to 29th January, 1974. The visit was arranged by the Ex-Andaman Political Prisoners' Fraternity Circle, Calcutta. The names and other details of the freedom fighters who visited the Islands, are not readily available.

2. A sum of Rs. 10,000 from the Home Minister's Discretionary Grant was placed at the disposal of the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, to meet part of the expenditure on the visit. This sum has been fully utilised. In addition, the freedom fighters and their family members were given the facility of half-fare concession on account of their to and fro journeys from Calcutta to Port Blair through the Shipping Corporation of India.

3. As regards the request for the conversion of the jail into a memorial, it has already been decided to preserve the Central Tower and the existing three wings of the Cellular Jail at Port Blair as a national monument, and the Andaman and Nicobar Administration have been directed to carry out the essential repairs to the buildings at a cost of Rs. 4 lakhs, and also to draw up a phased programme for construction of buildings which may be necessary or shifting the offices, stores, etc. now located inside the Cellular Jail.

आक्सीजन सिलेंडरों के आयात के लिये लाइसेंस

215. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आक्सीजन सिलेंडरों का आयात करने के लिए कुल कितने लाइसेंस दिए गए हैं तथा प्रत्येक पार्टी को कितने सिलेंडर आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इस अवधि में किन फर्मों ने सिलेंडरों के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिए हैं और किन फर्मों के आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा उसके क्या कारण है; और

(ग) प्रत्येक पार्टी ने सिलेंडरों का आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की है तथा किन देशों से इसका आयात किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें से एक में पिछले 3 वर्षों के आक्सीजन सिलेंडरों के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा और दूसरे में उन फर्मों के नाम बताए गए हैं जिनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—6332/74।**] यद्यपि अस्वीकृति के कारण प्रत्येक मामले में अलग अलग हैं फिर भी सामान्य बात ध्यान में यह रखी गई थी कि ये मामले आवश्यकता, तत्काल प्रयोग के लिए जो कसौटी लाइसेंस विनियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई थी उसके अनुरूप नहीं है। विभिन्न पार्टियों द्वारा लाइसेंसों के अंतर्गत खर्च की गई ठीक ठीक विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी अलग नहीं रखी जाती।

Payment of D. A. to Runners and EDMC in P. & T. Department

***216. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the rate of dearness allowance admissible to the Runners and E.D.M.C., in the P. & T. Department ; and

(b) the date on which this allowance was raised last ?

The Minister of Communications (Shri K. Brahamananda Reddi) : (a) There are two categories of Runners : (i) Departmental Runners and (ii) Extra Departmental Mail Carriers/Runners. The Departmental Runner is a Class IV employee and dearness allowance ranging from Rs. 23.50 P.M. to Rs. 27.80 P.M. is admissible depending on his pay. In the case of Extra Departmental Mail Carriers/Runners no dearness allowance is admissible to them, as they are not whole-time Government servants. They are paid a consolidated amount as remuneration and ad-hoc increases to this remuneration are made from time to time.

(b) The Departmental Runners were last granted dearness allowance from 1-10-73. The E.D.M.Cs./Runners were last granted additional interim relief from 1-8-72.

गुजरात में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्व

***217. श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गड़बड़ी फैलाने वाले और हिंसात्मक गतिविधियों में पहल करने वाले तत्वों का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ग) जांच पड़ताल के निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) सरकार को मालूम है कि गुजरात में छात्रों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों ने अनाज की कमी और कुछ अन्य अनिवार्य वस्तुओं तथा ऊंचे मूल्यों की पृष्ठ भूमि में आन्दोलन किये थे। जब कि कानून का उल्लंघन करने से संबंधित विशिष्ट घटनाओं की राज्य प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है, इस मामले में कोई सामान्य जांच-पड़ताल नहीं की गई है।

(ख) और (ग) विशिष्ट मामले की जांच-पड़ताल के दौरान की गई गिरफ्तारियों के ब्यौरे तथा जांच-पड़ताल का परिणाम राज्य सरकार से प्राप्त किये जा रहे हैं तथा सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

'रोजगार के पांच लाख अवसर, (हाफ-ए-मिलियन जाब्स) योजना के अन्तर्गत पैदा किए गए रोजगार

***218. श्री विक्रम महाजन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "रोजगार के पांच लाख अवसर" (हाफ-ए-मिलियन जाब्स) योजना के अन्तर्गत 28 फरवरी, 1974 तक कितने रोजगार पैदा किए गए; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है और कितनी सफलता मिली है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांच लाख रोजगार के अवसर कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 फरवरी, 1974 तक कितने रोजगार सुलभ किए गए इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दिसम्बर, 1973 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 2.30 लाख रोजगार सुलभ किए जा चुके हैं।

(ख) चौथी योजना के दौरान, विभिन्न विकास क्षेत्रों में रोजगार सुलभ करने वाले योजना कार्यक्रमों जिनमें काफी रोजगार मिलने की सम्भावना थी, के अलावा बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार क्षेत्रों में अधिक कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष तथा कारगर ढंग से काम पर लगाने के लिए समय-समय पर अनेक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :——

1971–72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम तथा 1972–73 में केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्च-योग्यता प्राप्त इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों और वैज्ञानिकों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1971–72 के दौरान 9.81 करोड़ रुपये दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित लोगों के लिए लगभग 40,000 रोजगार के अवसर सुलभ हुए। 1972–73 के लिए शिक्षित बेरोजगारों तथा उच्च-योग्यता प्राप्त इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों और वैज्ञानिकों के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय बजट में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से शिक्षित बेरोजगारों के लिए 43 करोड़ रुपये, और इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों व वैज्ञानिकों के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए थे। परन्तु इसमें से वस्तुतः 49.40 करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप उक्त वर्ष शिक्षित लोगों को लगभग 68,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर सुलभ हुए। इन कार्यक्रमों के लिए 1973–74 के दौरान 48.26 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें इस प्रकार हैं :

1. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा कोटि में सुधार।
2. लघु उद्योगों की स्थापना के लिए छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता।
3. ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण।
4. कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना।
5. उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विस्तार।
6. सड़क परियोजनाओं की जांच।
7. ग्रामीण जलपूर्ति के लिए अभिकल्प एकक।
8. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की जांच।
9. प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण——भूमि और मृत्तिका का सर्वेक्षण, भूमिगत जल संसाधन, वन संसाधन और खनिज संसाधन।

राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम

वर्ष 1972–73 के दौरान राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम इस मंशा से आरम्भ किए गए थे कि रोजगार सुलभ करने की प्रक्रिया में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पूरी तरह लगाया जा सके। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट में 27 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसमें से 26.50 करोड़ रुपये राज्यों तथा 0.50 करोड़ रुपये संघ शासित क्षेत्रों में यह मानकर आवंटित किए गए थे कि राज्य भी इतनी ही मात्रा में संसाधन जुटायेंगे ताकि व्ययों में भी तदनुरूप उसी सीमा तक वृद्धि की जा सके। कतिपय राज्य जो वित्तीय कठिनाइयों में थे इस प्रकार का अंशदान न कर सके जब कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि समान अंशदान करने की स्थिति में थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को दिया जाने वाला आवंटन, कठोरता से राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया और उनसे कहा गया कि वे इस प्रकार की स्कीमें तैयार करें जो शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षितों तथा अशिक्षितों को रोजगार प्रदान करें। इसके परिणामस्वरूप, 1972–73 के दौरान विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 40 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्कीमें तैयार की गई जिनसे 3.70 लाख लोगों को रोजगार मिला। इनमें से 11,000 इंजीनियरों सहित 50,000 शिक्षित व्यक्ति थे। इस कार्यक्रम को 1973–74 के दौरान भी जारी रखा जा रहा है और इसके लिए 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार अवसरों का कार्यक्रम—1973-74

बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए ऊपर बताये गए प्रयत्न करने के अलावा, यह अनुभव किया गया कि बेरोजगारी की समस्या, विशेषकर शिक्षितों की बेरोजगारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अत: लगभग 5 लाख शिक्षित लोगों को रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1973–74 में 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था कर पांच लाख रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों ने प्रत्येक को आवंटित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्कीमें तैयार की हैं जिससे निम्न क्षेत्रों में निर्दिष्ट संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें :—

(1) इंजीनियरों और वैज्ञानिकों सहित विभिन्न वर्गों के रोजगार चाहने वाले शिक्षित लोगों को स्व-रोजगार देना;

(2) शिक्षित रोजगार चाहने वालों के लिए प्रशिक्षण ताकि प्रशिक्षण की समाप्ति पर वे रोजगारों में लगाए जा सकें; और

(3) इंजीनियरींग डिग्री/डिप्लोमाधारियों तथा शिक्षित लोगों के कतिपय अन्य वर्गों को रियायती रोजगार।

राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार दिसम्बर, 1973 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 2.30 लाख लोगों को रोजगार सुलभ किए जा चुके थे।

ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरीत स्कीम

यह स्कीम 1971–72 में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में, वर्ष के दौरान काम के दस महीने के अनुसार 1,000 व्यक्तियों को निरन्तर रोजगार सुलभ करना है। वर्ष 1971–72 के दौरान 31.22 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई जिसके परिणामस्वरूप 800 लाख श्रम-दिवस का रोजगार उपलब्ध हुआ। वर्ष 1972–73 में विभिन्न राज्यों द्वारा कुल 47.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसके परिणामस्वरूप 1,338 लाख श्रम-दिवसों का रोजगार सुलभ हुआ।

छोटे किसानों, नाममात्रा के किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

इस स्कीम का सूत्रपात 1969–70 में किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए छोटे किसानों, नाममात्र के किसानों तथा कृषि श्रमिकों के बुनियादी आधार को युक्तियुक्त ढंग से सुदृढ़ करना था ताकि कमजोर आर्थिक वर्गों का आर्थिक विकास किया जा सके। दिसम्बर, 1973 के अन्त तक लगभग 38 लाख लाभानुभोगियों का पता लगाया जा चुका था।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम संसाधनों वाले कतिपय कमजोर क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना है। मध्यम/छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, वन-वर्धन तथा सड़कों का निर्माण जैसे उत्पादन तथा श्रम सधन कार्यक्रमों का आयोजन कर अभाव की दशाओं की गम्भीरता को कम करना इस कार्यक्रम का काम है। वर्ष 1970–71 और 1971–72 के दौरान 30.80 करोड़ रुपये का कुल खर्च हुआ। राज्य सरकारों ने बताया है कि 1972–73 के दौरान 38.51 करोड़ रुपये खर्च हुए। अनुमान है कि आरम्भ से 1972–73 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 700 लाख श्रम-दिवसों का रोजगार सुलभ किया गया।

टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल के आवेदकों को लाइसेंस जारी करना

***219. श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग ने टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए पश्चिमी बंगाल के आवेदकों को लाइसेंस जारी करने के बारे में इलैक्ट्रानिक्स विभाग की राय मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) :(क) जी, हां।

(ख) इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य में प्रतिवर्ष प्रत्येक एकक में 2,500 टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने की क्षमता वाले दो और एकक स्थापित करने की स्वीकृति दी है। पश्चिम बंगाल के लिये कुल स्वीकृति क्षमता 20,000 सेट वार्षिक है।

महानगरों में विद्युतचालित ट्राली-बसें चलाना

***220. श्री पी० गंगादेव :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने चार महानगरों में विद्युतचालित ट्राली-बसें चलाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस से पेट्रोल की बचत करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने यह सुझाव दिया है कि "भारत हेवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड" को शहरी केन्द्रों में प्रयोग के लिए विद्युतचालित ट्राली-बसों के निर्माण तथा डिजाइन के लिए प्रौद्योगिक क्षमता का विकास करने के लिए कहा जाये।

(ख) डीजल तेल की खपत में बचत की मात्रा अन्य बातों के साथ साथ ट्राली-बसों के चलाने की दर पर निर्भर होगी।

Relaxing Restrictions on Arms Licensing

2004. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for not relaxing the restrictions on licensing of arms to Indian citizen for self-defence even after Independence ; and

(b) whether it is proposed to relax it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The restrictions have been considerably relaxed, as would be evident from the passing of the Arms Act, 1959, which came into force in 1962, replacing the Indian Arms Act, 1878.

(b) No proposal for further relaxation is under consideration.

सूरत में समाज सदन (सिविक हाल) से प्रधान मंत्री की प्रतिमा को हटाना

2005. श्री डी० बी० चंद्रगौड़ा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में समाज सदन (सिविक हाल) से प्रधान मंत्री की प्रतिमा को हटा दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह हिंसक आन्दोलन के दौरान हुआ। अब निगम के अधिकांश सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है और राज्य सरकार द्वारा उस निकाय को बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया है।

गया, नेवादा और जहानाबाद जिलों में डाकघर

2006. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में बिहार राज्य के गया, नेवादा और जहानाबाद जिलों में कुल कितने डाकघर खोले गये; और

(ख) वर्ष 1974–75 में इन जिलों में कितने नये डाकघर खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वांछित सूचना इस प्रकार है :—

जिला	वर्ष 1973–74 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
गया	4
नेवादा	2
गया जिले में जहानाबाद उप मंडल	कोई नही

(ख) हर जिले के लिए खास लक्ष्य निश्चित नहीं रखा जाता। डाकघर खोलने के सिर्फ वही प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। गया जिले के 5 प्रस्ताव, जिनमें जहानाबाद उप मंडल का प्रस्ताव भी शामिल है और नेवादा जिले के 4 प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं।

परमाणू बिजली घरों में पैदा की जा रही प्रति किलोवाट बिजली की लागत में वृद्धि

2007. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ वर्ष पहले लगाये अनुमानानुसार परमाणू बिजली घरों द्वारा सप्लाई की गई बिजली की लागत दो पैसे किलोवाट प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिये ;

(ख) क्या तारापुर परमाणु बिजली घर की बिजली लागत तीन पैसे किलोवाट प्रति घंटा है जबकि इसकी वर्तमान दर तिगुनी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तारापुर परमाणू बिजलीघर द्वारा दी जा रही बिजली की लागत में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु बिजलीघरों में पैदा होने वाली बिजली के मूल्य के बारे में जो अनुमान आरम्भ में लगाये गये थे वे उन बिजलीघरों पर उस समय आने वाली अनुमानित लागत पर आधारित थे। सन 1962 में लगाये गये ऐसे ही एक अनुमान के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजलीघर से प्राप्त होने वाली बिजली का उत्पादन मूल्य (जोकि बिजली के विक्रय मूल्य से, जिसमें बिजलीघर पर व्यय की गई राशि पर अर्जित होने वाले लाभ तथा आकस्मिक तथा बीमा कोष की व्यवस्था शामिल है) 75 प्रतिशत प्लांट फैक्टर पर 3.22 पैसे प्रति किलोवाट घंटा बैठता था। अब तारापुर परमाणु बिजलीघर में पैदा होने वाली बिजली का उत्पादन मूल्य 75 प्रतिशत प्लांट फैक्टर पर 5.1 पैसा प्रति घंटा बैठता है। यह उत्पादन मूल्य, तापीय बिजलीघरों में पैदा होने वाली बिजली के उत्पादन मूल्य की तुलना में संतोष-जनक है।

(ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर में तैयार होने वाली बिजली की कीमत के अधिक होने के कारण हैं—रुपये के अवमूल्यन (वर्ष 1966 में) के कारण पुंजीगत लागत में वृद्धि होना, अमरीका से आयात किये जाने वाले समृद्ध यूरेनियम इंधन की कीमत में बढ़ोतरी होने के परिणामस्वरूप पुनरावर्तक लागत में वृद्धि होना तथा सीमा शुल्क में हुई वृद्धि। यद्यपि वृद्धि के ये कारण परमाणु ऊर्जा विभाग के वश की बात नहीं है तथापि बिजलीघरों के संचालन तथा अनुरक्षण व्यय में यथासम्भव कमी करके तथा ईंधन का अधिकतम सदुपयोग करके बिजली के उत्पादन मूल्य को कम से कम रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

परमाणु बिजली घरों में विद्युत उत्पादन

2008. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चल रहे और निर्माणाधीन परमाणु बिजली घरों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उत्पादन स्तर प्राप्त कर चुके सभी संयंत्र अपनी पूरी क्षमतानुसार उत्पादन कर रहे हैं, यदि नहीं तो क्यों; और

(ग) क्या सरकार ने देश के ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरीक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं :—

बिजलीघर का नाम	उत्पादन क्षमता
1. तारापूर परमाणु बिजलीघर .	420 मैगावाट (210 मैगावाट क्षमता के दो यूनिट)
2. राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना	
पहला यूनिट . . .	200 मैगावाट
दूसरा यूनिट . . .	200 मैगावाट
3. मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	
पहला यूनिट . .	235 मैगावाट
दूसरा यूनिट . .	235 मैगावाट
4. नरौरा परमाणु परियोजना	
पहला यूनिट	235 मैगावाट
दूसरा यूनिट	235 मैगावाट

(ख) उपरोक्त बिजलीघरों में से, तारापुर परमाणु बिजलीघर तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट व्यावसायिक स्तर पर बिजली पैदा कर रहे हैं तथा शेष यूनिट अभी निर्माणाधीन हैं। तारापूर परमाणु बिजलीघर ने व्यावसायिक स्तर पर बिजली का उत्पादन, 3 अक्तूबर, 1969 को शुरु कर दिया था तथा उसके बाद यह बिजलीघर उन अवस्थाओं में जब इसके ईंधन को बदलने/इसके अनुरक्षण से सम्बन्धित आवश्यकताओं एवं ट्रांसमिशन प्रणालियों से सम्बन्धित समस्याओं से उत्पन्न बाधायें नहीं रही है, अपनी सामान्य उत्पादन क्षमता से बिजली पैदा करता रहा है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने 15 दिसम्बर, 1973 से व्यावसायिक स्तर पर बिजली पैदा करनी शुरू कर दी थी तथा उसके बाद यह यूनिट 140 मैगावाट स्तर बिजली पैदा करता रहा है। इस यूनिट की क्षमता अगस्त/सितम्बर 1974 तक धीरे-धीरे बढ़ा कर पूरी कर दी जायेगी। इससे पहले बिजली का उत्पादन पूरी क्षमता से कर सकना इसलिए सम्भव नहीं है कि रिएक्टर में प्रारम्भिक ईंधन को भरते समय अपेक्षित मात्रा में आरेचित इंधन के बंडल उपलब्ध नहीं थे तथा उनके स्थान पर नैसर्गिक यूरेनियम के इंधन के बंडलों का प्रयोग किया गया था।

(ग) परमाणु बिजलीघरों में आन्तरिक सुधार कर तथा इसकी बाह्य ट्रांसमिशन प्रणालियों में सुधार करके लगातार यह कोशिश को जा रही है कि उनकी उत्पादन-क्षमता में अधिकतम वृद्धि की जाए।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन वर्ष 1973 में लोगों पर मुकदमें

2009. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन सभी राज्यों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये ;

(ख) क्या अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है अथवा कमी के संकेत मिलते हैं; और

(ग) यदि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो इस स्थिति के साथ निपटने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीफोन केंद्रों की स्थापना

2010. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टेलीफोन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनकी स्वीकृति वर्ष 1973 की प्रथम छमाही में डाक-तार विभाग के विचाराधीन थी ;

(ख) क्या इनमें से कुछ केन्द्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है, और यदि हां; तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) शेष केन्द्रों की स्थिति क्या है और इनके बारे में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ; और

(घ) अब तक स्वीकृत किए गए सभी टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (घ) यह सूचना सभी सर्किलों से एकत्र की जा रही है, जिनके अधीन करीब 125 तार/टेलीफोन इंजीनियरी डिवीजन और 360 तार/टेलीफोन सब-डिवीजन हैं। पूरी सूचना एकत्र हो जाने के बाद उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

वर्ष 1973 के दौरान दिल्ली में अपराध

2011. श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री भगीरथ भंवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस की हत्या के कितने मामलों की सूचना दी गई थी;

(ख) उनमें ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो इस बीच निपटा दिये गये हैं और अपराधियों को दंड देने के बारे में निर्णय दे दिये गये हैं;

(ग) उनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो न्यायालयों में अभी तक विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) अपराध की घटनाओं को कम करने और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 151।

(ख) 3।

(ग) 37।

(घ) हत्या के ये मामले अधिकांश तौर पर भावोत्तेजक दबाव तथा तनाव के अन्तर्गत तथा समय की गति से प्रेरित होकर किए गये थे। इन परिस्थितियों में पुलिस की रोकथाम की भूमिका सीमित है। किन्तु ऐसी घटनाओं को रोकने तथा इन मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(1) सब-डिवीजन पूलिस अधिकारियों तथा थाना अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गस्त बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गये हैं ;

(2) एसी अप्रिय घटनाओं के निराकरण के लिए लम्बे अर्से से चले आ रहे झगड़ों के मामलों में निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

(3) हत्या के मामलों को सामान्यरूप से राजपत्रित अधिकारियों की निकट से देख रेख के अन्तर्गत थाना अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और उनके शीघ्रता से निर्णय के लिए न्यायालय में इन मामलों के अभियोजन में निजी तौर पर रुचि लेते हैं।

Disappearance of an Indian Businessman Shri T. P. Sondhi From Delhi

2012. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether about four or five months back Police had registered a case in Delhi about the disappearance in a mysterious way of an Indian businessman, Shri T. P. Sondhi, who had come from abroad :

(b) Whether the Delhi Police has not been able to solve this mystery so far; and

(c) Whether Government have also received some complaints from the family members of Shri Sondhi in this regard, and if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) Yes, Sir, A case under section 304 IPC was registered a' Policen Station Sarai Rohilla regarding the allaged death of Shri T. P. Sondhi.

(b) Police investigations made so far reveal that Shri T. P. Sondhi met with an accident with a cyclist while driving a car in the night intervening between 23rd and 24th September, 1973. A mob had formed at the place and it is alleged that Shri T. P. Sondhi had been beaten and thrown in a nala by the mob. Despite the best efforts of the police, his body has not beet traced so for.

(c) The wife of Shri T. P. Sondhi has represented that she suspects foul play in the disappearance of her hushbnd and has alleged that has been either kidnapped or murdered. The investigation of the case is being pursued vigorously.

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास

2013. **श्री वयालार रवि :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए योजना आयोग पूर्णतया स्थापित 'टास्क फोर्स' की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कृतिक बल (स्टाक फोर्स) ने सिफारिश की थी कि केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए योजना में इसका कुल अंश 44.08 करोड रुपये हो सकता है । इसमें सन्देह नहीं है कि इसका पर्याप्त भाग संस्थागत स्त्रोंतों से प्राप्त होगा । योजना आयोम में राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केरल के नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए 12 करोड रुपये का परिव्यय अस्थायी रुप से नियत किया गया है । इसके साथ ही योजना आयोग ने राज्य सरकार से नारियल जटा उद्योग के विकास तथा पुनः स्थापन्न के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के विस्तृत आकलन भेजने के लिए कहा है जिससे मुख्य रुप में संस्थागत वित्त के माध्यम से कितने परिव्यय को पूरा किया जा सकता है इसका पता लग सके, रिपोर्ट पर और अधिक विचार किया जा सके।

Pak Nationals Holding Pak Passports in Himachal Pradesh

2014. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals holding Pakistani passports in Himachal Pradesh at present, district-wise, on the basis of authentic information of Government ; and

(b) the number among them of those whose visa was extended during the last six months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) One in district Solan as on 31st December, 1973.

(b) Nil.

प्रधान मंत्री द्वारा किये गये दौरों पर व्यय

2015. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा गत दो वर्षों में चुनाव तथा अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिये किये गये दोरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और कांग्रेस दल को दी गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री कोई यात्रा तथा दैनिक भत्ता नहीं लेती है । प्रधान मंत्री सचिवालय ने, सचिवालय के उन अधिकारियों क यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर 3458.35 रुपये का व्यय किया था, जो 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1973 तक की अवधि में प्रधान मत्री के साथ देश में उनके दौरों—सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों—में गये थे। उपरोक्त दौरों में प्रधान मंत्री की ओर से 950 रुपय की राशि इनाम के रूप में दी गई थी। उपरोक्त व्यय का कोई भाग राज्य सरकारों अथवा राजनैतिक दल के साथ नहीं बांटा जा सकता है ।

Pak Nationals Staying on Long-Term visas in Tamilnadu

2016. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals staying on long term visas at present in Tamilnadu district-wise ; and

(b) the number of person out of them whose visas were renewed more than once ;

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Forest-Oriented Industries in Madhya Pradesh

2017. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be please to state;

(a) whether Government have under consideration any new scheme to set up forest-oriented industries in Madhya pradesh as there are vast area under forest in the State; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) No, Sir. However, with a view to indentify the industries based on local resources, the Small Industries Development Organisation has conducted techno-economic surveys of certain districts and a number of industries based on forest produce have been indentified such as :—

1. Card Board Containers (rounded or irregular shaped) with Metal Lids and Bottoms.
2. Corrugated Paper Board and Boxes.

3. Fancy Paper Wettings.

4. Paper/Fibre Cans, Barrels, Drum to pack Liquids (for inside dia, of 25 to 850 mm.)

5. Paper Thread.

6. Straw Board.

7. Waxed Paper for wrapping Bread.

8. Fuel Briquettes.

9. Plywood Drums (30 Kgs. and 50 Kgs. cap.).

10. Wood Wool.

11. Bamboo Matting, Drappery and Bind.

12. Rope and Ban.

13. Sports Goods, etc.

With a view to encouraging the growth of industries based on local resources, the Rural Industries Projects Programme has also been started. Apart from the four districts of Durg, Bhind, East Nimar and Sarguja covered under the programme during the Fourth Plan, five new districts are included for the Fifth Plan. These are Seoni, Chattarpur, Mandla, Raigarh and Rajgarh. Preliminary work such as conduct of techno-economic surveys and preparation of plan for development has already been started in these districts. Actual implementation of the programme is likely to start from the 1st April, 1974.

In addition, letters of intent have been issued to seven parties for establishment of paper mills.

Automatic Telephone Links between Cities of Madhya Pradesh and Principal cities of other States

2018. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communidations** be pleased to state :

(a) whether a proposal is included in the Fifth Five Year Plan for introducing automatic telephone links among certain cities of Madhya Pradesh and principal cities of other States; and

(b) if so, the names of those cities of Madhya Pradesh and of other States proposed to be so linked ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Indore, Bhopal, Ujjain, Jabalpur and Raipur in Madhya Pradesh are likely to get Subscriber Trunk Dialling Service among themselves and to other stations such as Bombay, Surat, Nasik, Ahmedabad, Rajkot, Baroda, Poona and Nagpur. Gwalior would get Subscriber Trunk Dialling service to station such as Bopal, Agra, Delhi, Jullundur, Chandigarh, Jaipur, Kanpur, Ambala.

A. I. R. Expansion Schemes in Madhya Pradesh

2019. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be placsed to state :

(a) Whether All India Radio has spent only 25 per cent of the allocated total outlay so far on the expansion schemes in Madhya Pradesh and if more money has been spent; the extent thereof ; and

(b) whether the amount allocated for 1972-73 has been spent fully ; and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) All India Radio has spent about 42% of the Fourth Plan allocation of Rs. 3,33,66,000 on All India Radio Expansion Schemes in Madhya Pradesh.

(b) An amount of Rs. 44,20,000 was spent on All India Radio capital projects during the year 1972-73 as against the sanctioned budget grant of Rs. 66,81,000. The shortfall in expenditure was largely due to non-receipt of equipment from Bharat Electronics Limited in time and to some extent on civil works.

डा० बी० आर० अम्बेडकर, डा० राम मनोहर लोहिया और डा० राजेंद्र प्रसाद की विरासत का सम्मान करने के लिये की गई कार्यवाही

2020. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री प० जवाहर लाल नेहरू और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विरासत का सम्मान करने के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 236 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2282 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० बी० आर० अम्बेडकर, डा० राम मनोहर लोहिया और डा० राजेंद्रप्रसाद की विरासत का सम्मान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्य करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को तदर्थ अनुदान

2021. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या है जिन्हें राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्य करने के लिये स्वयंसेवी संगठनों को तदर्थ अनुदान देने की योजना के अधीन अनुदान दिये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, अलग-अलग, उपरोक्त संघटनों को अनुदान की कितनी राशी प्राप्त हुई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) एक विवरण सलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ए० टी० 6333/74**]

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी

2022. **श्री अम्बेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1973 को भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मेहतरों को छोडकर, श्रेणीवार, कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या थी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मंत्रालयों/विभागों से 31 दिसम्बर 1973 (अथवा पहली जनवरी, 1974) तक की सूचना अभी देय (ड्यू) नहीं है। किन्तु, 29 मंत्रालयों/विभागो के सम्बन्ध में पहली जनवरी, 1973 तक की और शेष मंत्रालयों / विभागों के संबंध में पहली जनवरी, 1972 तक की प्राप्त सूचना को संलग्न विवरणों (अनुलग्नक I तथा II) में दिया जाता है [**ग्रंथालय में रखे गये। दखिये संख्या ए० टी० 6334/74**]

ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास

2023. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की करेंगे कि क्या सरकार ने तेल संकट को देखते हुए र्जा के अनक देशीय वैकल्पिक साधनों का विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण तेल के उपभोग में कमी लाने और दूसरी प्रकार के ईंधनों, जैसे कोयला या विद्युत का प्रयोग करने की विभिन्न सम्भावनाओं पर सरकार विचार कर रही है। कोयले की तेल के स्थान पर बिजली उत्पादन, औद्योगिक भट्टियों तथा उर्वरक उत्पादन में प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कई तकनीकी समितियों का गठन किया गया है। अन्य प्रकार की ऊर्जा, जैसे वायु-शक्ति, समुद्री ज्वार शक्ति आदि के उपयोग की सभावनाओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग विचार कर रहा है।

Exploration of Vanaspati Oil from Sea

2024. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Scinece and Technology** be pleased to state :

(a) whether many countries have succeeded in exploring Vanaspati Oil from the sea ;

(b) if so, the efforts made by India in this direction ; and

(c) the countries which are helping or propose to help India in this respect indicating the nature thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) Government have no information in the matter. No work on production of Vanaspati oil from sea has been undertaken in India.

राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना

2025. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उक्त शक्ति सम्पन्न राष्ट्रीय ऊर्जा बोर्ड स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति विश्वसनीय तथा मितव्ययी ढंग से की जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वयकारी संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस समन्वयकारी संगठन के कार्यों में वे सब तत्व शामिल होंगे जो कि इन उद्देश्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने की कार्यवाही के लिए आवश्यक हैं।

यद्यपि सरकार ने ऊर्जा बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया तथापि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तथा पैट्रोलियम, कोयला, बिजली, रेलवे तथा अन्य मामलों म सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों में अपेक्षित समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल तथा प्रशासकीय स्तर पर पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं।

राष्ट्रीय आय

2026. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान मूल्यों और स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस बार में योजना लक्ष्यों और वास्तविक कार्यकरण के बीच अन्तर रहा है, ;

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य और कार्यकरण के बीच वास्तविक अन्तर कितना है, ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) आंकडों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटलपर रखे जाएंगे।

विद्युत संकट दूर करने के लिए किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट

2027. **श्री पीलू मोदी :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में विद्युत संकट दूर करने की संभावनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण-रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित बातों के सन्दर्भ में देश में इस विद्युत संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) विद्युत संकट पर काबू पाने की संभावनाओं पर योजना आयोग ने किसी प्रकार के क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किए । परन्तु यह विद्युत स्थिति, संचालन और उपलब्ध निर्माण क्षमता का उपयोग तथा लगभग पूरी होने वाली परियोजनाओं पर होने वाले निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के बारे में निरन्तर अध्ययन कर रहा है । वर्तमान विद्युत संकट से निबटने के लिए सरकार कतिपय कदम पहले ही उठा चुकी है । जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये वे इस प्रकार हैं :—

(1) अधिकांशत: थर्मल बिजली घरों का असंतोषप्रद गति से काम करने के कारण है घटिया रखरखाव, फालतू पुर्जो का उपलब्ध न होना और संभारित कोयले की किस्म घटिया होना । बिजली घरो के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जे या तो प्राप्त किए जा चुके हैं अथवा उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। कतिपय बिजली घरों खासकर पूर्वी क्षेत्र में फालतू पुर्जे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये गय थे । बिजली घरों के रखरखाव और फालतू पुर्जो के निर्माण और संभरण के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स ने फालतू पुर्जे और सेवा संगठन स्थापित कर दिया है । थर्मल स्टेशनों को खास कोयला क्षेत्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है । हर रोज थर्मल बिजली घरों को कोयल का संभरण सुनिश्चित रूप से होता रहे यह सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक प्रबोधन कक्ष स्थापित किया गया है ।

(2) प्रत्येक क्षेत्र में समन्वित आधार पर संयंत्र रखरखाव की समय सारिणी तैयार की जा रही है । केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित अन्त: राज्य लाइनों द्वारा बेशी राज्यों से बिजली कमी वाले राज्यों को दी जा रही है । इस समन्वित संचालन द्वारा अधिकतम उपयोग के समय से अतिरिक्त जो बिजली है उसका उपयोग किया जा रहा है ।

4—4 L.S.S./74

(3) धन आवंटित करते समय विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है । जिन परियोजनाओं पर काफ़ी निर्माण कार्य किया जा चुका है उनमें से कुछ को शीघ्रता से पूरा करने के लिए योजनाओं में दिए गये व्ययों से अधिक धन दिया गया । खास खास परियोजनाओं के लिए 1972–73 में लगभग 41.5 करोड़ रुपये तथा 1973–74 में लगभग 42 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त परिव्यय दिये गये ।

विद्युत घरों दैनन्दिन संचालन पर नजर रखने तथा निर्माण में प्रबोधन करने तथा समय सारिणी के अनुसार लक्षित तिथियों पर परियोजनाओं को चालू करने के लिए योजना आयोग, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय जल विद्युत आयोग में प्रबोधन कक्षों की स्थापना की जा रही है ।

(4) परियोजनाओं को इस्पात, सीमेन्ट, विस्फोटक जैसे दुर्लभ सामग्री उपलब्ध करने के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

भारत में विदेशी कंपनियों की शाखाओं द्वारा किया गया अनुसंधान और विकास कार्य

2028. **श्री धनशाह प्रधान :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों की कुछ सहायक कंपनियां जिनमें काफी विदेशी शेयर हैं भारत में कम लागत के आधार पर कर सुविधाओं का लाभ उठाकर अनुसंधान और विकास कार्य कर रही है और वह अंतिम अवस्था पहुंचने पर अथवा जबकि ठोस परिणाम निकलने वाले हों तो वे इनकी अपनी मूल कंपनी को भेज देते हैं ताकि वह कंपनी सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर अपने नाम से उसे पेटेंट करा कर उस जानकारी को भारत में अथवा विदेशों में अन्य कंपनियों को बेच सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इस विभाग के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य हेतु कर लाभों का उपयोग

2029. **श्री धनशाह प्रधान :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो कि विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं अथाव जिनके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी शेयर हैं और जो अपने प्रयोग के लिए अथवा दूसरों के उपयोग के लिए अनुसंधान और परियोजना विकास कार्य कर रही है ;

(ख) ऐसी प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कितना धन अनुसंधान और परियोजना विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ व्यय किए गए धन पर इन कंपनियों को कर लाभ के रूप में कितनी छूट मिलती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकृत फर्मों के ब्योरों का विवरण संलग्न है ।

(ग) कंपनियों को कर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के उपयुक्त उपबन्धों के अनुसार प्राप्त होता है । इन उपबन्धों का ब्यौरा देने वाला एक नोट संलग्न है । प्रत्येक कम्पनी को कितनी राशि कर लाभ के रूप में प्राप्त हुई, उसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिनके पास पर्याप्त (40% से अधिक) विदेशी इक्विटी शेयर हैं अथवा जो विदेशी कम्पनियों की सहायक हैं तथा अनुसंधान और विकास कार्य कर रही है

कम्पनी का नाम	अनुसंधान और विकास हेतु पूंजी निवेश 1972-73 (लाख रुपयों में)	टिप्पणी
1. कार्बोरन्दम् युनिवर्सल, मद्रास	13.82	
2. हिंदुस्तान लिवर्स लिमिटेड, बम्बई	78.65	आंकड़े कैलेंडर वर्ष के लिये हैं
3. सीबा, बंबई	301.98	आंकड़े कैलेंडर वर्ष के लिये हैं
4. ग्लैक्सो लेबोरेटरीज इंडिया लि०, बम्बई	90.89	"
5. इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०, बम्बई	8.51	
6. इंडियन डेटोनेटर लिमिटेड, हैदराबाद	24.72	
7. सियरली इंडिया लि०, बम्बई	3.87	आंकड़े कैलडर वर्ष के लिये हैं
8. ओर्गानन इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	3.57	
9. बुश इंडिया लि०, बम्बई .	16.01	आंकड़े कैलेंडर वर्ष के लिये हैं
10. सेन्डोज़ (इंडिया) लि०, बम्बई	17.16	"
11. फिलिप्स इंडिया, लि०, बम्बई	98.22	"
12. इंडोफिल केमिकल्स, लि०, बम्बई	4.28	"
13. रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०, बम्बई	12.01	
14. सिमन्स इंडिया लि०, बम्बई .	62.08	
15. मोदीपन लि०, मोदीनगर	6.30	
16. मर्फी इंडिया लि०, बम्बई .	17.97	आंकड़े कैलेंडर वर्ष के लिये हैं
17. मैटल बॉक्स कम्पनी आफ इंडिया लि०, कलकत्ता	36.13	
18. बूटस कं० (इंडिया) लि०, बम्बई	2.42	आंकडे 1970-71 के लिये हैं
19. गुडलैस नैरोलेक पेंटस् लि०, बम्बई	11.50	

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सचिव के पद पर किसी डाक्टर का नियुक्त किया जाना

2030. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सचिव के पद पर किसी डाक्टर को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आल इण्डिया मेडिकल ऐसोसिएशन ने इस आशय का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस व्यावसायिक संस्था के विचारों का पता लगायेगी?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के वर्तमान सचिव दिसम्बर, 1974 में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले हैं। किसी उपयुक्त उत्तराधिकारी को नियुक्त किए जाने के प्रश्न पर उचित समय पर ही विचार किया जाएगा।

(ख) हाल ही के पिछले दिनों में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारत सरकार में सचिवों के पदों पर नियुक्तियां पात्र अधिकारियों में से गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए चयन के आधार पर की जाती है और इस प्रयोजन के लिए किसी एसोसिएशन अथवा व्यावसायिक निकायों से विचार विमर्श करने की कोई पद्धति नहीं है।

भारत-बुलगारिया व्यापार वार्ता

2031. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में भारत-बुलगारिया वार्ता दोनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) वार्ता से उन विशिष्ट क्षेत्रों को मूर्तरूप दिया गया जिनमें दो देशों के बीच पारस्परिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग हो सकता है। दोनों देश समय समय पर सहयोग के क्षेत्रों पर पुनः विचार करने के लिए सहमत हुए।

Arrest of Persons in Connection with a Case of Dacoity in the Union Bank of India

2032. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Home Affaias** be pleased be state :

(a) the number of persons arrested in connection with a case of dacoity in the Union Bank of India, Delhi ;

(b) whether a person of Bhopal helped Government primarily in apprehending these youths ;

(c) if so, the facts of the incident ; and

(d) the amount recovered from their possession so far out of the amount looted in the dacoity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Six.

(b) It will not be in public interest to disclose sources of information of the police.

(c) On 28-9-1973, a cash van of Union Bank of India, carrying Rs. 6 lacs, was looted at Thompson Road, Delhi. The culprits shot dead the armed guard and injured the driver of the van, who subsequently expired in the hospital on 4-10-1973. The culprits took away Rs. 6 lacs and the gun after driving the van to a lonely place behind Barron Road's quarters.

(d) Rs. 5,71,734 have been recovered from the possession of the accused and also at their instance.

ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी द्वारा क्षमता का कथित विस्तार

2033. **श्री रानेन सेन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी स्वामित्व वाली ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी ने सरकार की मंजूरी के बिना अपनी क्षमता का विस्तार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं और कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) सूचना मिली है कि मद्रास के लाइसेन्स प्राप्त एकक में बिस्किटों का उत्पादन एक पाली के आधार पर 12 मी० टन प्रतिवर्ष की लाइसेन्सीकृत क्षमता की तुलना में तीन पालियों के आधार पर लगभग 7,000 मी० टन है ।

उपयुक्त कार्रवाई विचाराधीन है ।

राज्यों के संतुलित औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की कुछ मुख्य मंत्रियों की मांग

2034. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों में उनके राज्यों की उपेक्षा किए जाने की शिकायत की है;

(ख) क्या देश के सभी भागों के संतुलित औद्योगिक और आर्थिक विकास की मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करके और निजी उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करके क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के साथ-साथ उनके राज्यों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र किया जाए ।

(ग) इससे सम्बन्धित दृष्टिकोण तथा नीति पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप, जो सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है के भाग 2 के पृष्ठ 134 पर और अध्याय 14 में बताया गया है ।

भूतपूर्व नरेशों को संक्रमणकालीन भत्ते (ट्रांजीशनल भत्ते) का भुगतान

2035. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व नरेशों को संक्रमणकालीन भत्ते (ट्रांजीशनल भत्ते) के भुगतान के लिए गत बजट में कोई व्यवस्था की गयी थी;

(ख) क्या उन्हें यह भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार का भुगतान करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) भूतपूर्व नरेशों को कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि सरकार को तब तक भुगतान न करने की सलाह दी गई थी जब तक कि संविधान (24 वां, 25 वां तथा 26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 को वैधता को चुनौती देते हुए दो भूतपूर्व नरेशों द्वारा दायर की गई रीट याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ज्ञात न हो जाये। कुछ भूतपूर्व नरेशों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रख कर मामले में पुनर्विचार किया जा रहा है ।

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 'इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया' के वार्षिक अंक पर प्रतिबंध

2036. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा "इलस्ट्रेडिड वीकली आफ इंडिया" के 1973 के वार्षिक अंक पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे प्रेस-स्वातंत्र्य का अतिलंघन हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर रणवीर दण्ड विधान की धारा 153(क) के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है, क्योंकि उस वार्षिक अंक में एक ऐसा लेख था जिससे, राज्य सरकार की राय में, राज्य में विभिन्न समुदायों के प्रति दुर्भावना तथा घृणा के फैलने की आशंका थी। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस प्रकार मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

पूर्वी सीमा पर स्थिति

2038. **श्री एस० कताम्तु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर में त्रिपुरा सरकार से तुरन्त कार्यवाही हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें पूर्वी सीमा पर उत्पन्न हो रही स्थिति पर कड़ी निगाह रखने को कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीन द्वारा नागा गतिविधियों में रुचि लेना

2039. **श्री एम० सुदर्शनम्** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अभी हाल में नागा गतिविधियों में रुचि लेना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को यह जानकारी नहीं है कि हाल ही में चीन ने नागाओं के मामले में रुचि लेना आरंभ कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Testing Plant Set up at Jealgora by the Central Fuel Research Institute to Extract Oil from Coal

2040. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Central Fuel Research Institute has set up a testing plant at Jealgora in Bihar which can extract oil from coal ; and

(b) if so, the success achieved so far ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The Plant has not yet been set up completely.

(b) Does not arise.

प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में जनशक्ति अध्ययन

2041. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए विस्तृत जनशक्ति अध्ययन करने के बारे में व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसके निष्कर्ष निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जी, हां ।

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के जनशक्ति अध्ययनों को अनुसंधान के नियमित कार्यक्रमों के रूप में हाथ में लेता है । ये अध्ययन प्रायः विभिन्न आर्थिक, प्रौद्योगिकीय तथा इन क्षेत्रों के कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों (पैरामीटर्स) में पारस्परिक सम्पर्क बढ़ाने के लिए किए जाते हैं ।

पांचवी योजना को तैयार करने के संबंध में योजना आयोग के द्वारा रोजगार तथा जनशक्ति के लिए स्थापित संचालन दल के कहने पर व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को आवश्यक जनशक्ति के रूप में परिणत करने के लिए, जैसा कि दृष्टिकोण दस्तावेज में संकेत किया गया है, अभी हाल ही में एक अध्ययन प्रारंभ किया है । अध्ययन का आधारभूत लक्ष्य, पांचवीं योजना अवधि के दौरान पैदावार की वृद्धि की दरों, अतिरिक्त रोजगार जिसकी विभिन्न व्यवसायों तथा विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने की संभावना है, का अनुमान लगाना है, यह अध्ययन प्रगति पर है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के द्वारा, आवास तथा शिक्षा, भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण तथा जनशक्ति पर गठित योजना दल के अनुरोध पर संस्थान ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान भवन निर्माण कार्यकलापों के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं के अध्ययन को हाथ में लिया है। यह अध्ययन अब पूरा हो गया है । इस अध्ययन के अनुसार 10.7 लाख अतिरिक्त रोजगार सुलभ किए जाएंगे, जिसमें निर्माण के व्यवसायों में लगे 6 लाख राजों (मेसन्स) बाढ़ई तथा अन्य कुशल कारीगरों के लिए रोजगार सम्मिलित होंगे ।

रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा करने के कार्यक्रम पर राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट

2042. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों के लिये पांच लाख रोजगार के अवसर बनाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि कार्यक्रम की क्रियान्विति की गति धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम में कई प्रकार की स्कीमें सम्मिलित है, नामतः :—

(क) उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में लघु उद्यमियों द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने से संबंधित स्वनियोजन स्कीमें;

(ख) विभिन्न विभागों में अंततः समाविष्ट कर लिए जाने की दृष्टि से प्रशिक्षण स्कीमें;

(ग) शिक्षित बेरोजगारों, जैसे कि इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों आदि को राज सहायता युक्त रोजगार देने के लिए निजी रोजगारदाताओं को प्रोत्साहन देने की स्कीमें ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने में राज्य सरकार ने कुछ समय जरूर लगाया ताकि शिक्षित बेरोजगारों को उपलब्ध धन तथा सुविधाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। इस सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी कि केवल वही स्कीमें शुरू की जायें जो व्यावहारिक हों या जिनसे रोजगार प्राप्त होने की संभावना हो ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक प्रबन्ध करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, प्रोत्साहन तथा परामर्शदाता संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ा और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाना पड़ा। अब यह कार्यक्रम गति में आ गया है और समय समय पर अनुभव की गई कठिनाइयों का मुकाबला जोरदार तरीकों से किया जाता है। कई राज्यों में विभिन्न स्वरूप की स्कीमों में संतोषजनक प्रगति हुई है। राज्यों में इस कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संभव उपाय अपनाया गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस तथ्य के बावजूद भी कि 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय में 30 करोड़ रुपए की बचत करना अनिवार्य हो गया, अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार दिसम्बर, 1973 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 2.30 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है।

गुजरात को टायरों की सप्लाई

2043. श्री वेकारिया :

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से राज्य परिवहन निगम को टायर देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग कितनी थी; और

(ग) कितने टायर सप्लाई किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) गुजरात की राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सड़क परिवहन निगम को टायरों की सप्लाई बढ़ा देने के लिए निवेदन किया था। दि चन्ना आटोमोटिव टायर इंडस्ट्री से निगम की आवश्यकता पूरी करने के लिए कहा गया है।

Indian Citizenship to Bihari Muslims who fled to Nepal during Indo-Pak War

2044. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some Bihari Muslims, who had fled to Nepal during Indo-Pak war, have expressed their desire to come over to India ;

(b) if so, whether Government of India had granted them the citizenship of India and if so, when and whether they are reluctant to go to Pakistan or whether Pakistan is avoiding their repatriation to that country; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Government have no such information.

(b) and (c) Do not arise.

Housing Facilities for Jawans Attached to Various Battalions at C. R. P. Headquarter, Neemuch, M. P.

2045. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether sufficient housing facilities are not available for the jawans attached to various battalions at C. R. P. Headquarter, Neemuch, Madhya Pradesh ; and

(b) the number of battalions stationed there and the number of residential quarters available there at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) No C.R.P.F. Bn. is at present stationed at Neemuch. However, some C.R.P. Offices like D.I.G. Office, Group Centre, Signal Group Centre, C.R.P.F. Base Hospital and Central Training College I are located there. As against the authorisation of 927 Family quarters and 15 single-men's barracks, 485 Family quarters and 6 single-men's barracks are available at present.

Standard of Salt fit for Human Consumption

2046. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether so far 96.5 per cent pure salt is supposed to be fit for human consumption;

(b) whether Government have declared 92 per cent pure salt fit for human consumption which was so far considered fit for animals only ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether it will have adverse effect on health ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) to (d) The standard of purity of edible common salt prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 is 96 per cent sodium chloride content. However, keeping in view the fact that the co-operative and unlicensed manufacturers of salt have not yet attained this standard, Government decided that no prosecutions might be launched or penal action taken under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 against those engaged in dealing in edible common salt with a minimum of 92 per cent sodium chloride but conforming to all other standards laid down in the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, for a period upto the end of January, 1974. The question of extending the relaxation for a further period of one year i.e., upto the end of January, 1975 is under consideration of the Government. The reduction of purity from 96% to 92% does not pose any health hazard nor is there any scientific evidence to prove that salt of 92 per cent purity is fit for animal consumption only.

लघु उद्योगों में इंजीनियरों को रोजगार देना

2048. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में विशेषकर मिदनापुर जिले (पश्चिम बंगाल) में लघु उद्योगों में कितने इंजीनियरों को रोजगार दिया गया ?

(ख) दिसम्बर, 1973 के अन्त तक देश में बेरोजगार इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) उन्हें कब तक रोजगार जुटा दिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तकनीकी उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना के अधीन मार्च, 1973 तक विभिन्न राज्यों में 3587 युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया । इनमें से 685 उद्यमियों ने या तो अपने कारखाने लगा लिए हैं अथवा अपने उद्योग स्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं । मिदनापुर जिला (प० बंगाल) के सम्बन्ध में अलग से आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 30 जून, 1973 को 77797 इंजीनियर रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध थे।

(ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में बढे हुए निवेश कार्यक्रम से भृतिनियोजन तथा स्वनियोजन के नए रोजगार के अवसरों पर में पर्याप्त वृद्धि होगी।

सरकार आयोग द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

2049. श्री बेकारिया :

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने वाले सरकार जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । फिलहाल आयोग की कार्यावधि को 17 फरवरी, 1975 तक बढ़ा दिया गया है ।

इलैक्ट्रोनिक्स सामान के लिये पृथक आयात निर्यात निगम

2050. श्री पीलू मोदी :

श्री वसंत साठे :

क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रोनिक सामान के आयात और निर्यात के लिये पृथक निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप देश में इलैक्ट्रोनिक उद्योग को कहां तक बढावा मिलेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार एक पृथक इलैक्ट्रोनिक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । अपने विभिन्न कलापों में इलैक्ट्रोनिक सामान का आयात एवं निर्यात भी इस निगम का एक कार्य होगा ।

(ख) प्रस्तावित निगम उन विशेष रसायनों, एवं उच्च वर्ग की शुद्धता के कच्चे माल आदि का आयात करेगा, जिनको इलैक्ट्रोनिकी उद्योग को अल्प मात्रा में अपेक्षा है। इससे उन क्षेत्रों में उचित मात्रा में स्टाक जमा करना संभव हो सकेगा, जहां माल कठिनाई से अथवा बहुत समय बाद उपलब्ध हो पाता है। यह निगम रुपया भुगतान क्षेत्रों से इलैक्ट्रोनिक मद्दों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा, इन क्षेत्रों में हमारी बढ़ती हुयी आवश्यकतायें व्यापार योजनाओं में काफ़ी पहले इंगित की जानी होती हैं, जिससे वे देश इन आवश्यकताओं को अपनी उत्पादन अनुसूचियों में शामिल कर सकें। ऐसी संरचना के बिना कार्य करते हुये इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए यह कठिन होता जा रहा है कि वह अपने नाम जारी आर० पी० ए० आयात लाइसेंसों का उपयोग कर सके। यह निगम माध्यम एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

निगम अन्तर सरकारीय सहयोग बढ़ाने तथा इलैक्ट्रोनिकी से संबद्ध द्विपक्षीय व्यापार करारों का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इसके कलापों में शामिल होंगे : आयात जानकारी के लिए प्रौद्योगिकी निर्धारण—विशेषतः उत्पादन स्थापित करने के लिए—अनेक अंतर सरकारीय करारों में निर्धारित प्रयासों की भांति सहयोग प्रयास करना। इन में किसी देश से प्राप्त जानकारी के आधार पर, हमारी आंतरिक अपेक्षाओं के लिए तथा उस देश को प्रत्याभूत आधार पर निर्यात के लिए, स्वदेशी उत्पादन सम्मिलित होगा। निगम भारत से इलैक्ट्रोक मद्दों के निर्यात हेतु बाजारों का पता लगाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए इस ओर सरकार एवं उद्योग का ध्यान आकृष्ट करेगा। इस प्रकार यह निगम विभिन्न प्रौद्योगिक, व्यापारिक एवं परामर्श संबंधी कर्तव्य निभाएगा। इसकी स्थापना अनुभूत आवश्यकता के आधार पर की जा रही है।

(ग) आशा है कि प्रस्तावित निगम इलैक्ट्रोनिक उद्योग की—विशेषतः लघु एवं मध्यम क्षेत्रों में—अर्थपूर्ण सहायता करेगा।

Allocation of Funds for Development of Delhi

2051. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the funds provided for the development works to the Union Territory of Delhi during the last three years ;

(b) whether lesser funds have been provided to Delhi this year as compared to those provided last year ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) The funds allocated for the development works (schemes) to the Union Territory of Delhi during the years 1970-71 to 1973-74 are as follows :

Year	Amount (Rupees in crores)
1970-71	26.77
1971-72	31.33
1972-73	41.00
1973-74	40.81

(b) Yes, Sir. By Rs. 19 lakhs only.

(c) General reduction in expenditure due to economy measures.

विदेशों से सहयोग संबंधी योजनाएं

2052. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदशों से सहयोग की अनेक योजनाओं को हाल में मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं की कुल संख्या कितनी है और किन देशों से सहयोग लिया गया है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनमें कुछ वित्तीय सहयोग भी शामिल हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) सहयोग के अन्तर्गत ये परियोजनायें किस किस स्थान पर स्थापित की जायेंगी और उनमें कौन कौन सी मदों का निर्माण किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) अक्तूबर से दिसम्बर, 1973 की अवधि में सरकार ने विदेशी सहयोग के 72 प्रस्तावों का अनुमोदन किया था जिनमें से 12 पूंजी साझेदारी के प्रस्ताव भी थे ।

इन मामलों का जिसमें भारतीय उद्यमी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, बनाई जाने वाली जिन्स, परियोजना का स्थान तथा सहयोग करार में पुंजी में साझे की आवश्यकता पडेगी। सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6335/74 ।**]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा के अन्तर को कम करने के लिये कार्यवाही

2053. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में विदेशी मुद्रा का अन्तर 4000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि योजना दृष्टिकोण संबंधी दस्तावेजों में यह अन्तर 3000 करोड़ रुपये का था; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अंतर को कम करने के लिए और अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज में दिखाया गया 3,000 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा का अनुमानित अंतर पांचवीं योजना प्रारूप में 4,008 करोड़ रुपये का हो गया । इस का कारण कच्चा तेल और पेट्रोलिजन्य पदार्थों, उर्वरक, इस्पात और अलोहीय धातुओं जैसे हमारे मुख्य आयात मदों के मूल्यों में भारी वृद्धि होना है । ये अनुमान तेल के मूल्यों में वर्तमान भारी वृद्धि होने से पूर्व लगाये गये थे । इससे विदेशी मुद्रा अन्तर की समस्या में एक और आयाम की वृद्धि हो गई है ।

(ख) विदेशी मुद्रा अंतर को कम करने और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं । ये इस प्रकार हैं :—

(1) कठोर आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम, खासकर पी० ओ० एल०, धातुओं, मशीनरी, उपकरण और उर्वरक के क्षेत्र में, अपना कर तथा देशी प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को कम करना;

(2) निम्न प्रकार से निर्यात कर आमदनी बढ़ाना ;

(1) कपास और पटसन के कपड़ों, काफी, खली, मछली और मछली से तैयार सामान, कच्चा लोहा, कोयला, चमड़ा और चमड़े का सामान, रबड़ के टायर और ट्यूबें, इंजीनियरी का सामान और दस्तकारी का सामान जैसे मुख्य निर्यात की जाने वाली मदों के उत्पादन में वृद्धि करना,

(2) उत्पादन को आंतरिक खपत से निर्यात की ओर मोड़ देना, तथा

(3) देश के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाना।

(3) अदृश्य प्राप्तियों मुख्यतः पर्यटन, जहाजरानी और विदेश से प्राप्तियों में वृद्धि करना।

आर्थिक संकट का हल निकालने हेतु उद्योगपतियों द्वारा दिया गया सुझाव

2054. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगपतियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वर्तमान आर्थिक संकट का हल निकालने के लिये व्यापारी वर्ग के साथ सार्थक बातचीत करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान ने सरकार के विचारार्थ 17 दिसम्बर, 1973 को "शार्ट टर्म प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव आफ सम सेलेक्टेड, इण्डस्ट्रीज" शीर्षक एक नोट प्रस्तुत किया था जो सीमेंट, अलमीनियम, उर्वरक मोटर गाड़ियों के टायरों, ट्यूबों तथा कपड़ा उद्योगों का शीघ्रता से किये गए सर्वेक्षण करने पर आधारित था। इस नोट में एक सुझाव दिया गया था कि "चार प्रबन्धकीय समूहों अर्थात् सरकार प्रशासन उद्योग और श्रमिकों द्वारा मिलकर राष्ट्र की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक निष्ट भाव से दायित्व पूर्ण ढंग से कार्य कने से वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।" सरकार इस नोट पर विचार कर रही है। यद्यपि वह इस नोट में समाविष्ट किये गये सभी विचारों से सहमत नहीं है, फिर भी, सरकार यह समझती है कि सरकार और उद्योगों के बीच चल रही विद्यमान बातचीत चलती रहनी चाहिये ताकि उद्योगों के कार्य में सुधार किया जा सके।

बम्बई में 'दलित पंथरों' की शिकायतों की छानबीन

2055. **श्री के० एस० चावड़ा :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/जन जाति आयुक्त ने बम्बई में दलित पंथरों की शिकायतों की छानबीन की है;

(ख) दलित पंथरों द्वारा हाल ही के बम्बई–मध्य लोक सभा उप चुनाव का बहिष्कार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनका क्षोभ दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुसूचित जाति/जन जाति आयुक्त दलित पंथरों के नाम से ज्ञात दल की शिकायतों पर गौर कर रहा है।

(ख) और (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को दी गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर व्यय

2056. श्री के० एस० चावड़ा :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को दी गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर कितना व्यय किया ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 1970-71, 1971-72 में और नवम्बर, 1972 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर व्यय की गई राशि का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6336/74।]**

पश्चिम बंगाल में मधुमक्खी पालन पर कीटनाशी दवाइयां छिड़ने का प्रभाव

2057. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में मधुमक्खी पालन उद्योग पर कीट नाशक दवाइयां छिड़कने से फैलने वाले रासायनिक विष के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई की जानकारी में ऐसी कोई भी घटना नहीं आई है।

Development of Adivasi and Backward Areas in M. P.

2058. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the total amount proposed to be spent for the development of Adivasi and backward areas in Madhya Pradesh under the Fifth Five Year Plan and the extent to which this amount exceeds the amount spent during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether due to the present economic situation the amount is likely to be slashed down ; and

(c) the outline of the important work to be done in above areas ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) The sectoral allocations for the Fifth Plan for Madhya Pradesh and other States have yet to be finalised. As such, it is not possible to indicate, at this stage, the precise amount proposed to be spent for the development of tribal areas and backward classes including Adivasis in Madhya Pradesh during the Fifth Plan period and the extent to which it will exceed the amount spent in the Fourth Plan. The anticipated expenditure during the Fourth Plan in the Backward Classes sector in Madhya Pradesh is Rs. 1,587 lakhs. This is over and above what would have flown from the general sector programmes to the backward areas and for the development of backward classes.

(c) The sub-plan for areas with large concentration of tribal population, which the States have been asked to prepare in accordance with the guide-lines issued by the Planning Commission, is still awaited from the Government of Madhya Pradesh. The broad strategy and programmes to be undertaken for the development of tribal areas are spelt out in Chapter 13 of the Draft Fifth Plan which was placed on the Table of the House.

कोयले से तेल निकालने के लिये परीक्षण करने हेतु धनबाद स्थित केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को अमरीका द्वारा धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव

2060. श्री के० मालन्ना :

श्री गजाधर माझी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान से कोयले से तेल निकालने के बारे में परीक्षण करने के लिये पी० एल०—चार सो अस्सी निधि में से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अन्य देश ने भी इस बारे में अपनी रुचि व्यक्त की थी; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बन्दों की समस्या को हल करने के लिये एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव

2061. श्री बी० वी० नायक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बन्दों की समस्या को हल करने के लिये सरकार का विचार एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समस्या का मुकाबला करने के लिये क्या अन्य कानूनी कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह संत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) कानून के वर्तमान उपबन्ध बन्द के दौरान की गई गतिविधियों से, जिनसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हानि होती है, निपटने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। इस प्रकार के बन्दों से निपटने के लिए कोई विशेष कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

2062. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य से जिलावार अब तक स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन पाने हेतु, कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन मंजूर किए गए हैं और कितने आवेदकों के आवेदनों पर अभी विचार होना है; और

(ग) पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के सभी आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 28–2–1974 तक पेन्शन के लिए 1220 आवेदन पत्र अनुमोदित किए गये हैं, 2043 रद्द किए गये हैं और 842 आवेदनपत्र लंबित हैं जिन पर सरकार द्वारा कुछ प्रकार के मामलों पर किए जाने वाले निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायगी। 1646 मामलों में या तो आवेदकों से अथवा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 1825 आवेदनों पत्रों की अभी जांच होनी है।

(ग) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 1974 होने के कारण अभी भी आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। जब कि आवेदनपत्रों के शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं इसलिए इस समय कोई निश्चित अवधि बताना जिसके अन्दर कार्य पूरा हो जायगा संभव नहीं है।

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	28–2–74 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1.	अल्लेपी	1452
2.	कन्नानोर	984
3	कोजिकोडे	770
4	क्वेलोन	784
5.	त्रिवन्द्रम	1084
6.	त्रिचूर	387
7.	पालघाट	320
8.	मलापरम	1246
9.	कोटायाम	175
10.	अर्नाकुलम	331
11.	इदीकी	43
	योग	7576

लाइसेंसों के लिये विचारार्थ पड़े केरल के आवेदन पत्र

2063. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास जनवरी, 1974 में, औद्योगिक लाइसेंसों के लिए ऐसे कितने आवेदनपत्र विचारार्थ पड़े थे जिन पर केरल सरकार से सिफारिश की थी; और

(ख) आवश्यक लाइसेंस कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1974 को केरल राज्य से सम्बन्धित 39 औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र अनिर्णित थे। इनमें से 16 आवेदन पत्र 31 अक्टूबर 1973 के पश्चात् अर्थात् सुप्रवाहीकृत क्रिया-विधि के लागू होने उपरान्त प्राप्त हुए थे। ऐसे चार प्रकरणों में आशय पत्र दिये जा चुके हैं तथा दो आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं। आशा है कि विहित समय सीमा के भीतर ही शेष ऐसे दस आवेदन पत्र भी निपटा दिये जायेंगे। पुराने 23 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालयों के सहयोग से शीघ्रतापूर्वक उन्हें निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंज

2064. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल के उन स्थानों के नाम क्या है और उन जिलों के नाम क्या है जहां वे स्थान है, जिनमें वर्ष 1973–74 में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है;

(ख) उन स्थानों में से ऐसे स्थानों के नाम क्या है जहां एक्सचेंज स्थापित किये जा चुके है; और

(ग) शेष स्थानों में एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केरल सर्किल में जिन स्थानों पर 1973–74 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई उनके नामों की एक सूचि जिलों के नामों के साथ विवरण में संलग्न है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) (1) कोडनेचरी, (2) कुरुमन्नु, (3) श्रीकृष्णपुरम, और (4) मत्तुल के टेलीफोन एक्सचेंजों के चालू वित्तीय वर्ष में और बाकी एक्सचेंजों के वर्ष 1974–75 में खुल जान की संभावना है ।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान का नाम	जिल का नाम
1.	ताचम पारा	त्रिचूर
2.	कनारा	,,
3.	पजयान्नुर	
4.	वेल्लिकुलंगारा	,,
5.	कोडनचेरी	कालीकट
6.	अयूर	क्विलोन
7.	कुरुमन्नु	कोट्टायम
8.	श्रीकृष्णपुरम्	पालघाट
9.	मत्तुल	कन्नानूर

आटोमैटिक टेलीफोन को सुविधा वाले केरल के नगर

2065. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन किन नगरों में आटोमैटिक टेलीफोन की सुविधाएं दी हुई है;

(ख) अगले एक वर्ष में केरल के किन किन नगरों में आटोमैटिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केरल सर्किल में जिन स्थानों पर आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज है, उनके नामों की एक सूची अनुबंध I में दी जा रही है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6337/74।]**

(ख) 1974-75 के दौरान करीब 40 स्थानों पर (नाम अनुबंध II में दिए गए। है) आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने से संबंधित योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6337/74।]**

(ग) लगभग 1 करोड 88 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कागज मिल की स्थापना

2066. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य औद्योगिक विकास निगम आन्ध्र प्रदेश राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में कागज मिल की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) भद्राचलम, आन्ध्र प्रदश में सरकारी क्षत्र में अखबारी काग़ज की मिल स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । 250 टन प्रति दिन अखबारी काग़ज के मिल की स्थापना का प्रस्ताव है । इस की अनुमानित परियोजना गत लागत 40 करोड रु० के आसपास है। सरकार कच्चे माल उपलब्ध कराने सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रही है ।

बैटरी से चलने वाली कारे

2067. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने बैटरी से चलने वाली कारों संबंधी किसी अनुसंधान योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के एक विशेषज्ञ दल ने बैठरी से चलने वाले एक हल्के वाहन के विकास की सिफारिश की है । समिति ईंधन सेल/बैटरी से चलने वाले एक वाहन के विकास के संबंध में व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार कर रही है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त व्यवहार्यता संबंधी प्रतिवेदन के तैयार हो जाने के बाद इस परियोजना पर आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

उटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को हुआ घाटा

2068. श्री रामभगत पासवान : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का घाटा 265 करोड रुपये से बढकर 297 करोड रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० को वर्ष 1971–72 में हुई 2.65 करोड रुपये की हानि की तुलना में 1972–73 में 2.97 करोड रुपये की हानि हुई थी। वर्ष 1972-73 में हुई 2·97 करोड़ रुपये की हानी में 36 लाख रुपये पिछले वर्ष के खराब तथा घटियां किस्म के स्टाक को वही खाते में डालने के कारण तथा 9 लाख रुपये पिछले वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन, मजदूरी तथा कर्मचारी लाभों के कारण दिये गये थे, शामिल है। यदि 45 लाख रुपये की इस राशि को पिछले वर्ष के तुलन-पत्र के बदले समंजित कर दिया जाये तो 1971–72 में 3.10 करोड रुपये की हानि के स्थान पर वर्ष 1972-73 में हुई वास्तविक हानि 2.52 करोड रुपये होगी । फिर भी, वर्ष 1972–73 में हुई हानि बहुत कम होगी यदि अक्तूबर 1972 से मार्च 1973 तक की अवधि में बिजली में कटौती, मैथली क्लोराइड जैसे आधारभूत कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन को धक्का न पहुंचा होता ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड में उत्पादन

2069. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा अपने विभिन्न संस्थापनों में चलाए जा रहे कुछ प्रयुक्त तथा पुराने संयंत्रों के कारण इन संयंत्रों से जिस सामान्य उत्पादन की आशा की जाती है वह पूरी नही हो पाता है;

(ख) क्या उक्त कंपनी द्वारा विभिन्न औद्योगिक गैसों के उत्पादन की अनियमित व्यवस्था के कारण अनेक उद्योगों को नुकसान उठाना पडा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमों सहित उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने हेतु इंडियन आक्सीजन लिमिटेड से की जाने वाली सप्लाई को बदलने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में मे० इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे आक्सीजन गैस

का निर्माण करने वाले संयंत्रों का उत्पादन निम्न प्रकार है :–

मे० इंडियन आक्सीजन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता और उनमें हुआ उत्पाद

क्रम सं०	कारखाने का स्थान	अधिष्ठापित क्षमता दस लाख वर्ग मी०	1973 का अनुमानित उत्पादन दस लाख वर्ग मी०	क्षमता का उपयोग का औसत
1.	हैदराबाद .	3.24	2.8	86.4
2.	विशाखापट्टनम	13.68	9.5	70.0
3.	गौहाटी . .	3.02	2.2	72.8
4.	जमशेदपुर	169.2	134.0	79.2
5.	दिल्ली	10.44	10.3	99.6
6.	अहमदाबाद .	4.32	4.2	97.2
7.	बंबई .	57.6	50.0	86.6
8.	बंगलौर .	3.24	2.9	89.5
9.	मद्रास .	36.0	25.0	70.0
10.	कानपुर .	12.24	10.0	81.7
11.	कलकत्ता .	72.0	48.4	67.2
12.	आसनसोल . .	57.6	41.0	72.0

मे० इंडियन आक्सीजन लि० की उपयोग क्षमता अखिल भारतीय स्तर पर उपयोग की प्रतिशत क्षमता के अनुरूप ही है तथा अन्य उद्यमियों द्वारा देश के अन्य भागों में संस्थापित आक्सीजन गैस उत्पादन के संयंत्रों की अपेक्षा इन संयंत्रों का वेहतर उपयोग किया जाता है।

सरकार ने औद्योगिक गैसों के उत्पादन के लिए बहुत से उद्यमियों को आशयपत्र जारी किए है। आशा है कि औद्योगिक गैस उत्पादन की पहिले से ही अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन से औद्योगिक गैसों की आगामी वर्षों की मांग पर्याप्त रुप से पुरी हो जाएगी तथा पांचवीं योजना की अवधि में मै० इंडियन आक्सीजन लिमिटेड की अखिल भारतीय स्तर पर स्थिति निम्न प्रकार होगी :–

वर्ष	आक्सीजन गैस की अधिष्ठापित क्षमता (दस लाख वर्ग मी०)	मे० इंडियन आक्सीजन	अखिल भारतीय क्षमता को सम्बद्ध मै० इंडियन आक्सीजन की अधिष्ठापित क्षमता का औसत
1968 . . .	584.0	344.0	59.0
1973 . .	818.0	455.0	55.6
1974(अनुमानित) . .	1080.0	455.0	42.1
1978(अनुमानित) . .	1800.0	500.0	27.7

पूर्वी भारत में औद्योगिक उत्पादन

2070. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में औद्योगिक उत्पादन वर्ष 1972 में की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उत्पादन के आंकडे क्षेत्रों के आधार पर नहीं रखे जाते। इस कारण 1972 की तुलना में पूर्वी भारत में औद्योगिक उत्पादन का तुलनात्मक अनुमान दे सकना संभव नहीं है ।

दामोदर घाटी में पेपर काम्पलैक्स की स्थापना

2071. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी में एक वृहत् पेपर कम्पलैक्स स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वार्षिक योजनाओं के लिए अधिक धन जुटाने हेतु राज्यों को अनुदेश

2072. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिये अधिक धन जुटाने हेतु राज्यों को कोई अनुदेश दिये है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जनवरी, 1974 में योजना आयोग ने राज्यों को सूचित किया था कि 5 जनवरी 1974 से आगे उनके द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के संघटन को पांचवी योजना के लिए उनके प्रयास समझे जाएंगे । उनसे अनुरोध किया गया था कि जहां तक संभव हो अधिक से अधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने से संबंधित शीघ्र उपाय करें। 1974–75 की वार्षिक योजना तैयार करने के सम्बन्ध में राज्यों से हुए विचार विनिमय के दौरान राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के संघटन के स्वीकृत किए गए अनुमानों को उस वर्ष के लिए रखा गया था।

औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया के साथ मानकीकरण कार्यक्रम और औद्योगिक उत्पादन के बीच समन्वय करना

2074. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मानवीकरण कार्यक्रमों और औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रियाओं क बीच अधिक समन्वय करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के समन्वय से संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और परिचालन सम्बन्धी कुशलता बढेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध मे अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) भारतीय मानक संस्था को उद्योग एवं वाणिज्य में मानकीकरण, कोटिगनियंत्रण, व प्रमाणीकरण के संवंर्द्धन हेतु 1947 में स्थापित किया गया था । यह उद्योग व तकनीकी विशेषज्ञों के कनिष्ठ सहयोग से कार्य करती है । अनेक औद्योगिक वस्तुओं के लिए मानक बनाने क अलावा यह निम्नलिखित योजनाए भी चलाती है जैसे :–

(1) प्रमाणीकरण योजना ।

(2) कार्याचयन सम्बन्धी सम्मेलन और

(3) कम्पनियों के मानकीकरण के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम ।

सरकार को पता है कि औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रियाओं के साथ मानकों के कार्यक्रम के एकीकरण से साधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा तथा परिचालन कुशलता भी बढ़ेगी । इस धारण को निरन्तर बढ़ावा देना, भारतीय मानक संख्या के प्रमुख उद्देश्यों मे से एक है। सामान्य जनता के उपयोग में आने वाली औद्योगिक वस्तुओं जैसे कपडा, जूते, साबुन, दवा-इयां, व भेषज-निर्माण सम्बन्धी सामग्री इत्यादि के मानकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने का विचार है । निर्मित खाद्य वस्तुओं जैसे शुष्क दूध, दूध पाउडर, शिशु–आहार इत्यादि का अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण करने की योजगा भी बनायी गयी है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिये कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत लघु योजना

2077. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि विकास कार्यक्रमों का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को मिले और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने हेतु पांचवीं योजना के ढांचे के भीतर कोई लघु योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की थी ;

(ख) क्या शिक्षा, समाज, आवास, रोजगार जैसे कुछ विभागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की क्रियान्विति के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सम्भवत: लघु-यौजना से माननीय सदस्य का अभिप्राय आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए उप-योजना से है । जैसा कि पांचवीं योजना के प्रारूप, जो कि 19 दिसम्बर, 1973 को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया था, में बतलाया गया है कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की धनी आबादी है वहां के लिए अलग से उप-योजनायें सम्बन्धित राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ही तैयार की जाएंगी । क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां

पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी अधिक घनी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को अलग से उपयोजना तैयार करने को नहीं कहा गया है । फिर भी राज्य सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान पर पर्याप्त धन खर्च किया जाय ।

(ख) पांचवीं योजना के प्रारूप में यह उल्लेखनीय है कि सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों, जैसे कृषि, ग्रामीण और लघु उद्योग, आवास, रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि पर उच्च प्राथमिकता पिछड़े वर्गों को दी जाएगी । विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत इन पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल है । पात्रता का मानदण्ड निर्धारित करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों को और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी । इस कार्यक्रम को ठीक इन वर्गों के हित के अनुरूप तैयार किया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों व अनुसूचित जातियों को जो रियायतें और छूट मिलेंगी उनका उल्लेख पांचवीं योजना के प्रारूप में किया गया है ।

(ग) पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों के विकास हेतु राज्यों के प्रयास व संसाधनों को पूरक बनाने की दृष्टि से राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

बिहार में रामेश्वरनगर स्थित कागज के कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता

2078. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पल्प मिल्स का बिहार से असम को स्थानान्तरण के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर से सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वर नगर स्थित कागज़ के कारखाने की अधिष्ठापित दैनिक क्षमता 80 टन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादन को घटा कर केवल 40 टन कर देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) रामेश्वर नगर के कागज संयंत्र की मूल रूप में अधिष्ठापित क्षमता 60 मी० टन प्रतिदिन थी परन्तु राज्य में कच्चा माल मिलने में कठिनाइयों के कारण क्षमता 40 मी० टन प्रतिदिन कर दी गई थी ।

Population of Patna Town

2079. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether according to the census of 1971, the population of Patna Town is less than 5 lakhs ;

(b) if so, whether the population of this town has since become more than 5 lakhs ; and

(c) whether Government propose to conduct sample survey of Patna Town to find out the reality ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Government is not aware, as no count of the population has been taken after the 1971 Census held in March-April, 1971.

(c) There is no proposal.

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस जारी करना

2080. **मुखितयार सिंह मलिक :**
श्री एस० एच० मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स इंडिया लिमिटेढ को एकाधिकार गृह घोषित करने से लगभग 2 मध्य पूर्व उसके कारखानों को चार लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किस प्रकार के थे, उनके अन्तर्गत किन मदों का उत्पादन होगा और प्रत्येक मद की लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या हैं ; और

(ग) कम्पनी की विभिन्न फैक्टरियों को हाल ही के महीनों में इलैक्ट्रोमेडिकल उपकरणों के निर्माण के लिये दिये गये लाइसेन्सों का ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग ने बताया है कि फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड तथा इससे परस्पर सम्बद्ध उपक्रम नामतः इलैक्ट्रिक लैम्प्स मैन्युफैक्चर्स (इण्डिया) लिमिटेड एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत 27–10–73 को धारा 20 क (ii) जिन पर लागू होता है ऐसे उपक्रम के रूप में पंजीकृत है । अतएव फिलिप्स को मई 1973 में एकाधिकार गृह घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठाता है ।

1970 से 1973 की अवधि में कम्पनी को 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं । इन लाइसेंसों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

क्रमांक	लाइसेंस तथा तारीख	उत्पाद्य वस्तु तथा प्रकार
1	एल०/5(8)/22/एल० ई०ई० आई०/70 दिनाक 15–6–70	सैंसीटिव मूविंग काआइल इंस्ट्रुमेंट्स फार इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक टेस्ट इक्विपमेंट 11,000 सं० प्रतिवर्ष (विस्तार के बाद) (पी० वि०)
2	एल०/6(4)/17/डी०एस०/70 दिनांक 12–8–70	रेडियों रिसीवर्स 3.30 लाख संख्या प्रतिवर्ष 7.70 लाख संख्या प्रतिवर्ष (विस्तार के बाद) (पी० वि०)
3	एल०/5(4)/76/एल०ई०ई०/71 दि० 22–1–71	ग्लास क्यूबिंग्स इलैक्ट्रिक लैम्प्स 3,600 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष (सीओबी)
4	एल/6(4)/2/डी०एस०/71 दि० 3–2–71	आई० एफ० ट्रांसफारमरस/चोक्स/कोइल्स (एक्सपेन केपेसिटी 2.4 मिलियन पर एनम) (सी० ई०)
5	एल/5(4)/109/एल०ई०ई०/73 दि० 31–5–73	1–बर्नीस 30,000 सं० 2–ईन्प्रा रेड लैम्प्स जीएलएस 300–1500 वाल्ट 920,000 सं० पर एनम (ii) एम वी लैम्पस–30,000 सं० पर एनम (iii) होलोजन लैम्प्स 50,000 सं० पर एनम (एस०ई०)

कम्पनी को 1970 से 1973 की अवधि में 3 आशाय पत्र जारी किये गये हैं । आशय पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है :—

सं०	पत्रों की सं० तथा दिनांक	उत्पादन की वस्तु, क्षमता तथा प्रकार	
1	33(7)/69/डी०एस०दि० 6-6-70	विस्तार बाद क्षमता	
		(1) कार्बन फिल्म रेसिस्टर	50.0
		(2) इलैक्ट्रोलिक सिटशर्स	12.0
		(3) पोलिस्टर कैपेसिटरस	25.0
		(4) सेरेमिक—वही—	50.0
		(5) वेरिवल गेंग कोनडेनसर (एस० ई०)	1.636
2,	एल०ई०आई० (ए)-17(15)/69 दिनांक 25-11-70	नल इंडीकेटर्स–2 लाख संख्या प्रतिवर्ष (प्राप्त नहीं)	
3,	एल०ई० (1)–17-12-70 दिनांक 4-2-71	ओवर हैड प्रोजेक्टर्स एण्ड ऐसोसोरीज–1000 एककों प्रतिवर्ष (प्राप्त नहीं)	

महाराष्ट्र में स्थित उपक्रम में नई वस्तुओं के रूप में इलेक्ट्रो-मेडीकल उपक्रमों के उत्पादन के लिए कम्पनी ने एक आवेदन अक्टूबर, 1970 में प्रस्तुत किया था । लाइसेंसिंग-समिति ने मामले पर विचार किया तथा पार्टी को सलाह दी गई थी कि वे एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की अनपत्ति प्राप्त करें। कम्पनी ने एकाधिकार व प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 की धारा 22 के अधीन दिनाक 24 जनवरी, 1974 को आवेदन किया है जिस पर कम्पनी कार्य विभाग विचार कर रहा है ।

वृद्ध तथा अपंग स्वाधीनता सेनानियों के लिये 'होम'

2081. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्ध, अशक्त, बीमार तथा अपंग हुए स्वाधीनता सेनानियों के लिये "होम" खोलने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या एक स्थायी "होम" स्थापित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस होम में प्रवेश के मानदंड क्या हैं और इसमें प्रवेश प्राप्त व्यक्तियों के क्या नाम हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) योजना अन्तिम रूप दिये जाने की अवस्था में है। सरकार का ऐसे दो गृह एक उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक गृह में 50 व्यक्तियों के लिये आवास की क्षमता होगी। इन गृहों में आवास करने वालों के लिये अन्य बातों के साथ-साथ भोजन, आवास, चिकित्सा सहायता, मनोरंजन तथा अध्ययन की सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी। इन गृहों में प्रवेश के लिये व्यापक मानदण्ड, वहां रहने वाले व्यक्तियों को दी गई केन्द्रीय स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन से कटौती तथा अन्य ब्यौरे अभी तय किये जाने हैं। नियमित गृहों के निर्माण होने तक इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त आवास उपलब्ध होते ही सरकार का भी कोई अस्थाई गृह आरम्भ करने का विचार है।

Censoring of Motion Picture "Garibi Hatao"

2082. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have censored motion picture entitled 'Garibi Hatao' ;

(b) if so, the plot of the picture in brief outlines ; and

(c) the reasons for censoring it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (**Shri Dharam Bir Sinha**) **:** (a) Yes, Sir.

(b) It is a usual formula picture revolving round a young man from a middle-class family who falls in love with a rich girl. He wants to be rich and find a place in society. That does not happen and he meets with usual difficulties and ends up in jail but after having developed an involvement with the slum dwellers.

(c) The Central Board of Film Censors gave a Universal Certificate to the film after effecting two cuts relating to indecent cabaret scenes and suggestive sound effects considered objectionable under the Indian Cinematograph Act, 1952.

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

2083. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्वाधीनता सेनानियों को दो सौ रुपये प्रति माह से अधिक राशि की पेंशनों की मंजूरी दी गई है, उनके नाम, आयु और पतों का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को मंजूर की गई सही राशि का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिन्हें 200 रुपये के अधिक मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6338/74] अधिक पेंशन के लिये मामलों पर विचार करते समय, राजनीतिक यातना यथा लम्बे कारावास इत्यादि आर्थिक स्थिति, आयु, स्वास्थ तथा आश्रितों की संख्या पर विचार किया जाता है। यदि उन तत्वों के आधार पर उच्चतर पेंशन न्यायसंगत हो जाती है तो इसका अनुमोदन कर दिया जाता है।

Tracing of a Girl Missing From Shahdara, Delhi

2084. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in a local Hindi daily dated 29th December, 1973 that a girl, Rita of Shahdara, is missing for the last six months and Police have taken no action in this regard despite having been told the names of suspected persons by the guardians of the girl ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of other such cases as have not been traced by the Police during the last one year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shi F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not correct that the police have not taken any interest in the recovery of the girl. A case of kidnapping was registered and a number of suspects, including the persons named by the father of the missing girl, were thoroughly interrogated, but without any result As the father of the girl was not satisfied by the investigation of the local police, the investigation was transferred to the Special Staff of the North District. Their investigation is continuing and further efforts are being made to trace the girl.

(c) In 1973, 412 such cases were reported and in only 37 of them the girls could not be recovered so far.

पांचवीं योजना में लघु उद्योगों का विस्तार

2085. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योगों की वर्तमान क्षमता क्या है और पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लघु उद्योगों का कितना विस्तार किया जाना है; और

(ख) पांचवीं योजनावधि में लघु उद्योगों का उचित विकास करने के लिये क्या विशेष रियायतें दी जानी हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न लघु उद्योगों के विकास के लिये सरकारी क्षेत्र में 290 करोड़ रुपये से अधिक के कुल योजना परिव्यय में से लगभग 250 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है। हां, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इस क्षेत्र के लिये 611 करोड़ रु० की राशि प्रस्तावित की गई है ।

(ख) लघु उद्योगों को मिलने वाली विद्यमान सुविधायें पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी मिलती रहेंगी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक परिव्यय से बहुसंख्यक उद्यमियों को लाभ होगा । विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त विपणन तथा निर्यात संवर्धन की योजनायें, परीक्षण सुविधायें, उत्पाद तथा परिशोधन विकास और गैर सरकारी सलाहकार अभिकरणों आदि को राज्य सहायता जैसी बहुत सी नई योजनाओं की पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रकल्पना की गई है ।

कलकत्ता में टेलीविजन केंद्र

2086. **श्री आर०एन० बर्मन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में एक टेलीविजन केंद्र खोलने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में टेलीविजन केन्द्रों के खुलने में विलम्ब के कारण पश्चिम बंगाल के टेलीविजन सेट निर्माताओं को अपने सेटों की बिक्री के लिये बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) स्थान ले लिया गया है। भवन का डिजाइन तैयार करने के लिये एक वास्तुकार का खुली वास्तु प्रतियोग्यता के माध्यम से चयन कर लिया गया है । कुछ अपेक्षित उपकरण प्राप्त हो चुके हैं । स्थायी ढांचे के बनने तक, राज्य सरकार के परामर्श से एक अन्तरिम ढां I 1975 तक स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बगाल में टेलीविजन सेट निर्माण हेतू लाइसेंस प्राप्त कोई भी पार्टी अभी तक निर्माण की अवस्था तक नहीं पहुंची है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक-तार विभाग में मितव्ययता

2088. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय डाक-तार विभाग में मितव्ययता लागू करने के उपायों पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) डाक-तार विभाग में एक किफायत अभियान पहले से ही चालू है।

(ख) बचत किफायत के जो-जो उपाय काम में लाये जा रहे हैं उनका एक विवरण सभा-पटल रखा जाता है।

विवरण

डाक-तार विभाग में 1973-74 के दौरान किफायत के लिये किए गए उपायों का ब्यौरा

1. (क) ऐसी अव्यावसायिक इमारतों के निर्माण का काम चालू वित्तीय वर्ष में बन्द या अस्थगित कर दिया जाय, जिनका निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं हुआ या जिनका काम दीवारों की कुर्सी से आगे नहीं बढ़ा।

(ख) कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर बाकी सभी डाक-तार इमारतों की सालाना मरम्मत और सफेदी कराने का काम हाथ में न लिया जाय।

(ग) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर बाकी रिहायशी और गैर-रिहायशी दोनों तरह की इमारतों के परिवर्द्धन/परिवर्तन में और लघु कार्यों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई खर्च न किया जाय।

2. यात्रा-भत्ता, फुटकर खर्च और मनोरंजन शीर्षों के अंतर्गत खर्च में काफी मितव्ययता बरती जाय। सिर्फ अपरिहार्य दौरे किए जायं। निरीक्षण/जांच का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि उस पर कम से कम खर्च आए।

3. सिर्फ ऐसे मामलों को छोड़ कर जिनमें तबादला करना प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी हो, बाकी बारी-बारी से होने वाले सभी तबादले स्थगित कर दिए जायं।

4. सड़क मार्ग से दौरे और यात्राएं कम की जाय और इस प्रकार पेट्रोल के खर्च में 15 प्रतिशत की कमी की जाय।

5. जो जगहे 6 माह से अधिक अर्से से खाली पड़ी हो, वे बगैर वित्त मंत्रालय की मंजूरी लिए भरी न जायं।

6. सजावट की नई मदों पर पूरी पाबन्दी लगा दी जाय। नये कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक फर्नीचर और पूरी तरह खराब फर्नीचर को बदलने के अलावा कोई नया फर्नीचर खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

7. विदेशों के दौरे कम से कम किए जायं और विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों की संख्या कम से कम की जाय, ऐसे दौरे अधिक बार न हों, प्रतिनिधियों की संख्या घटा दी जाय और दौरों की अवधि भी ज्यादा दिनों की न हो ।

8. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए कम से कम निर्देश किया जाय और यदि ऐसी बैठकें करना लाजिमी ही हो, तो वे ऐसे स्थानों में रखी जायें जहां उन पर कम से कम खर्च आए ।

9. सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए नये ऋणों की मंजूरी बिल्कूल बंद कर दी गई है ।

10. सार्वजनिक मनोरंजनों के खर्च पर भारी कटौती की जाय ।

11. निधि उपलब्ध होने पर भी नान-प्लान के किसी नये प्रस्ताव या योजना पर काम न किया जाय ।

12. सर्किलों से कहा गया है कि वे खर्च में बचत के लिए इस बात की ब्यौरेवार जांच करे कि उन्होंने नान-प्लान बजट में जो विभिन्न योजनाएं और कार्य शामिल किए है उनमें से कितनी योजनाओं और कार्यों पर पुनर्विचार किया जा सकता है, कौन-कौन-सी योजनाएं और कार्य स्थगित या रद्द किए जा सकते हैं ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

2089. श्री शंकरराव सावन्त :
श्री बक्शी नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रधान मंत्रियों ने समय-समय पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा-विवाद का शीघ्र निपटारा करने की आशायें दिलाई थी ; और

(ख) इस विवाद का हल ढूंढने के प्रयासों को प्रत्येक अवसर पर स्थगित किए जाने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सौहार्दपूर्ण समाधान जो अधिकतम लोगों को मान्य हो, खोजने की दिशा में प्रयत्न किए गये हैं और किये जा रहे है । इस संबंध में इस सदन में 2 मार्च 1970 तथा 18 दिसम्बर 1970 को दिए गये वक्तव्यों तथा अतारांकित प्रश्न सं० 593, दिनांक 14 नवम्बर 1973 व तारांकित प्रश्न सं० 110, दिनांक 27 फरवरी 1974 के उत्तर और उनके पूरक प्रश्नों के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में हुए उपद्रवों के फलस्वरूप पुलिस कार्यवाही

2090. श्री शंकरराव सावंत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा-विवाद के संबंध में हुए उपद्रवों के फलस्वरूप इन दोनों राज्यों में की गई पुलिस कार्यवाही के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जनवरी, 1973 अब तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है और उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पुलिस की कथित ज्यादतियां हुई बताई गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी।

सीमेंट की कमी

2091. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में सीमेन्ट की कितनी कमी की सम्भावना हैं ; और

(ख) इसकी पूर्ति कैसे की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1974–75 के अन्त में सीमेन्ट की मांग और पूर्ति में 30 और 40 लाख मी० टन का अन्तर होने का अनुमान है ।

(ख) सीमेन्ट के उत्पादन में विभिन्न राज्यों में बिजली में की गई कटौती, उद्योग के लिये की गई कोयले की अपर्याप्त सप्लाई तथा सीमेन्ट लाने ले जाने के लिये मालगाडी के पर्याप्त डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण गिरावट आई है। इन कठिनाइयों को दूर करने और सीमेन्ट का अधिकतम उत्पादन करने रेल द्वारा सीमेन्ट कारखानों को हर आवश्यक तथा सम्भव सहायता प्रदान हेतु लाने ले जाने की व्यवस्था करने के विचार से सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रतिमाह संवीक्षा की जाती है, खान और धातु विभाग के अधीन एक स्थायी लिंकेज समिति का गठन किया गया है तथा विभिन्न सीमेन्ट कारखानों को कोयले की उनकी आवश्यकता का पता लगाने के पश्चात् भिन्न भिन्न कोयला क्षेत्रों से सम्बध्द कर दिया गया है। विभिन्न सीमेन्ट कारखानों को की जाने वाली कोयले की सप्लाई की प्रत्येक मास लिंकेज समिति द्वारा संवीक्षा की जाती है। कलकत्ता में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना की गई है इसमें रेलवे बोर्ड और कोयला खानो के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है जो हर 10 दिन बाद विभिन्न सीमेन्ट कारखानों को की जाने वाली कोयले की सप्लाई की संवीक्षा करते हैं। सीमेन्ट की विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने के लिये अपनाये गये अभ्युपायों के अलावा 165.6 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिये आशय-पत्र/लाइसेन्स भी स्वीकार किये गये है।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन का मूल्य वृद्धि पर प्रभाव

2092. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब विश्वास हो गया है कि मूल्य वृद्धि को रोकने का एकमात्र उपाय उत्पादन बढ़ाना है ;

(ख) कृषि तथा उद्योग में उत्पादन में कौन-कौन सी बातें बाधक हैं ;

(ग) उन कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार हड़तालों और तालाबंदी पर रोक लगाने अथवा कम से कम उन्हें कम करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ड.) यदि हां, तो वे कदम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आर्थिक विकास और मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने में सरकार को जो भूमिका निभानी है, सरकार उसके प्रति सजग है।

(ख) सामान्यतया कृषि उत्पादन में बाधक प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:—में अधिकांशतः वर्षा से सिंचाई पर निर्भरता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय प्रगति का अभाव, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रसायन उर्वरकों की कमी, कृषि विस्तार कार्य में अपूर्णता, अनुसंधान और विस्तार के मध्य सम्पर्क की कमी, अनिश्चित मूल्य या अलाभकर मूल्य

औद्योगिक उत्पादन में बाधक प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :—क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न किया जाना, बिजली और परिवहन में रुकावटें, आयातित जरूरतें पूरी करने में कठिनाइयां, प्रबन्धकीय त्रुटियां और संगठनात्मक समस्यायें जिसमें अशान्त औद्योगिक सम्पर्क भी शामिल हैं।

(ग) पांचवीं योजना का प्रारूप, जिसे पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है, मैं इस बात का विस्तृत उल्लेख है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उठाये गये हैं या क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र में उठाये गये या प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :—सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, समस्या उन्मुख अनुसंधान को व्यापक बनाना, कृषि विस्तार और प्रशासन को नया स्वरूप देना व सुदृढ़ बनाना, कृषि में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साज-समाज में वृद्धि करना जैसे उर्वरक और स्थानीय खाद, कीटनाशक, भूमि सुधार कार्यों को लागू करना, विशेष कार्यक्रमों, जैसे छोटे किसानों की विकास एजेन्सियों और सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम को अधिक विस्तृत बनाना।

औद्योगिक क्षेत्र में उठाये गये या प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:—सार्वजनिक विनियोजन में विस्तार विशेषतः बुनियादी उद्योगों में, औद्योगिक लाइसेंसिंग, वित्तीय व ऋण नीतियों को उदार बनाकर निजी पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देना, बिजली की सुलभता में वृद्धि, पर्याप्त परिवहन सुविधायें, जरूरी कच्चे माल व अन्तर्वर्ती वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि, औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ठीक समय पर व कुशलता से क्रियान्वित करना।

(घ) और (ङ) औद्योगिक संबंध सुधारने के लिए जिन उपायों की परिकल्पना की गयी है उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) सामान्य कामगारों को प्रेरित करने व उनके हितों की रक्षा करने की दृष्टि से विशेषतः उद्योग और कृषि के असंगठित क्षेत्रों में काम की स्थितियों और शिक्षा में सुधार करना ;

(2) विवादों और शिकायतों आदि को रोकने व निपटाने के लिए कार्यपद्धति और तन्त्र में सुधार करना ताकि औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारा जा सके और विवादों तथा काम रोकने की घटनाओं को कम किया जा सके ;

(3) कामगारों को शिक्षित करना (कामगारों की शिक्षा स्कीम तथा अन्यो के अन्तर्गत) ताकि उत्पादन तथा उत्पादिता को प्रोत्साहित करने में उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो सके।

कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दिये जाने के आदेश को अवैध घोषित करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय

2093. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय की जांच की है जिसमें उस आदेश को अवैध घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारी जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ये आदेश दिये हैं कि कर्फ्यू के दौरान गोली न चलाई जाये ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) गुजरात उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन पारित किसी ऐसी अधिसूचना को अवध घोषित कर दिया है जिसमें यह घोषणा की गई हो कि ऐसे आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गोली मार दी जाएगी। कर्फ्यू का उलघंन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का कोई आदेश राज्य सरकार अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

उद्योगों में ईंधन की खपत में कमी

2095. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उद्योगों द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नाया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप ईंधन तेल की खपत में 30 प्रतिशत कमी कर पाना संभव हो सकेगा ; और

(घ) इसके कार्यान्वयन की रूप रेखा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) औद्योगिक उत्पादन को बनाये रखने तथा शक्ति के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने सम्बन्धी योजनायें तैयार करने के विचार से तेल संकट से उत्पन्न विद्यमान स्थिति का अध्ययन किया गया है। लगाये गये अनुमानों के प्रकाश में 3,000 किलोमिटर फरनेल तेल का प्रतिवर्ष उपयोग करने वाले औद्योगिक एककों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है :—

(क) वे एकक जो तकनोलोजिकल कारणों से फरनेस तेल के बदले कोयले का प्रयोग नहीं कर सकतें ;

(ख) वे एकक जो कोयले का उपयोग शुरू तो कर सकते हैं किन्तु उन्हें ऐसा करने के लिये उल्लेखनीय लम्बा समय एक सात या उससे अधिक चाहिये तथा सयंत्र में बड़े पैमाने पर संशोधन करना पड़ेगा तथा ऐसा करने के लिये काफी निवेश करना आवश्यक होगा ;

(ग) ऐसे एकक जो थोड़े बहुत संशोधन तथा अल्प समय में उदाहरणार्थ इसे छह माह की अवधि में कोयले का उपयोग शुरू कर सकते हैं ;

(घ) ऐसे एकक जो कोयले का उपयोग अविलम्ब करने की स्थिति में है बशर्तें आवश्यक किस्मके कोयले की अपेक्षित मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

ऐसा अनुमान है कि वर्ग (ग) और (घ) के एककों द्वारा अविलम्ब अथवा अल्प समय में कोयले का उपयोग शुरू कर दिये जाने पर बशर्तें उन्हें कोयले की बड़ी मात्रा उपलब्ध कराई जाये फरनेस तेल के उपयोग में करीब 30 प्रतिशत की बचत की जा सकती है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने भी तकनीकी विकास के सचिव की अध्यक्षता में पेट्रोलियम और रसायन, रेलवे, लोहा तथा इस्पात। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के प्रतिनिधित्व से फरनेस तेल स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति ने भी उद्योगों को

फरनेस तेल का आवंटन करने तथा फरनेस को कोयले द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के विषय में पराम देने के लिये एक उप-समिति का गठन किया है। यह समिति फरनेस आयल की उपलब्धता की विस्तार से जांच करेगी तथा फरनेस तेल के बजाय कोयले का उपयोग करने वाले उद्योगों को कोयले की सप्लाई और उसकी उपलब्धता सम्बन्धी प्रगति को ध्यान में रखकर उन्हें फरनेस तेल के आवंटन के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी।

चौथी योजनावधि के दौरान संचार सुविधाएं

2096. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिये विभिन्न संचार सुविधाओं के लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अभी चल रही है। क्योंकि इसके कई काम अभी प्रगति कर रहे हैं, अतः इस काल की वास्तविक सफलता का अनुमान इस माह की समाप्ति के बाद ही लगाया जा सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती संबंधी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिये समिति

2097. श्री वीरभद्र सिंह :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती-व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे और उसके निदेश पद क्या होंगे ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा आयोग ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :—

डा० टी० एस० कोठारी . . .	अध्यक्ष
श्री भगवान सहाय . . .	सदस्य
श्री जी० पारथासार्थी .	सदस्य
प्रो० एस० चक्रवर्ती . .	सदस्य
डा० एम० एल० धर . .	सदस्य
प्रो० एम० वी० माथुर . . .	सदस्य

समिति अखिल भारतीय सेवाओं तथा श्रेणी–I और श्रेणी II की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जा रही व्यवस्था के बारे में जांच करेगी तथा अपनी रिपोर्ट देगी और परीक्षाओं की योजना तथा चयन की पद्धतियों में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेगी जो कि ज्ञान, कुशलता तथा उन गुणों पर पर्याप्त बल दे सके जो राष्ट्रीय विकास तथा पुनर्निर्माण के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सेवाओं की भूमिका तथा उनके कार्यों के समुपयुक्त हो।

समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषत: निम्नलिखित मामलों के बारे में विचार करेगी :—

(1) अखिल भारतीय तथा श्रेणी–I की अन्य सेवाओं, जिनमें भर्ती "भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा" के द्वारा की जाती है, के लिए इस समय ली जा रही तीन परीक्षाओं के बजाय अकेली एक प्रतियोगिता परीक्षा रखने की वांछनीयता ।

(2) भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा की वर्तमान योजना में निर्धारित व्यक्तित्व परीक्षा की पर्याप्तता ।

(3) भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा की योजना में कुछ अधिक विषयों विशेषकर इंजीनियरी, वाणिज्य, कृषि तथा अन्य तकनीकी विषयों को शामिल किए जाने और उक्त परीक्षा की योजना में विद्यमान विषयों में से किसी एक को ऐच्छिक प्रश्नपत्रों के रूप में निकाले जाने और उक्त परीक्षा के लिखित भाग की योजना में कोई अन्य परिवर्तन लाने की वांछनीयता ।

(4) उन अवसरों की संख्या, जो भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के लिए दिए जाने चाहिए।

(5) ऐसे उपाय, जो भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने के बारे में सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(6) ऐसी व्यवस्थाएं, जो शिक्षा संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परीक्षाओं के लिए निर्धारित विषयों की पाठ्यचर्या की नियमित अन्तराल पर समीक्षा किए जाने के लिए आवश्यक हों ।

(7) भर्ती के कार्यों को तेज करने के लिए आवश्यक उपायों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं की विधि को छोड़कर केन्द्रीय सेवाओं तथा श्रेणी–I तथा श्रेणी–II के पदों पर सीधी भर्ती की प्रणाली ।

(8) जिन पदों के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम तथा साक्षात्कार द्वारा चयन के आधार पर सीधी भर्ती की जानी अपेक्षित है, उनकी संख्या को देखते हुए उम्मीद्-वारों के अनुपात को कम करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली व्यवहार्यता और प्रक्रिया ।

(9) कोई अन्य विशेष व्यवस्थाएं, जो वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती के कार्य को कुशलता से किए जाने के लिए आयोग में आवश्यक हों ।

(10) कोई अन्य मामला, जिसका समिति की राय में उपर्युक्त मदों से सम्बन्ध हो अथवा जिसे आयोग-द्वारा कमेटी को निर्दिष्ट किया जा सके ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिये औद्योगिक उत्पादन के लक्ष

2098. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पहले वर्ष के लिये निजी एवं सरकारी क्षेत्रों तक पिछड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका उद्योग-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) वर्ष 1974-75 के लिए वार्षिक योजना को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। फिर भी, पांचवीं योजना के लिए अभिधारित उत्पादन लक्ष्यों में समस्त अर्थ व्यवस्था के लिए औद्योगिक उत्पादन में 8.1 प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि दर की व्यवस्था की गई है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे के उद्योग तथा खनिज संबंधी अध्याय के अनुबन्ध III (पृष्ठ 156-159) में चुने हुए उद्योगों के बारे में वर्ष 1978-79 के लिए क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य दिये गये हैं।

केन्द्रीय सहायता से लघु उद्योगों की स्थापना

2099. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिये लघु उद्योगों के पुरे-पुरे लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सहायता से स्थापित किये गये उद्योगों के नामों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चौथी पंच-वर्षीय योजना में लघु उद्योगों के लिये कोई भौतिक लक्ष्यों की परिकल्पना नहीं की गई थी। हां, चौथी योजना के 127.80 करोड़ रुपये के मूल परिव्यय में से प्रत्याशित खर्च 96.78 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

(ख) लघु उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र में परिव्यय मूल रूप से संवर्धनात्मक तथा विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए है। चौथी योजना की अवधि में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता इकट्टी ऋण और अनुदान के द्वारा दी जाती रही है। जो राज्य सरकारों के अधीन किसी विशेष योजना अथवा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। उद्योगों करो की गई सहायता में औद्योगिक विकास का सम्पूर्ण चित्र शामिल है।

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करना

2100. **श्री मुख्तियार सिंह मल्लिक** :
श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यालय को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस निगम के कार्यालय कब तक स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) सरकार को ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

देश में आपातकालीन स्थिति समाप्त करने का प्रस्ताव

2101. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करोगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपात-कालीन स्थिति समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो आपातकालीन स्थिति कब तक समाप्त कर दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सक्रिय रुप से मामले की समीक्षा की जा रही है।

आल इंडिया न्यूज पेपर एम्पलाइज फेडरेशन द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई की पद्धति की जांच करने की मांग

2102. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया न्यूज पेपर एम्प्लाइज फेडरेशन ने अखबारी कागज की सप्लाई की पद्धति की पूरी जांच करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अखबारी कागज़, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आवश्यक वस्तु है, का आवंटन सरकार द्वारा देश में बने तथा आयातित अखबारी कागज की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष बनाई गई तथा अधिसूचित की गई नीति के अनुसार किया जाता है। सार्वजनिक सूचना, जिसमें वर्ष 1973-74 के लिए निर्धारित नीति दी गई थी की एक प्रति 23 जुलाई, 1973 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी।

विदेशों से पूर्तियों में कमी के कारण समाचारपत्रों के अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती करना जरूरी हो गया। कमी के कारणों को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 25 जुलाई, 1973 को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में सदन को बताया जा चुका है। एक दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री ने 20-11-1973 को लोक सभा में अखबारी कागज की कमी पर एक और वक्तव्य दिया था।

प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसरण में स्थापित एक अखबारी कागज़ सलाहकार समिति जिसके सूचना और प्रसारण मंत्री अध्यक्ष हैं तथा समाचारपत्र उद्योग के प्रतिनिधि, सरकारी तथा दो संसद सदस्यों समेत गैर सरकारी सदस्य है, सरकार को समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज और छपाई की मशीनों के आयात और आवंटन तथा सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में नीति के बारे में सलाह देती है।

अखबारी कागज की सप्लाई की पद्धति के बारे में कोई जांच करना जरूरी नहीं समझा जाता।

संयुक्त क्षेत्र के एकक

2103. **श्री भोगेंद्र झा** :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक संयुक्त क्षेत्र के कितने एकक स्थापित हुए हैं ;

(ख) वे किस-किस राज्य में कहां-कहां पर स्थापित किये गये है और उनमें क्या उत्पादन होता है ;

(ग) उक्त उद्यमों में साझीदारों के नाम क्या है ;

(घ) सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) वित्तीय संस्थाओं का उनमें कितना हिस्सा है ; और

(ड.) संयुक्त क्षेत्र में गैर-सरकारी व्यक्तियों का कितना पुंजी-निवेश है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ड.) सरकारी उद्यमों के ब्यौरो के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संयुक्त क्षेत्र के कारखानों (31-3-1973 की स्थिति) की जिनमें केन्द्रीय सरकार की ईक्विटी पुंजी लगी है तथा दूसरे साझेदार राज्य सरकारें वित्तीय संस्थाएं / गैर सरकारी उद्यमी है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की इक्विटी उनका स्थापना स्थल तथा कारखाने के क्रिया-कलाप का ब्यौरा देते हुए सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6339/74**]

कागज का आयात

2104. श्री ईश्वर दयाल सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सफेद कागज तथा अखबारी कागज, दोनों प्रकार का कितना कागज है, देशमें कितने कागज की मांग है और कितनी कमी है ; और

(ख) प्रतिवर्ष कितना कागज आयात करना पडता है, और किन-किन देशों से ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰बी॰ राना) : (क) सफेद कागज की मांग का अलग से आकलन नहीं किया गया है। आजकल कागज की सामान्य किस्मों का आयात नहीं हो रहा है। अखबारी कागज की निर्वाचित मांग का अंदाजा 2.4 लाख टन प्रतिवर्ष लगाया गया है। देश में उत्पादन 40,000 टन प्रतिवर्ष है।

(ख) 1972--73 के दौरान कनाडा, फिनलैण्ड, पश्चिम जर्मनी, इटली, नीदरलैण्ड, नार्वे, पोलैण्ड, स्वीडन, अमरीका आदि देशों से 30.47 करोड़ रुपए मूल्य का 175,494 टन कागज तथा अखबारी कागज का आयात किया गया।

Film Produced in various Languages during 1973

2105. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of films produced during 1973 language-wise;

(b) whether the Censor Board has stopped the exhibition of some films; and

(c) if so, the number thereof ?

The Deputy Ministr in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) : (a) Language-wise break-up of Indian feature films certified by the Board of film Censors during 1973 is as under :—

Hindi	136
Assamese	8
Bengali	35
English	1
Gujarati	5
Hindustani	1
Haryanvi	1
Kannada	32
Malayalam	60
Marathi	14
Oriya	2
Punjabi	5
Rajasthani	1
Sindhi	1
Tamil	66
Telugu	74
Tulu	4
Urdu	2
TOTAL	448

(b) & (c) Yes, Sir. The following 13 Indian feature films were in the first instances refused censor certificate by the Board during the year 1973 :—

*1. Pran Jaye Per Vachan Na Jaye (Hindi)
*2. Dharma (Hindi)
*3. Keemat (Hindi)
*4. Prabhat (Hindi)
*5. Mister Sundari (Malayalam)
*6. Thedi Ventha Lakshmi (Tamil)
*7. Manzilen Aur Bhi Hain (Hindi)
*8. Jurm Aur Saza (Hindi)
**9. International Crook (Hindi)
**10. Siskiyan (Hindi)
11. Zamaane Se Poochho (Hindi)
12. Chuzhi (Malayalam)
13. Ithu Manushiano (Malayalam)

Sorting and Distribution of Letters

2106. Shri Shankar Dayal Sing : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme to ensure that delay is not caused in sorting and distribution of letters; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of communications (Prof.. Sher Sing) : (a) & (b) No specific scheme to ensure that delay is not caused in sorting and distribution of letters has been formulated. But the following measures have been taken to avoid delay in sorting and distribution of mails.

(i) Redeployment of staff necessitated by changes in the pattern of flow of traffic (inward and outward).

(ii) Enforcing through re-examination of sorted mail to check on the accuracy of sorting.

(iii) Examination of justification for direct bags to avoid double handling of sorted mails.

(iv) Ensuring punctual running of mail motor schedules conveying closed mails.

(v) Insisting on proper preparation of labelled bundles for places of destinations.

(vi) Utilisation of available road transport services (Private & State) for expeditious transmission of mails.

(vii) Exploring the possibilities of conversion of more runner lines into mail motor lines.

(viii) Enforcing regular and periodical testing of mail routes for exploiting means of quicker transmission of mails and elimination of bottle necks.

(ix) Alerting and motivating Supervisory staff to achieve better results.

---

*Revised versions of these films have since been certified by the Board after effecting prescribed cuts.

**Applications for the certificates of the revised versions of these two films are receiving the Board's consideration.

गुजरात में निर्यातोन्मुख उद्योग

2107. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में निर्यातोन्मुख उद्योगों के विकास तथा निर्यात योग्य मदों के उत्पादन की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है ; और

(ग) उस राज्य में निर्यात योग्य मदों के उत्पादन का संवर्धन करने के लिये पांचवीं योजना के दौरान सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी०राना) : (क) से (ग) सरकार के औद्योगिक नीति संबंधी निर्णयों में निर्यातोन्मुख उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। निर्यात उत्पादन में लगे कारखानों को दुर्लभ अपेक्षित आयातित कच्चे माल, वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चुंकि इन उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, अतः इन उद्योगों के चयन में तुलनात्मक लाभों तथा उत्पादन की किस्म का विशेष ध्यान रखा जाता है; ऐसे औद्योगिक कारखाने लगाते समय स्थान का चयन प्राकृतिक संप्रदायों तथा औद्योगिक विशिष्टियों के आधार पर किया जाता है, और क्षत्रीय बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। गुजरात के निर्यातोन्मुख उद्योग में संभाव्यता दिखाई पड़ने पर उस उद्योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है तथा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाते है। यहां तक कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निर्यात उद्योगों का महत्व समझा गया है और इन उद्योगों के संवर्धन के लिये विशेष उपाय किये गये हैं।

विदेशी फर्मों की ओर से अपने विस्तार/उत्पादों के विशाखन के लिये आवेदन पत्र

2108. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी औद्योगिक फर्मो ने नये औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन 1 जनवरी, 1974 से विस्तार/उत्पादों के विशाखन के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) के अनुमानतः विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 की ओर संकेत है जो 1-1-1974 से लागू है। अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि भारत में व्यापार वाणिज्य या औद्योगिक प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए अथवा इस प्रकार की गतिविधियों के लिए शाखा कार्यालय अथवा व्यापार स्थल की स्थापना के लिए या भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों की शाखाओं, 40 प्रतिशत विदेशी अंश वाली भारतीय कंपनियों या देश मे बाहर रहने वाले विदेशियों द्वारा भारतीय प्रतिष्ठान को पूर्णरुपेण अथवा आंशिक रुप से अधिग्रहण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधि से संबंधित आवेदन सरकार के विचारार्थ औद्योगिक विकास मंत्रालय को भेज दिए जायेंगे। अभी तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अधीन एक आवेदन प्राप्त किया है जिसकी जांच की जा रही है।

काश्मीर घाटी में गुप्त रेडियों केंद्र

2109. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अरविंद एस० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया हैं कि काश्मीर घाटी में 'सदा-ए-काश्मीर' नामक एक गुप्त रेडियो केन्द्र स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे रेडियो स्टेशन के प्रसारण का अभी तक पता नहीं लगा है।

Newsprint Corporation

2110. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri S. N. Misra :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up a corporation for newsprint is under Government's consideration ; and

(b) the action taken so far in this regard and the future plan of action ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) Yes, Sir. The proposal to set up a Corporation for newsprint is under consideration and a final decision is yet to be taken.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 'पब्लिक सर्वेंटों' पर मुकादमा चलाया जाना

2111. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नवम्बर, 1973 में 27 'पब्लिक सर्वेन्टों' पर मुकदमा चलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के विरूद्ध क्या आरोप लगाये गये थे और क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय तथा का कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) इन व्यक्तियों पर विभिन्न आरोपों, अर्थात् अवैध परितोषण की मांग करने तथा उसे स्वीकार करने, अवैध आर्थिक लाभ कमाने, आपराधिक कदाचार, अपने आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने, आपराधिक दुर्विनियोजन, जालसाजी, जाली लेखे/रिकार्ड रखने, धोखाधड़ी, दो वर्ष की निषिद्ध अवधि के बीच कार के बेच देने आदि के बारे में अलग-अलग न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं। ये मामले विचारण (ट्रायल) के लिए लम्बित हैं।

टेलीफोन के लिये प्रतीक्षा सूची

2112. श्री एम०सुदर्शनम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1973 को टेलीफोन के लिए राज्य-वार प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०शेर सिंह) : डाक-तार विभाग का गठन प्रशासनिक इकाइयों में किया गया है, जिन्हें डाक-तार सर्किलों और टेलीफोन जिलों के रूप में जाना जाता है। डाक-तार सर्किल की सीमाएं मोटे तौर पर एक या अधिक राज्यों की सीमाओं के अनुरूप होती हैं और टेलीफोन जिले की सीमाएं प्रमुख नगरों के आस-पास के इलाकों में ही केन्द्रीत होती हैं। टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची के आंकड़े सर्किलवार रखे जाते हैं, न कि राज्य वार। 31-12-73 की प्रतीक्षा सूची की स्थिति इस प्रकार थी :—

(क) डाक-तार सर्किल	
गुजरात सर्किल	35163
केरल सर्किल	14235
मद्रास सर्किल	9361
महाराष्ट्र सर्किल	16543
मैसूर सर्किल	4335
पंजाब सर्किल	28189
राजस्थान सर्किल	3142
पश्चिम बंगाल सर्किल	2136
जम्मू और कश्मीर सर्किल	2908
आन्ध्र सर्किल	4088
असम सर्किल	1761
बिहार सर्किल	3421
उड़ीसा सर्किल	1299
उत्तर प्रदेश सर्किल	13925
मध्य प्रदेश सर्किल	6986
(ख) टेलीफोन जिले	
अहमदाबाद जिला	20895
हैदराबाद जिला	4486
मद्रास जिला	14801
बम्बई जिला	145154
बंगलूर जिला	15395
कानपुर जिला	8335
कलकत्ता जिला	62255
दिल्ली जिला	84058
लखनऊ जिला	2689
पटना जिला	833
पूना जिला	12617
नागपुर जिला	326
जयपुर जिला	3005
योग	522341

पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास

2113. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने तेलंगना, रायल सीमा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ, लद्दाख, जम्मु आदि जैसे पिछड़े प्रदेशों के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के संबंध में कोई उपयुक्त मार्गनिर्देशी सिद्धान्त बताये हैं ; और

(ख) क्या योजना आयोग इन प्रदेशों की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए अलग 'सेल' स्थापित करेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ख) प्रधान मंत्री ने देश के विभिन्न भागों के पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र विकास की आवश्यकता पर समय समय पर बल दिया है । इस संबंध में योजना आयोग द्वारा राज्यों को त्वरित विकास के लिए पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने के हेतु उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए हैं । पांचवीं योजना के प्रारूप के अध्याय 14 भाग-2 में दर्शाए गए दृष्टिकोण तथा नीति से यह देखा जा सकता है कि इस संबंध में एकीकृत नीतियों तथा स्थानीय संभावनाओं समस्याओं और प्राथमिकताओं के महत्व के आधार पर संसाधनों के आवंटन पर बल दिया गया है । पिछड़े क्षेत्रों के विकास का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा । यद्यपि इस उद्देश्य के लिए पृथक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस प्रकार के कई एक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रबोधन तथा मूल्यांकन इकाइयों को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

मैसूर के भूतपूर्व नरेश की संपत्ति

2114. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के भूतपूर्व महाराजा ने 15 करोड़ के मूल्य के तीन महलों को अपनी सम्पत्ति होने का दावा किया है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार के विधि विभाग तथा राज्य के महाधिवक्ता ने उन्हें सूचित किया है कि वे महल राज्य की सम्पत्ति है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मैसूर के भूतपूर्व नरेश ने अगस्त, 1970 में मैसूर, बंगलोर तथा उटकमंड के तीन महलों, जिन्हें 1950 में उसकी निजी सम्पत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया था, से संलग्न अहस्तान्तरणीयता की शर्त हटाने के लिए कहा था ।

(ख) केन्द्र सरकार राज्य सरकार को उनके विधि अधिकारियों द्वारा दिये गये विचारों को प्रकट करने की स्थिति में नहीं है ।

(ग) केन्द्र सरकार को सलाह दी गई है कि संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के अधिनियमन से मैसूर के भूतपूर्व नरेश के तीन महलों, जिन्हें उनकी निजी सम्पत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया था, से संलग्न अहस्तान्तरणीयता की धारा वास्तव में समाप्त हो गई थी और यह कि मैसूर के भूतपूर्व नरेश और उनके उत्तराधिकारियों को उक्त तीन महलों के बारे में जैसा वे उचित समझे वैसा करने की छूट है । राज्य सरकार को उपरोक्त कानूनी स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

पांचवीं योजना में काम करने वाली स्त्रियों के लिये नौकरियां

2115. **श्री एम० कतामुत्तु :**

श्री रानेन सेन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्य करने वाली स्त्रियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ; और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के कार्यान्वियन में 'स्त्री' को सम्भावित बल मान कर कोई विचार किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में उन्हें नौकरियां दिलाने के संबंध में कोई उपाय किए हैं ; और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार ने स्त्रियों के दर्जे के संबंध में एक समिति का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(1) ऐसी संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जांच करना जिनका प्रभाव स्त्रियों के सामाजिक स्तर, उनकी शिक्षा तथा रोज़गार पर पड़ता है;

(2) यह ज्ञात करना कि गत दो दशकों में इन व्यवस्थाओं का देश की महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है और अधिक प्रभावशाली कार्यक्रम सुझाना ;

(3) स्त्रियों में शिक्षा विस्तार पर विचार करना तथा कुछ क्षेत्रों में धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी घटकों का पता लगाना और उसको दूर करने के लिए उपाय सुझाना।

(4) काम करने वाली महिलाओं से संबंधित समस्याओं का सर्वेक्षण जिसमें काम देने में तथा वेतन देने में भेदभाव भी शामिल है ;

(5) परिवर्तित सामाजिक स्वरूप को देखते हुए गृहणि तथा माता के रूप में महिलाओं के स्तर की जांच करना तथा उनकी और आगे शिक्षा प्राप्त करने तथा रोज़गार से संबंधित समस्याओं की जांच करना ;

(6) जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों का महिलाओं के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा यह ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण या व्यक्तिश: अध्ययन करना ;

(7) ऐसे और दूसरे उपाय सुझाना जिनसे महिलाएं राष्ट्र निर्माण कार्य में अपनी पूरी तथा उपयुक्त भूमिका निभा सकें ।

काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं का पता लगाने के लिए समिति ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रही है जहां महिलाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी आशा है कि इन सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्ट सितम्बर, 1974 तक प्राप्त हो जाएगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) संविधान द्वारा दी गई गारंटी के अनुरूप महिलाओं को उनकी योग्यता तथा उपयुक्ता के अनुसार विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत, विशेषत: शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में और पांचवी योजना में शामिल किए गए परिवार नियोजन, सामाजिक सेवा कार्यों, परिवार तथा शिशु कल्याण कार्यों, नागर विमानन संचार, आदि क्षेत्रों में, रोज़गार के समान अवसर प्राप्त होंगे ।

इसके साथ ही पांचवीं योजना में समेकित शिशु सुरक्षा सेवा (इंटेंगरेटेड चाइल्ड केअर सर्विसेज़) नामक एक स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव हैं जिसमें विशेष रूप से समाज के निर्बल वर्गों के लिए पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थय परीक्षा, सम्पर्क सेवा, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, छ: वर्ष तक के बालकों गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं के विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाएगा । पांचवीं योजना अवधि में ऐसी लगभग 1000 परियोजनाएं ग्रामीण, शहरी और जनजाति क्षेत्रों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इस स्कीम के अन्तर्गत परिकल्पित की गई पैकेज सेवाओं का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ताओं, जैसे कि बालसेविकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, की ज़रूरत पड़ेगी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में रोज़गार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है ।

उत्पादों के लिये केन्द्रीकृत आंकड़ें रखना

2116. श्री भालजी भाई परमार : क्या औद्योगिक विकास मंत्री विदेशी फर्मों को विस्तार के लिय आशय-पत्र जारी करने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उत्पाद के लिये, जिसके निर्माण हेतु औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अनुमति दी गई, आंकड़े (डेटा) बनाये रखना ऐच्छिक है अथवा अनिवार्य है ;

(ख) अनुमति/निरावृत्ति पत्र के लिये कोई केन्द्रीकृत आंकड़े (डेटा) क्यों तैयार नहीं किये गये थे ; और

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि अनुमति/निरापत्ति पत्रों के अन्तर्गत आये उत्पादन कार्यक्रम नई वस्तुयें नहीं मानी जायेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी०सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 में आंकड़ों के रखने के विषय में कोई उपबंध नहीं है । तो भी, इसके लाइसेंसीकरण व अन्य नीतियों के प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार ने अब इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए औद्योगिक अनुमोदनों से संबंधित आंकड़ों का रखना शुरू कर दिया है । अनुमति/अनापत्ति; विषयक पत्रों के विवरण से संबंधित कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे गए । अनुमति/अनापत्ति विषयक पत्रों को लाइसेंस समिति के इन निर्णयों के आधार पर जारी किया गया कि मौजूदा उपक्रम द्वारा अतिरिक्त वस्तू के उत्पादन का अर्थ नयी वस्तु का निर्माण करना नहीं होगा बशर्ते कि यह अतिरिक्त वस्तु तालिका के उसी मद में हो तथा बशर्ते कि नये ट्रेड मार्क या पेटेण्ट का प्रश्न अन्तर्विहित न हो ।

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिये की गई कार्रवाई

2118. श्री बनमाली पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) इस बारे में अब तक क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का कार्य एक सतत उत्तरदायित्व है और उसमें सरकार राजनैतिक दलों तथा सभी नागरिकों की ओर से संयुक्त प्रयत्न निहित हैं । इस संबंध में समय -समय पर सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में सदन को सूचित रखा गया है ।

1. राष्ट्रीय एकता परिषद ने जून, 1968 में श्रीनगर में अपनी बैठक में उद्देश्यों की एक घोषणा पारित करने के अतिरिक्त एकता की शक्तियो सशक्त करने के लिए कुछ विशिष्ट सिफारिशों की थीं । उद्देश्यों की घोषणा को कार्यरूप देने के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर की एकता परिषदों का गठन किया गया है ।

2. राष्ट्रीय एकता के साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय तथा शैक्षणिक और आकाशवाणी पहलूओं से संबंधित राष्ट्रीय एकता परिषद की विशिष्ट सिफारिशें उचित कार्यवाही के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाई गई हैं । जबकि इन सिफारिशों में से कुछ मार्ग दर्शी किस्म की हैं और उन पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्य का संबंध विधायी तथा प्रशासनिक उपायों से है ।

3. साम्प्रदायिक गतिविधियों को निपटाने के लिए कानून के उपबन्धों को मजबूत करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ आपराधिक तथा चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1969 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किये गये हैं। साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न मामलों के विचारण के लिए एक अधिक शीघ्र कार्यवाही की व्यवस्था करने वाला दंगाग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 भी संसद में पुरः स्थापित कर दिया गया है और इस समय संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है परिषद द्वारा की गई सिफारिश के असनुार एक सदस्यीय न्यायाधिकरण के बजाय प्रत्येक न्यायाधिकरण में तीन न्यायाधीशों की व्यवस्था करने के लिए सन 1968 में अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया था।

4. प्रशासन की ओर से केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विशिष्ट आसूचना एकक गठित किए गये, जिला अधिकारियों के उत्तरदायित्व के संबंध में आदेश दिए गये, राज्य, जिला व थाना स्तर पर एकता समितियां गठित की गई, पाठशालाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का प्रबन्ध करने तथा ऐसी राज्य समितियों के समन्वित प्रयत्नों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने, मेधावी छात्रों के एक राज्य से दूसरे में जाने के लिए समर्थ करने के लिये छात्रवृत्तियां तथा अनसंधान फेलोशिप की स्थापना करने, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय मिलन आयोजित करने तथा जन सम्पर्क माध्यम पर विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए राज्यों में विशेषज्ञ समितियां का गठन करना ये सभी लगभग कार्यान्वित किए गये हैं।

5. राष्ट्रीय एकता परिषद की शिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए उपाय करने के अतिरिक्त साम्प्रदायिक समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न उपाय करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिए हैं और विशेषकर साम्प्रदायिक संवेदनशील क्षेत्रों में कोई दंगे होने से रोकने तथा शान्ति भंग होने के सर्व प्रथम संकेत पर कठोर कार्रवाई करने के लिए बड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता पर भी दबाव डाला है। 1972 के दौरान साम्प्रदायिक अशान्ति के लिए अधिक प्रवृत्त जिलों के प्रभारी अधिकारियों की समस्या के सभी पहलूओं से अवगत कराने के लिए बंगलोर, बम्बई, नैनीताल तथा कलकत्ता में चार क्षेत्रीय सम्मेलन किए गये।

6. राष्ट्रीय एकता से संबंधित मामलों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में एक अलग प्रभाग गठित किया गया था, इस प्रभाग का संबंध साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय तथा भाषाई तनाव, भाषाई अल्प संख्यकों की सुरक्षा के कार्यान्वियन, धार्मिक तथा अन्य अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामान्य समस्याओं तथा शिकायतों सम्बन्धी मामलों से है।

7. राष्ट्रीय एकता के कार्य में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करने के लिए गृह मंत्रालय के पास राष्ट्रीय एकता के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए ऐसे स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं को सहायता अनुदान की एक लघु योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता से संबंधित मूल विषयों की वास्तविक परीक्षा के लिए विशिष्ट छात्रों/संस्थाओं को अध्ययन परियोजनाएं सौंपी गई हैं।

8. हरिजनों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए अनेक राज्यों में मख्य मंत्री के निजी पर्यवेक्षण में विशेष कक्ष गठित किये गये हैं।

9. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में हाल के वर्षों में एकता की शक्तियों सशक्त करने और साम्प्रदायिकता धार्मिकता, जातीयता तथा भाषायी अल्पसंख्यक अतिराष्ट्रीयता जैसे फूट डालने वाली शक्तियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से अभियान चलाये। यह पिछले कुछ समय में जन सामूहिक संचार प्रयत्न का एक केन्द्रीय विचार रहा है और फिल्मों समेत विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस का प्रचार किया गया है। सौन्दर्य के द्वारा इस का प्रचार किया गया है। सौन्दर्य मूल्य और सामाजिक सद्भाव की फिल्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्मों के लिए पुरस्कारों की एक योजना बनाई गयी है। इस योजना में राष्ट्रीय एकता संबंधी फिल्मों के लिए पुरस्कार सम्मिलित है।

10. भाषायी अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु विद्यमान सांविधिक उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

11. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्कूल पाठ्य पुस्तकों का एक मूल्यांकन किया गया है और राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल सामग्री वाली पुस्तकों को पाठ्यचर्या से निकालने की सिफारिश की गई है।

12. शिक्षाविदों और छात्र नेताओं की समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों में राष्ट्रीय एकता समितियों गठित की गई हैं। सारे देश में विश्वविद्यालयों में 60 समितियां और सम्बद्ध कालेजों में 56 समितियां इस समय कार्य कर रही हैं। ये समितियां छात्रों तथा अध्यापकों के संगठनों के बीच साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय भावनाओं को कम करने में और आपसी सहनशीलता व एकता बढ़ाने में बहुत अधिक लाभकारी पाई गई हैं।

13. राष्ट्रीय एकता परिषद के भविष्य की भूमिका तथा कार्यों तथा उस नीति के सम्बन्ध में जिस पर उसको पुनर्गठित किया जाना चाहिए पर सिफारिशें करने के लिए हाल में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है जिसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राज्य के मुख्य मंत्रियों, संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनैतिक दलों तथा अन्य में से लिए गये हैं।

24 अगस्त को समिति की बैठक हुई जिसमें विचार किए गये मामले इस प्रकार हैं :—

(1) साम्प्रदायिक स्थिति,

(2) अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रभावित करने वाली घटनाओं से उत्पन्न स्थिति,

(3) क्षेत्रीय तनाव की समस्याएं, और

(4) राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही।

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वियन की सीमा के बारे में पूर्ण सूचना और विभिन्न समस्याओं पर सदस्यों के विचार तथा सुझाव प्राप्त होने के बाद समिति की बैठक निकट भविष्य में होने की सम्भावना है।

गुजरात के भूतपूर्व वित्त और योजना मंत्री द्वारा पांचवीं योजना को पुनरीक्षित करने का सुझाव

2119. श्री राम सहाय पांडेय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भूतपूर्व वित्त और योजना मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि वर्तमान आर्थिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश की पांचवीं योजना का पुनर्विलोकन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गुजरात के भूतपूर्व वित्त और योजना मंत्री द्वारा दिए गए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षण सम्बन्धी सुझाव कि सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, वर्तमान आर्थिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, तथा 1973-74 की अर्थ-व्यवस्था के निष्पादन सहित सभी सम्बधित तत्वों को ध्यान में रख कर पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

27-2-1974 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1050 के उत्तर की ओर भी ध्यानाकर्षित किया जाता हैं।

बड़े औद्योगिक एककों की विकास दर

2120. **श्री के० मालन्ना :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में 101 बड़े औद्योगिक गृहों की विकास दर में वर्ष 1972-73 के दौरान काफी गिरावट आई है ; और

(ख) क्या इस वर्ष उनकी कुल परिसम्पत्ति केवल 7.7 प्रतिशत बढ़ी है जबकि इसके पूर्व के वर्ष में इस में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, और दूसरी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मजबूत स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान इकानामिक टाइम्स के अनुसंधान ब्यूरो द्वारा (फरवरी, 1974) में किये गये निगमित क्षेत्र के एक गैर-सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि यद्यपि निजी क्षेत्र की चोटी की 101 कम्पनियों की कुल आस्तियों में 1971-72 में हुई 8.2 प्र०श० की वृद्धि की तुलना में 1972-73 की अवधि में 7.7 प्र० श० की वृद्धि हुई है फिर भी, अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुखशाली स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

चन्डीगढ़ का भविष्य और फाजिलका और अबोहर का हरियाणा को अन्तरण

2121. **श्री नारायन चन्द पाराशर :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार वर्ष पूर्व के पंचाट निर्णय के अनुसार भारत सरकार चण्डीगढ़ के भविष्य और फाजिल्क तथा अबोहर के हरियाणा को अन्तरण के संबंध में जनवरी, 1975 तक निर्णय कर लेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित क्षेत्रों का अन्तरण करने के संबंध में आवश्यक प्रबंध किये जा रहे है और क्या प्रस्तावित अन्तरण के संबंध में सम्बद्ध राज्य सरकारों को भी बता दिया गया है ; और

(ग) क्या पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों अथवा मुख्य मंत्रियों ने कोई भिन्न मत प्रकट किये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) चण्डीगढ़, फाजिल्का और अबोहर के बारे में सरकार का निर्णय 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में ही निहीत है। निर्णय सम्बन्धित सरकारों को उचित रूप से सूचित कर दिया गया है। सीमा आयोग अभी नियुक्त नहीं किया गया है परन्तु सरकार मामले पर ध्यान दे रही है।

उड़ीसा में राजनीतिक दलों के नेताओं को आकाशवाणी भुवनेश्वर से अपने भाषण प्रसारित करने के लिये समय आबंटित करने के बारे में प्रस्ताव

2122. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आकाशवाणी भुवनेश्वर से अपने भाषण प्रसारित करने के लिये समय आबंटित करने के सम्भावना पर सरकार ने विचार किया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझोता हुआ था ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में क्या कठिनाइयां हो रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार रेडियो और टेलीविजन से राजनीतिक प्रसारण के लिए समय आबंटन के प्रश्न पर किसी भी सर्वसम्मत व्यवस्था का स्वागत करेगी। तथापि, चुनावों के समय इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सर्वदलीय मतैक्य प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा भूतकाल में किए गए प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

नये डाक/तार डिवीजनों के निर्माण या विद्यमान डाक/तार डिवीजनों के विभाजन में कर्मचारियों का आबंटन

2123. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक डाक तथा तार सर्किल के भीतर नये डाक/तार डिवीजनों के निर्माण या विद्यमान डाक/तार डिवीजनों और सब-डिवीजनों का विभाजन किए जाने के मामले में कर्मचारियों के आबंटन संबंधी नियमों और विनियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या किसी कर्मचारी को उसके जन्म-स्थान/निकटतम डिवीजन/सब-डिवीजन में आबंटन करने में कोई प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों के हित में आबंटन में दी जाने वाली प्राथमिकताओं की व्यवस्था निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) डिवीजनों और सब-डिवीजनों की दो भागों में विभाजित करने/नये डिवीजन/सब-डिवीजन बनाने के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों का तुरन्त तबादला करना जरुरी हो जाता है, उनसे तैनाती के लिए अपना विकल्प देने के लिए कहा जाता है। उसके बाद यह कोशिश की जाती है कि उनकी तैनाती उन्हीं स्थानों में कर दी जाय जहां के लिए उन्होंने विकल्प दिया हो। लेकिन यदि विभाजन के फलस्वरूप बनी यूनिटों में से किसी यूनिट में जितनी जगहें होती हैं उनसे कहीं ज्यादा कर्मचारी वहां तैनाती के लिए अपना विकल्प देते हैं, तो जितनी जगहें होती हैं, उन पर उन कर्मचारियों में वरिष्ठतम उतने ही कर्मचारियों को वहां तैनात किया जाता है और बाकी कर्मचारियों को दूसरी यूनिट में अलाट कर दिया जाता है।

(ख) हर कर्मचारी को अपनी मर्जी के यूनिट चुनने का अवसर दिया जाता है और जहां तक सम्भव होता है, उन्हें उनके वांच्छित यूनिट में तैनात कर दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त सीमा तक यह व्यवस्था पहले ही कर दी गई हैं।

आणविक बिजली के उत्पादन में थोरियम की उपयोगिता

2124. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अणुशक्ति आयोजक आणविक बिजली के उत्पादन में थोरियम की उपयोगिता के संबंध में कथित अमरीकी सन्देहों की जांच कर रहे हैं ; और

(ख) क्या हमारे विशाल थोरियम भंडारों की दृष्टि में रखते हुए किसी ऐसी प्रक्रिया का विकास किया गया है जिसके माध्यम से थोरियम को भंगुर (फिसाइल) में परिवर्तित किया जा सके ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : क) थोरियम को इस्तेमाल करने में जो समस्यायें सामने आती हैं उनसे परमाणु ऊर्जा विभाग अवगत है। योंकि नैसर्गिक रूप से पाये जाने वाले थोरियम में कोई भी विखंडनशील पदार्थ विद्यमान नहीं होता, अतः उसे परमाणु विद्युत् के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर तभी काम में लाया जा सकता है जब वह परमाणु विद्युत् रिऐक्टरों द्वारा यूरेनियम–233 नामक विखंडनशील पदार्थ में बदल दिया जाए।

(ख) जब थोरियम को फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर में आवरण की सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह युरेनियम –233 में परिवर्तित हो जाता है। युरेनियम –233 को बिजली पैदा करने के लिए विखंडनशील पदार्थ के रूप में काम में लाया जाता है। कल्पकम स्थित रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र में 40 मेगावाट शक्ति का जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर लगाया जा रहा है। उसकी सहायता से थोरियम को बड़े पैमाने पर काम में लाने की विभिन्न तकनिकों का विकास किया जायेगा।

भारत और नेपाल योजना आयोगों के बीच वार्ता

2127. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

श्री वी० मायावन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के योजना आयोगों के प्रतिनिधियों ने फरवरी, 1974 में नई दिल्ली में वार्ता आयोजित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था और इसमें क्या निर्णय किए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जिन विषयों पर विचार किया गया वे थे : नेपाल में करनाली तथा देवी घाट बिजली परियोजना का डिजाइन बनाने तथा निर्माण करने, काठमांडु तथा धनकुटा के मध्य सड़क बनाने, नेपाल में एक सीमेंट कारखाने और चीनी कारखाने की स्थापना करने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, तथा नेपाल के पशुपालन और भेड़ प्रजनन, बागवानी, भूमिक्षरण की रोक-थाम तथा नेपाली तकनीकी संस्थान को सहायता देने से सम्बन्धित कार्यक्रम थे। जिन परियोजनाओं पर दोनों देशों ने आपसी सहयोग करना स्वीकार कर लिया है, उनको शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए विशेष उपाय अपनाने के सम्बन्ध में भी स्वीकृति हो गई है।

Occupation of Delhi Office of Arab League Mission by Palestinian Students

2128. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Palestinian students had occupaied the Delhi Office of Arab League Mission in February, 1974; and

(b) if so, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) According to the information available with the Government, some Palestinian students had occupaied the office of the League of Arab States Mission in New Delhi from the 6th to the 9th February, 1974 to express their protest against the Geneva Conference.

समाचार पत्रों को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन देने के संबंध में नियमों और विनियमों का संशोधन

2129. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) बडे (दो) माध्यम और (तीन) छोटे स्तर के समाचार पत्रों को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन देने संबंधी नियमों और विनियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार वर्तमान नियमों तथा विनियमों में ऐसा संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है जिससे मध्यम और छोटे स्तर के समाचार पत्रों को अधिक सुविधायें दी जा सकें ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा (एक) बड़े (दो) मध्यम और (तीन) छोटे स्तर के समाचार पत्रों को वर्षवार कुल कितने मूल्य के विज्ञापन दिए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों का चयन करते समय निम्नलिखित आधारभूत बातें ध्यान में रखी जाती हैं :–

(1) प्रभावी खपत संख्या ;

(2) प्रकाशन में नियमितता ;

(3) पाठकों की श्रेणी और संख्या ;

(4) पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता के स्वीकृत स्तरों का पालन ;

(5) छपाई स्तर, भाषा तथा वे क्षेत्र जिन्हें उपलब्ध धन के अन्दर कवर किया जाना है; तथा

(6) सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए विज्ञापन दरों की स्वीकार्यता ।

(ख) वर्तमान नीति का उद्देश्य छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वालों का सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्दश्यों के अनुरूप अधिकाधिक प्रयोग करना है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :–

	1970–71	1971–72	1972–73
	रुपये	रुपये	रुपये
बड़े समाचारपत्र . .	94,81,206	1,07,25,516	95,37,925
मझोले समाचारपत्र . .	42,34,957	49,01,116	44,95,003
छोटे समाचारपत्र . .	40,18,522	32,22,284	52,19,903

नोट : बड़े समाचार पत्र—जिनकी खपत संख्या 50,000 से ऊपर हो ।

मझोले समाचारपत्र—जिनकी खपत संख्या 15,001 और 50,000 के बीच हो ।

छोटे समाचारपत्र—जिनकी खपत संख्या 15,000 तक हो ।

सिंगर सीविंग मशीन कम्पनी, यू० एस०ए० की अनुचित व्यापारिक गतिविधियां

2130. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सिंगर सीविंग मशीन कम्पनी, यू०एस०ए० की कौन-कौन सी मुख्य गतिविधियां हैं और कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस कम्पनी के द्वारा प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी नराशि स्वदेश भजी गई ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि यह विदेशी निर्माता कम्पनी मदुराई स्थित सिंगर टी०वी० एस० नामक कम्पनी से सिलाई मशीन की सुइयां बनवाती है और उससे इस प्रकार निर्मित माल को स्वयं खरीद कर केवल अपने व्यापारियों और दुकानों के माध्यम से बेचती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार की अनुचित और प्रतिबन्धित व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन

2131. **श्री ज्योतिर्मय बसु** क्या **औद्योगिक विकास** : मंत्री कालगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलगेट पामालिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का इस मद-वार वास्तिविक उत्पादन कितना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी०राणा) : वर्ष 1973 के लिए वस्तुओं तथा उत्पादन के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

वस्तुओं का नाम	माता मी० टनों में
1. टुज पेस्ट	4684
2. दूध पावडर	628
3. चेहरे पर लगाने वाली क्रीम/स्नो .	57
4. टेलकम/टॉयलेट पाउडर	281

तेलों तथा शेम्पू आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोगों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना

132. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोगों के द्वारा कितने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये गये ;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों के शीर्षक क्या थे ;

(ग) इसी अवधि के दौरान इन में से कौन-कौन से प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गये ; और

(घ) सभी प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उपलब्ध सूचना अनुसार तीन आयोगों ने सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं ।

(ख) (1) 3 मार्च, 1973 की सान्ता क्रुज हवाई अड्डे की दुर्घटना में जांच आयोग की रिपोर्ट ।

(2) जांच आयोग (19–22 अगस्त, 1972 के शाहदरा दंगे) की रिपोर्ट ।

(3) भारत सेवक समाज के कार्यों पर जांच आयोग की रिपोर्ट ।

(ग) 3 मार्च, 1973 के सान्ताक्रुज हवाई अड्डे की दुर्घटना पर जांच आयोग की रिपोर्ट 19 अप्रैल 1973 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी और भारत सेवक समाज के कार्यों पर जांच आयोग की रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी ।

(घ) जांच आयोग (19–22 अगस्त, 1972 के सामुदायिक दंगे) की रिपोर्ट अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई है क्योंकि ओंकार सिंह की मृत्यु से उत्पन्न आपराधिक मामले में अपील विचाराधीन है ।

गैर सरकारी उद्योग के लिये इंफ्रा स्ट्रक्चर (आधारभूत ढ़ांचा) सुविधाएं

2133. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी उद्योग को कुछ आधारभूत ढांचा सुविधाएं देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) सरकार ने उद्योग के लिये अवस्थापन (इन्फा-स्ट्रक्चर) सुविधाओं के विकास को सदा महत्व प्रदान किया है। विद्युत, परिवहन तथा संचार के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गयी है। राज्य सरकारों ने औद्योगिक बस्तियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है एवं औद्योगिक कारखाना लगाने हेतु अन्य आवश्यक अवस्थापन सुविधायें भी दी है।

Concessions to Political Sufferers in Appointments in Government Service

2134. **Shri M. C. Daga :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any concessions have been given to the political sufferers in the matter of appointments or re-appointments in Government service;

(b) if so, the number of political sufferers who have benefited by such concessions during the last three years; and

(c) the names of the political sufferers and the posts given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir. A Statement containing an outline of the concessions granted to them is enclosed.

(b) and (c) As the orders extending the concessions were issued long time ago (in the years 1948 and 1949) political sufferers eligible for the concessions must have availed themselves of them soon after the orders were issued. Moreover, appointment of political sufferers in terms of the orders issued in 1948 and 1949 has been made by the various appointing and other authorities in different Ministries/Departments and their attached and subordinate offices spread over the length and breadth of the country. In view of this, it would be difficult to collect information regarding the number of political sufferers who have been benefitted by the concessions during the last three years and the names of the political sufferers and the posts given to them. However, it may be mentioned that information collected in connection which Lok Sabha Unstarred Question No. 3836 dated 9-12-1970 by Shri S. N. Misra, and laid on the table of the House, showed that no political sufferer was appointed in Ministries/Departments including their attached and subordinate offices during the years 1969 and 1970. As such, there are not likely to be political sufferers who would have benefitted by the concessions during the years 1971, 1972 and 1973, as the concessions were notified in 1948 and 1949 and would have been made use of long ago between 1948 and a few years thereafter.

STATEMENT

Persons who took part in national movements and were thereby prevented from availing themselves of the normal opportunities for entry into Government service while they were still within the prescribed age limites, were allowed one chance to appear at an examination conducted by the Federal Public Service Commission (now Union Public Service Commission) or other authorities under the Central Government at which they would have competed in the normal course but for their participation in the national movements, provided they were not over 35 years of age on the date of commencement of the examination *vide* orders issued on 29-11-1948. This concession was admissible upto 31-12-1951.

2. According to the orders issued on 29-11-1948, where the prescribed conditions regarding qualifications were strictly fulfilled, and other considerations affecting the assessment of merits of candidates were equal, the authorities who made selection of candidates or public service could regard participation in the national work as an additional qualification and accord preference to candidates who had made sacrifices in the cause of the country's independence.

3. According to another order issued on 11-7-1949, such of the ex-Central Government servants who had been removed, discharged or dismissed from service on account of their patriotic activities or their participation in national movements resigned to secure the independence of the country, or who resigned their appointments out of patriotic motives or in order to participate in the national movements, were made eligible for re-employment, under the Government of India (but not re-instatement, unless in any case this had already been ordered), as far as possible in the same posts or grades from which they were removed or dismissed or from which they resigned, or in an equivalent or higher post. If they were eligible or employment in all other respect, the restrictions regrding the age limits were relaxed in their cases, the age of superannaution being the same as would have been applicable to them if they had countainued in service uninterruptedly.

केन्द्रीय औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व

2135. श्री रणबहादूर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने केन्द्रीय औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति में प्रतिनिधित्व की मांग की है क्योंकि राज्य में पर्याप्त औद्योगिक संसाधन हैं, परन्तु वहां मूलभूत ढांचे का अभाव है और मूलभूत ढांचे में सुधार करने के लिए उसे केन्द्र पर आश्रित होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शांतिपूर्ण कार्य के लिये परमाणु

2136. श्री बी० वी० नायक : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शस्त्रों पर सीमा लगाने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर करने से इस देश को परमाणु का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों अर्थात् विद्युत के प्रजनन आदि में करने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हाल ही में रूस के साथ हुई संधि के बाद एस. ए. एल. टी. पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उपकरण के मिलने तथा निर्यात करने वाले देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा देशीय विद्युत प्रजनन में होने वाले अत्याधिक विलंब को रोकने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) सामरिक महत्व के अस्त्रों को सीमित करने के लिए हुई वार्ता तथा वह समझौता जिस पर उस बातों के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर किए गए थे, अमरीका और सोवियत संघ के बीच के द्विपक्षीय मामले हैं तथा उससे भारत के न्यूक्लीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं

पड़ता है। भारत तथा सोवियत संघ के बीच हाल ही में जिस 15 वर्षीय करार तथा व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसमें कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे सहयोग में और वृद्धि की जायेगी। 1961 के समझौते में इस प्रकार के सहयोग के लिए व्यवस्था की गई थी।

साम्प्रदायिक दंगों में कमी

2137. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है; और

(ख) यदि हां, तो 1971, 1972 और 1973 में ऐसे कितने दंगे हुए ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सन 1971 के बाद देश में साम्प्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है। 1971 में 321 घटनाओं की तुलना में 1972 में 240 घटनाएं और 1973 में 242 घटनाएं हुई हैं।

लिफाफों तथा पोस्टकार्ड की डाक दरें

2138. **श्री बी०वी० नायक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लिफाफों तथा पोस्टकार्डों की भारत की डाक दरें, ब्राजील, सोवियत संघ, अमरीका और चीन की डाक दरों की तुलना में कितनी कम या अधिक हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : अन्य देशों में प्रचलित डाक-दरों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और तत्संबंधी एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दिया जाएगा।

Withdrawal of exemption from licences in respect of industries

2139. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Indian Government have ordered those ten industries in respect of which exemption from licences had been withdrawn on the 31st October last, to obtain licences in order to continue functioning ;

(b) the reasons for the withdrawal of exemption and for exempting them again; and

(c) the names of those industries ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) In their notification No. S. O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated the 16th February, 1973, (which is available in the Library of the House), Government had allowed exemption to certain classes of undertakings from the operation of licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. Having regard to the manufacturing capacities already licensed/registered and the competing demands on scarce raw materials, these exemptions were subsequently withdrawn on the 31st October, 1973 in respect of industries listed below :—

1. All qualities of steel manufactured from electric furnaces based on scrap.
2. Iron and steel pipes and tubes and stainless tubes.
3. Bright bars.
4. Tin containers and metal containers.

5. Drums and Barrels.

6. Wires of mild steel, special steel and alloy steel-coated and uncoated.

7. Re-rolling of steel.

8. Non-ferrous semis alloys, flat products and extrusions excluding aluminium semis.

9. Plastic processed goods.

10. Industrial Gases.

As per provisions of sub-section (2) of Section 29B of the Act, all the industrial undertaking pertaining to the above articles other than those in the small scale sector are now required to obtain licences to carry on the business of their undertakings in respect of these industries.

ऊर्जा संकट को दूर करने के लिये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना

2140. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा संकट को दूर करने के लिये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस दिशा में और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है। आशा है, यह समिति अपने प्रतिवेदन को शीघ्र ही अंतिम रुप दे देगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति की अन्तिम सिफारिशों के अनुसार सौर ऊर्जा के सफल उपयोग के लिए समन्वित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद

2141. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद अनिर्णित पड़े है तथा प्रत्येक विवाद कितनी अवधि से अनिर्णीत पड़ा है ;

(ख) इन विवादों को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस समय इन विवादों सम्बन्धी स्थिति क्या है और इन्हें शीघ्रता से हल करने के लिए और आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन): (क) वर्तमान सीमा विवाद जिनका सम्बन्ध महाराष्ट्र व कर्नाटक तथा कर्नाटक व केरल, के बीच की सीमा, असम व नागालैण्ड सीमा और पंजाब हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा से हैं जो 1956 में राज्य पुनर्गठन, 1963 में नागालैण्ड बन जाने तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से क्रमशः उत्पन्न हुआ हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा कर्नाटक व केरल के बीच सीमा विवाद के सम्बन्ध में ऐसा समाधान ढुंढ़ने के प्रयत्न किए जा रहे है जो अधिकतम लोगों को स्वीकार्य हों। इस सम्बन्ध में इस सदन में 27 फरवरी, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 110 तथा उसके पूरक प्रश्नों के उत्तर की

ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। असम-नागालैण्ड सीमा सम्बन्धी विवाद के मामले में इस सीमा के सम्बन्ध में तथ्य मालूम करने तथा किसी समायोजन की आवश्यकता और एक सर्व सम्मत हल निकालने के लिए भी सरकार ने एक सलाहकार नियुक्त किया है। उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा के विवाद का सम्बन्ध है परस्पर सहमति से समाधान ढुंढने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे है।

पंजाब और हरियाणा के लिये सीमा आयोग की नियुक्ति करना

2142. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा और पंजाब के बीच चण्डीगढ़ के बारे में विवाद के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के 29 जनवरी, 1970 के पंचाट के अन्तर्गत सीमा आयोग की नियुक्ति करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय उस प्रेस विज्ञप्ति में पहले ही निहित है जो 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई थी तथा इसके सम्बन्ध में एक आयोग की नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया जाना

2143. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के पुलिस कमिशनर ने जनवरी, 1974 में दंगों के दौरान कर्फ्यु आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नगर में देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी किए थे ; और

(ख) यदि हां, तो कर्फ्यू कितने दिन तक लगाया गया तथा इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए देखते ही गोली मार देने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे।

(ख) अहमदाबाद में 18 जनवरी से 20 जनवरी, 1974 को छोड़कर 9/10 जनवरी, 1974 की रात से आज तक, कुछ घण्टों के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति को गोली नहीं मारी गई।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाषायी अल्प-संख्यकों पर अत्याचार

2144. **श्री मधु दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाषायी अल्पसंख्यकों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्र रुप से जांच कराने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत

2145. श्री मधु दंडवते :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच सीमा विवाद का हल ढूंढने के विचार से दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रीयों से कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सीमा विवाद के संबंध में दोनों मुख्य मंत्रियों की बातचीत के असफल होने की स्थिति में केन्द्र कोई हल निकालेगा और उसे दोनों राज्यों पर लागू करेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) 27 फरवरी 1974 को इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 110 और उसके पूरक प्रश्नों के उत्तर की ओर ध्यानार्कषित किया जाता है ।

पूर्वी भारत में डाक सेवाएं

2146. श्री रानेन सेन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में डाक सेवा खराब है जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भारत के विभिन्न भागों यहां तक कि पूर्वी भागों से भी डाक विलम्ब से प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन में तालाबंदी होने के कारण दिसम्बर 1973 और जनवरी 1974 के पहले पखवाडे में ट्रंक मार्गों पर डाक व्यवस्था में जरूर कुछ व्यवधान हुआ था। इसके अलावा लोको कर्मचारियों को हडताल समाप्त हो जाने पर भी ट्रेन सेवाओं को व्यवस्था सामान्य होनेमें कुछ समय लगा था। इस समय इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन को उडानें और ट्रेनों का आना जाना करीब-करीब पहले जैसा हो गया है, इसलिए अब डाक व्यवस्था भी सामान्य हो गई है ।

(ख) हडताल के दौरान वैकल्पिक हवाई और रेल सेवाओं का भरपूर उपयोग किया गया था। जहां कहीं संभव हो सका, रोड सेवाओं का भी लाभ उठाया गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार तथा योजना आयोग में मतभेद

2147. श्री रानेन सेन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष की वार्षिक योजना के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार तथा योजना आयोग के तीव्र मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में बेरोजगार व्यक्तियों के लिये नौकरियां

2149. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को नौकरियां देने के लिए 250 करोड रुपये के मूल्य की एक योजना केन्द्रीय सरकार को पेश की है,; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है और उस पर क्या निर्णय लिए गए है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन को अधिक से अधिक 250 लाख रु० के अस्थायी आवंटन के मुकाबले 45 स्कीमों को स्वीकृति दे दी गई है । मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरुप इन स्कीमों पर 156.42 लाख रु० का परिव्यय शामिल है तथा 11,198 लोगों को रोजगार अवसर सुलभ करने का उद्देश्य है । 167 लाख रु० मूल्य की दो नई स्कीमों और एक संशोधित स्कीम पर विचार हो रहा है । स्कीमों के प्रकार, स्वीकृत वित्तीय परिव्यय और अनुमानित रोजगार के अनुसार अब तक स्वीकृत स्कीमों का विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रम सं०	स्कीम का प्रकार	स्कीमों की संख्या	स्वीकृत परिव्यय (लाख रु०)	रोजगार क्षमता (सं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्वनियोजन और बुनियादी विकास स्कीमें ।	8	89.87	5,829
2.	प्रशिक्षण और वृत्तिभोगी रोजगार स्कीमें	35	61.56	4,825
3.	सहायता प्राप्त और प्रोत्साहन रोजगार स्कीमें ।	2	4.99	544
	जोड़	45	156.42	11 198

भारत और श्रीलंका के बीच सूक्ष्म तरंग परियोजना

2150. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच एक नई सूक्ष्म तरंग परियोजना का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है और इसकी क्षमता कितनी होगी और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । साइट माइक्रोवेव प्रणाली की एक लाइन के जरिए मदुरै (भारत) और कोलंबो (श्रीलंका) को आपस म जोड़ने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस लिंक की इंजीनियरी संबंधी व्यवस्था के लिए दोनों देशों में विस्तृत सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद इस लिंक की इंजीनियरी की जांच की जाएगी और तखमीने तैयार किए जाएंगे। इंजीनियरी का काम पूरा हो जाने के बाद ही यह हिसाब लगाया जा सकता है कि इस पर कितनी लागत आएगी, इसमें कितनी क्षमता होगी और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

विभिन्न आन्दोलनों में डाक तथा तार विभाग को हानि

2151. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान देश में विभिन्न संगठनों द्वारा हिंसात्मक आंदोलन करने के कारण डाक तथा तार विभाग की कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अब तक जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार हानि की रकम करीब 3,83,410 रुपये निकलती है ।

(ख) विभाग ने राज्य सरकारों के साथ सभी स्तरों पर अर्थात् स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ बहुत निकट और कारगर संपर्क स्थापित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं ।

चौथी योजना अवधि के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन

2152. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवार्षीय योजना के दौरान देश में अखबारी कागज का उत्पादन का कितना लक्ष निर्धारित किया गया था; और

(ख) क्या इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) चतुर्थ योजनावधि के अंत तक प्रति वर्ष 1.5 लाख मी० टन उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना था। गैर सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के लिए लाइसेंस प्राप्त योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जा सकी अतः लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका ।

विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र के सहयोग के लिये भारत-जर्मन करार

2153. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के बारे में फरवरी, 1974 में भारत जर्मन करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी भारत जर्मन करार शीघ्र ही किया जायेगा ।

(ख) इस करार में सूचना विनिमय तकनीकी प्रलेखीकरण, वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के विनिमय तथा अनुसंधान परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की व्यवस्था है। सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जिनमें भौमिकी, सामग्री अनुसंधान, जीवन विज्ञान, गैर नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (कोयला प्रक्रम, हाइड्रोजनीकण, गेसीकरण, कम मूल्य के कोयले को उन्नत करना) इलैक्ट्रोनिक्स, यांत्रिक इंजीनिअरी सम्मिलित है ।

भट्ट समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

2154. **श्री धामनकर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडिया इनवेस्टमेंट सेन्टर के अध्यक्ष श्री आर० एस० भट्ट की अध्यक्षता में नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में कितना समय लेगी;

(ख) क्या समिति ने नए उद्यमों और मध्यम दर्जे के उद्यमों को, वर्तमान कर छूट उपबन्धों को विस्तृत बना कर कम्पनी विधि के वर्तमान उपबन्धों में राहत देकर और पात्र उद्यमकर्ताओं को उनकी निजी आय पर सीमित अवधि के लिए एक सीमित राशि तक कर छूट देकर, कार्यकारी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के बारे में छूट देकर और एक करोड़ रुपये की पूंजी लगे मध्यम दर्जे के उद्योगों का वर्गीकरण करके और साम्य वित्त पोषण आदि के बारे में सरकार की नीति में परिवर्तन करके बढावा देने के उपायों की सिफारिश की है; और

(ग) क्या इन उपायों को क्रियान्वित किये जाने से लघु उद्यम सुचारू रूप से मध्यम दर्जे के एकक बन सकेंगे और उन्हें ऐसा करने में प्रोत्साहन मिलेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) लघु व मध्यम उद्यमों के विकास पर भट्ट समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं से परामर्श द्वारा सरकार के समक्ष विचाराधीन है । इन सिफारिशों के प्रक्रियान्वियन में विभिन्न अभिकरण सम्बद्ध है। इन सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की सरकार को आशा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) समिति का मत है कि निम्नलिखित स्त्रोतों के नए उद्यमियों की प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग करके उद्योग का त्वरित विकास किया जा सकता है :—

(1) सफल लघु उद्यमों का विस्तार करके

(2) मौजूदा मध्यम तथा बड़े उद्यमों के तकनीकी व प्रबन्ध अधिकारी

(3) विश्व विद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विश्व

(4) उपर्युक्त वर्गों में से किसी एक वर्ग में आन वाल अ—वासी भारतीय ।

गुजरात के भूतभूर्व मुख्य मंत्री श्री चिमनभाई पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2156. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनको दिए गए ज्ञापन में गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चिमनभाई पटेल के विरुद्ध रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चिमनभाई पटेल के विरुद्ध रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हों ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले तथा तेल की कमी के कारण दिल्ली में औद्योगिक एककों का बन्द होना

2157. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी में बड़ी संख्या में औद्योगिक एकक कोयले और डीजल के अभाव में बन्द होने की स्थिति में आ गए है;

(ख) क्या इससे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में रुकावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) दिल्ली राज्य के उद्योग निदेशक ने बताया है कि उन्हें कोयले और डीजल तेल की कमी के कारण किसी भी एकक के बंद होने जाने का समाचार नहीं मिला है । दिल्ली प्रशासन कोयले की प्राप्ति में कमियों की सतत संवीक्षा रख रहा है तथा, जहां आवश्यक होता है वहां, रेलवे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है ।

बम्बई उच्च न्यायालय में टेलीफोन काटने की कथित धमकी

2158. **श्री सी० जनार्दन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय के टेलीफोन काट देने की कथित धमकी के बारे में 30 जनवरी 1974 को प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :—

बम्बई हाई कोर्ट के प्रोटोनोटरी और सीनियर मास्टर के नाम काम कर रहे टेलीफोन नम्बर बम्बई-250237 से संबंधित 312 रुपये 20 पैसे का एक बिल बकाया पड़ा था जिसकी अदायगी 15-11-73 से पहले ही जानी चाहिए थी । 12-12-73 को टेलीफोन से औपचारिक याद दिहानी कराने की कोशिश की गई लेकिन इस टेलीफोन से कोई जवाब नहीं मिला । इसके बाद यह टेलीफोन 21-1-74 को काट दिया गया । तदनन्तर 24-1-74 (दोपहर बाद) को उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि टेलीफोन अधिकारियों से मिले और यह टेलीफोन अगले दिन फिर चालू कर दिया गया । बिल का भुगतान 29-1-74 को किया गया । दूसरा मामला टेलीफोन नम्बर 25137 से संबंधित है जो हाई कोर्ट के कीपर के नाम काम कर रहा है । इस मामले में भी 412 रुपये के एक टेलीफोन बिल का भुगतान नहीं किया गया था । यह भुगतान 10-12-73 तक हो जाना चाहिए था । 12-12-73 को टेलीफोन से याददिहानी कराई गई और 21-1-74 को यह टेलीफोन काट दिया गया । हाई कोर्ट के प्रतिनिधि 24-1-74 को दोपहर बाद बम्बई टेलीफोन के

प्रबंधक से मिले थे और अगले दिन अर्थात् 25-1-74 को यह टेलीफोन भी दुबारा चालू कर दिया गया। इस बिल की अदायगी 31-1-74 को हुई। इन दोनों मामलों में डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन ने टेलीफोन काटने से पहले इसकी सूचना संबंधित उपभोक्ताओं को अलग अलग दे दी थी। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि सिर्फ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नाम खुले टेलीफोन ही डिसकनेक्शन से बरी होते हैं। उपर्युक्त दोनों टेलीफोन कनेक्शन इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते।

बर्लिन में हुआ वृत्त-चित्र समारोह

2159. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बर्लिन में हुये वृत्त-चित्र समारोह में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) क्या भारतीय फिल्मों को पुरस्कार प्राप्त हुये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) से (ग) जी, हां। भारत ने बर्लिन में 21 जनवरी से 26 जनवरी, 1974 तक आयोजित आठवीं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसमें फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई निम्नलिखित पांच डाकुमेन्ट्री फिल्मों को पुरस्कार प्राप्त हुए थे :—

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	प्राप्त पुरस्कार
1	दि गोल्डन वाइन	गोल्डन ईअ्र
2	दि फार्मर्ज़ वाइफ	सिल्वर ईअ्र
3	सेफ्टी इन दि यूज़ आफ ट्रेक्टर्ज़ . . .	ब्रोन्ज़े ईअ्र
4	इनक्यूबेशन एण्ड हैचिंग . . .	ब्रोन्ज़े ईअ्र
5	मार्कफैड मार्चिज़ अहैड	खाद्य और कृषि संगठन का ओसिरिस पुरस्कार

चौथी योजना में सीमेंट का उत्पादन

2160. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के उत्पादन का कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) 180 लाख मीट्रिक टन।

(ख) जी, नहीं।

उड़ीसा में "हाफ-ए मिलियन जाब्स" कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था

2161. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में "हाफ-ए-मिलियन जाब्स" कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये जिलेवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान कितने शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम 1973-74 के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता की 280 लाख रुपये की उच्चतम राशि आबंटित की गई है। 263.56 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की स्कीमें, जिनसे 20,800 रोजगार सुलभ होंगे, औपचारिक रूप से स्वीकृत किए जा चुके हैं। कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए धन की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता का 50 प्रतिशत पहले ही मुक्त किया जा चुका है।

इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 70.95 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा चुके हैं जिनसे दिसम्बर, 1973 तक विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित 9,793 शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार सुलभ हुआ।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए जारी किए गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि जहां तक सम्भव हो राज्य में जिलावार रोजगार के अवसर सुलभ करें। परन्तु भारत सरकार ने धन का जिलावार आबंटन नहीं किया।

(ग) उड़ीसा में पांच लाख रोजगार के अवसर कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान शिक्षित और अशिक्षित लोगों को सुलभ किए गये रोजगार के आंकड़े कभी सुलभ नहीं हैं।

उड़ीसा के विभिन्न खंडों में आदिमजाति व्यक्तियों में व्याप्त ऋणग्रस्तता

2162. **श्री गजाधर माझी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य के विभिन्न खण्डों में आदिमजाति व्यक्तियों में व्याप्त ऋण ग्रस्तता की सीमा तथा प्रकार के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिये उड़ीसा सरकार को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार ने इस संबंध में इन समुदायों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) राज्य सरकार तथा आदिवासी विकास एजेंसियों से ऋण राहत कार्यों तथा ऋणोत्तर राहत की देखभाल की उचित व्यवस्था करने की दृष्टि से, गंजम तथा कोरापुट जिलों की आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं के अन्तर्गत खण्डोंमें रहने वाले अनुसूचित जन जातियों में ऋणग्रस्तता की सीमा का सर्वेक्षण करने को कहा गया है। सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

राजकोट में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रार्थना पत्र

2163. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के दौरान गुजरात राज्य में राजकोट में कितने नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं ;

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों के कितने मामले विचाराधीन हैं और किन कारणों से ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1973 में राजकोट में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1408 अर्जियां प्राप्त हुई ?

(ख) वर्ष 1973 में 340 नये कनेक्शन दिए गए ।

(ग) एक्सचेंज में नये कनेक्शन देने की और गुंजाईश न होने की वजह से इस समय कुल 2787 अर्जियां प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं । इनमें 1973 की अर्जियां भी शामिल हैं । राजकोट एक्सचेंज में 3000 लाइनें और जोड़ने की स्वीकृति दे दी गई है । अगले वर्ष इनमें से 1500 लाइनें स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

पश्चिम क्षेत्र में परमाणु बिजली घर की स्थापना

2164. **श्री अरविंद एम० पटेल :** क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री सौराष्ट्र में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थान चयन समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम क्षेत्र में परमाणु बिजली घर किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । वह प्रतिवेदन समिति को संयंत्र-स्थल से सम्बन्धित परिस्थितियों के बारे में कुछ और सूचना देने के लिए लौटा दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सब राज्यों में सीमेंट का समान मूल्य

2165. **श्री नरेंद्र कुमार सांघी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों को एक समान दर पर सीमेंट उपलब्ध कराने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या भाड़ा पूल पद्धति में परिवर्तन करने के बारे में सोचा जा रहा है; और यदि हां, तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जा रही है जिससे सर्वत्र सीमेंट का समान बिक्री मूल्य लागू किया जा सके; और

(ग) क्या सीमेंट की बिक्री के लिए दोहरी मूल्य नीति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) केन्द्र सरकार समय-समय पर संशोधित सीमेन्ट कन्ट्रोल आर्डर 1967 की धारा 8 की शर्तों के अनुसार देश में सर्वत्र सीमेन्ट की बिक्री हेतु गन्तव्य स्थल तक का रेल भाड़ा मुक्त एक समान मूल्य निश्चित कर चुकी है । सीमेन्ट कन्ट्रोल आर्डर की धारा 10 के अनुसार राज्य सरकारों को सीमेन्ट के थोक तथा फुटकर माल के मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिला हुआ है । राज्य सरकारों को थोक अथवा फुटकर मूल्य नियत करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त एक समान मूल्य हेन्डलिंग तथा परिवहन प्रभार, गोदाम प्रभार, स्टाकिस्टों का लाभ स्थानीय कर, यदि कोई हों तो तथा अतिरिक्त सड़क प्रभार जहां कही लागू होता हो पर ध्यान देना पड़ता है । गन्तव्य स्थल तक रेलभाड़ा मुक्त को छोड़ कर, वे बाते जिन पर थोक अथवा फुटकर माल का मूल्य निर्धारित होता है, प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती हैं तथा एक ही स्थान के विभिन्न स्थानों पर भी भिन्न भिन्न होती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अंग्रेजी भाषा में भारतीय फिल्मों का निर्माण

2166. **श्री नरेंद्र कुमार सांघी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अंग्रेजी फिल्म बनाने को प्रोत्साहन देने तथा विदेशों में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता में वृद्धि करने की दृष्टि में रखते हुए हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों को अंग्रजी भाषा में डब करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार कुछ भारतीय फिल्म निर्माताओं के द्वारा भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में फिल्मों के उप-शीर्षक देने तथा डब करने के लिये पहल किए जाने के पक्ष में है। इससे फिल्मों का देश तथा विदेशों में अधिक प्रदर्शन सफल हो जाता है।

(ख) इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के पास उप-शीर्षक देने का एक प्लान्ट है तथा फिल्म वित्त निगम ने हाल ही में कुछ चुनी-चुनी फिल्में फ्रान्सीसी भाषा में डब की हैं। यदि परिणाम उत्साहवर्धक हुए तो प्रयोग का विस्तार किया जा सकता है।

Method of appointment in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2167. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the method of appointment of casual and regular employees in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ;

(b) the number of employees recruited on casual and regular basis through Employment Exchange during the last two years ; and

(c) the number of casual employees working at present and the rules under which they were recruited ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) The vacancies are notified to Employment Exchange, Commercial Secretariat Institute, a Government Organisation and also on the Notice Board and qualified persons out of the candidates are selected after interviews by a Selection Committee duly constituted for the purpose.

(b) No regular employee was recruited during 1972 and 1973. In response to the requisition for employment of candidates on casual basis in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, the Employment Exchange could not suggest any name till the date of interviews.

(c) Only two casual workers are in position in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, as on 1-3-1974. They were recruited by the method mentioned at (a) above.

Report of Asoka Mehta Committee on K.V.I.C.

2168. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the steps taken by the Khadi and Village Industries Commission to implement the recommendations of the Asoka Mehta Committee Report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

1973-74 में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाये गये मुकदमें

2169. **श्री पीलू मोदी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1973-74 के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें शुरू किये थे ;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही शुरू की गयी थी ; और

(ग) उनके विरूद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) पहली जनवरी, 1973 से 31 जनवरी, 1974 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 377 सरकारी कर्मचारियों (जिनमें 71 राजपत्रित अथवा उनके समान स्तर के अधिकारी सम्मिलित हैं) के विरुद्ध अभियोग की कार्यवाहियां चलाई गई थीं। इन कर्मचारियों पर अवैध परितोषण की मांग करने तथा उसे स्वीकार करने, अपने आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने, अवैध आर्थिक लाभ कमाने, आपराधिक कदाचार, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार, जालसाजी, दुर्विनियोग, धोखाघड़ी, आदि से संबंधित आरोप थे ।

कर्नाटक में लघु उद्योग में कच्चे माल की कमी

2170. **श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में कच्चे माल तथा तैयार माल का उत्पादन करने वालों द्वारा लघु निर्माताओं को कच्चे माल का आवन्टन करने और सप्लाई करने के बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ख) कर्नाटक राज्य में लघु उद्योगों में कच्चे माल की कितनी कमी होने का अनुमान लगाया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यद्यपि कच्चे तथा तैयार माल बनाने वालों पर उनके कच्चे माल के उत्पादन में से कुछ अंश को लघु एककों को दिए जाने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है परंतु विशेष तौर से अनुरोध किए जाने की स्थिति में उनसे अपने कच्चे माल के उत्पादन में से कुछ भाग को लघु एककों को देने का आग्रह किया जाता है ।

सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल के आयात को उदार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं । ये निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य निदेशक (उद्योग) तथा निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान दोनों ही द्वारा प्राथमिकता वाले लघु उद्योगों की एक पारी के आधार पर आंकी गई क्षमता पर सी० सी० आई० एण्ड ई० द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर कच्चे माल व हिस्से पुर्जे के आयात करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे निर्धारण के होने तक प्रति छह मास के लिए अधिकतम 1 लाख रु० की सीमा तक निम्नलिखित आधार पर कच्चे माल के आयात करने की अनुमति होती है :—

उद्योग	मशीनों के मूल्य के विषय में आयात की हकदारी (प्रतिशत)
(1) रसायन, भेषजै औषधियां तथा कीटनाशी पदार्थ . . .	100
(2) इलैक्ट्रानिक पुर्जे तथा उपकरण	70
(3) अन्य उद्योग	40

(2) गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों के संबंध में लघु उद्योगों को अधिष्ठापित मशीनों के मूल्य के 30% के बजाय 40 प्रतिशत के आधार पर प्रतिवर्ष 75,000 के बजाय लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक कच्चे माल के आयात करने हेतु लाइसेंस मिलता है ।

(3) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में रत एककों को उनकी हकदारी से 20 प्रतिशत का अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा ।

(4) सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा स्नातक इंजीनियरों द्वारा स्थापित लघु एककों तथा पिछड़े क्षेत्रों में लगाये गये एककों को दिए जानेवाले आयात के लाइसेंसों की सीमा 1 लाख रु० से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है ।

कर्नाटक राज्य के लघु एककों सहित सभी लघु एककों द्वारा इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है ।

(ख) कर्नाटक राज्य की कमी को अलग से नहीं आंका गया है ।

वर्ष 1974 में टेलीविजन सेटों का उत्पादन

2171. श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में देश में कितने संख्या में टेलीविजन सेटों का उत्पादन होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : 1973 के कलैण्डर वर्ष में टेलीविजन सेटों का कुल उत्पादन लगभग 75,000 रहा ।

पांचवीं योजना के दौरान टेलीवीजन केन्द्रों की स्थापना

2172. श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू पांचवीं योजना के दौरान कितने टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : दिल्ली, बम्बई (पूना में रिले केन्द्र सहित) और श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र तथा अमृतसर में एक प्रेषण केन्द्र पहले ही काम कर रहे हैं । चालू चौथी योजना की परियोजनाओं के मुकम्मल होने के परिणामस्वरूप पांचवीं योजना के दौरान अन्य केन्द्र मद्रास, लखनऊ (कानपुर में रिले केन्द्र सहित), कलकत्ता (खड़गपुर तथा आसनसोल में रिले केन्द्र सहित), और जलन्धर (कसौली में रिले केन्द्र सहित), में स्थापित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों जो उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग द्वारा कवर किए जायेंगे, में सेवा जारी रखने के लिए पटना, कटक और हैदराबाद में तीन मूल केन्द्र और इनसे सम्बद्ध 18 रिले केन्द्र पांचवीं योजना की नई परियोजनाओं के रूप में स्थापित किए जाने की संभावना है ।

त्रिपुरा के आदिमजाति व्यक्तियों की शिकायतें

2173. श्री दशरथ देव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को त्रिपुरा में आदिमजातियों की शिकायतों के बारे में त्रिपुरा राज्य उपजाति गण मुक्ति परिषद से दिसम्बर, 1973 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा की जनजातियों ने उस ज्ञापन में क्या मांगे रखी है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मांगों का संलग्न विवरण में उल्लेख है ।

(ग) सरकार अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने और उनकी आर्थिक व शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने की इच्छुक है । पांचवीं योजना में त्रिपुरा में अनुसूचित जन जातियों/जातियों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए 3 करोड़ रूपये की अन्तरिम व्यवस्था की गई है ।

विवरण

त्रिपुरा की जनजातियों द्वारा की गई मांग का ब्यौरा

1. त्रिपुरा में जनजाति रिज़र्व का पुनर्गठन जिसमें ऐसे वर्तमान संयुक्त जनजाति क्षेत्र हों, जहां जनजाति जनसंख्या का बाहूल्य है ।

2. जनजातियों से गैर जनजातियों को भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने वाला और किसी ऐसी भूमि को जनजाति को वापस कराने के मामले में स्वविवेक से अथवा प्रभावित जनजातियों की ओर से जांच पड़ताल करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों को शक्तियां देने वाला विशेष विधान ।

3. अनुसूचित क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार के आधार पर जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से क्षेत्रीय समिति का गठन और जनजाति क्षेत्रों के लिए विकास कार्य हाथ में लेने हेतु क्षेत्रीय समिति को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करना ।

4. जनजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई पृथक राशि का आवंटन ।

5. त्रिपुरा में 1 जनवरी, 1962 अथवा बाद में (अर्थात् त्रिपुरा में वर्तमान त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के लागू होने के बाद) जनजाति से गैर-जनजाति को अवैध रूप से हस्तान्तरित भूमि जनजाति को वापस करना और पात्र मामलों में गैर-जनजाति भूधारकों को मुआवज़े का भुगतान ।

6. 'काक बरक' (त्रिपुरी भाषा) को त्रिपुरा राज्य की द्वितीय क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता और उसके विकास के लिए पर्याप्त धन राशि का आवंटन ।

7. प्रत्येक विभाग में गैर-तकनीकी संवर्गों की विशेष भरती द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के पिछले कोटे को भरना ।

8. निःशुल्क छात्रावास की सुविधाओं समेत सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा ।

9. जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जनजाति पट्टियों में हायर सेकैन्डरी स्तर तक रिहायशी स्कूलों की स्थापना ।

10. बढ़ाई गयी सहायता अनुदान से जुमियास (एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करने वाले) का त्वरित पुनर्वास । जुमियास को उनकी परम्परागत भूमि में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जारी रखने की अनुमति देना, जब तक उनके लिए किसी दूसरे लाभप्रद व्यवसाय की व्यवस्था नहीं की जाती है ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आदेश (संशोधन) विधेयक

2174. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4482 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) विधेयक पुनः पुरः-स्थापित करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) विधेयक कब पुर:स्थापित किया जायेगा तथा इस विधेयक को पुर:स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मौहसिन) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है। अन्तर्ग्रस्त कई नाजुक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अभी तक कोई अन्तिम फैसला संभव नहीं हुआ है।

केरल के कुटुम्बी और वेलन समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

2175. श्री सी० के० चंद्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में पिछड़ी जातियों के ईसाई समुदाय, कुटुंबी तथा वेलन समुदाय से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मौहसिन) : (क) इन समुदायों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

(ख) जहां तक कुटुम्बी तथा वेलन समुदायों का संबंध है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 संबंधी संयुक्त समिति ने केरल की अनुसूचित जातियों की सूची में उनके शामिल करने की सिफारिश की थी। जहां तक ईसाइयों का संबंध है, राष्ट्रपति के आदेश स्पष्ट है कि केवल वे जो हिन्दू या सिख धर्म के हैं, अनुसूचित जातियों के हो सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों में संशोधन तथा सुविधा जो हरिजन माने गए अन्य समुदायों को उपलब्ध हो सकती हैं के प्रश्न पर सत्रीय रुप से विचार किया जा रहा है।

भारत-अमरीका संयुक्त उपक्रम

2176. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत में बड़ी मात्रा में पुंजी लगा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या तीन परियोजनाओं के लिए भारत-अमरीकी उपक्रमों को स्वीकृति दे दी गई है ;

(घ) क्या इस समय इस बारे में बड़ी मात्रा में पुंजी निवेश पर बातचीत चल रही है ; और

(ङ) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) वर्ष 1972 में 409.20 लाख रु० की इक्विटी पुंजी निवेश के अमरीकी पार्टियों के साथ विदेशी सहयोग के 14 प्रस्तावों के लिये स्वीकृति दी गयी थी। 1973 में ऐसी स्वीकृतियों की संख्या 12 थी जिनमें 119.63 लाख रु० की इक्विटी पुंजी निवेश था।

(घ) तथा (ङ) विदेशी सहयोग के लिए पार्टियों द्वारा तभी आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जब कि उन्होंने विदेशी सहयोगी से मोटे तौर पर शर्तों के बारे में बात चीत कर ली गई होती है। इस दृष्टि से प्रस्तावित निवेश की राशि संबंधी सूचना पार्टी के द्वारा आवेदन भेज देने पर ही उपलब्ध होती है। विदेशी निवेश की राशि सरकार की स्वीकृति पर भी निर्भर करती है। सरकार की नीति सामान्यत: 40 प्रतिशत निवेश तक विदेशी इक्विटी को सीमित रखने तथा केवल चुनी हुई प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ही अनुमति देने की है।

पांचवीं योजना में शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये उपभोक्ता सहकारी समितियां

2177. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षित बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों की एक नयी योजना आरम्भ करने के लिए सहकारी तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान सहकारी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियों की नयी स्कीम आरम्भ करके शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अवसर सुलभ करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, पांचवीं योजनावधि के दौरान उपभोक्ता सहकारी समितियों को विकसित करने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में योजना आयोग ने केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत एक नयी स्कीम को स्वीकृति दी है। इस स्कीम को चलाने का उद्देश्य है—उपभोक्ता सहकारी समितियों को इस प्रकार विकसित करना कि वितरण प्रणाली में वह प्रभावशाली साधन बन सकें। मुख्य उद्देश्य के साथ रोजगार अवसरों की उत्पत्ति एक संयोग की बात होगी।

इस स्कीम के दोहरे उद्देश्य हैं, नामतः (क) नये विभागीय भण्डारों और फुटकर बाज़ारों की स्थापना जिसमें ऐसी उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास भी शामिल हैं जिनके पास विकास-क्षमताएं हैं तथा (ख) थोक व्यापार क्षेत्र, अर्थात् राज्य सहकारी उपभोक्ता संघों का सुदृढ़ीकरण व विस्तार। 140 विभागीय भण्डार और 750 बड़े आकार के फुटकर बाजार स्थापित करने का कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग) यह स्कीम सारे देश के लिए है तथा मध्य प्रदेश के लिए अलग से कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया है। पांचवीं योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश की उपयुक्त उपभोक्ता सहकारी समितियां भी इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल हो जाएंगी।

विदेशी सहयोग से हलके पेय पदार्थ (साफ्ट ड्रिंक्स) उद्योग

2178. **श्री नरेंद्र सिंह** :

श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हलके पेय पदार्थ (साफ्ट ड्रिंक्स) उद्योग में उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी भारत में विदेशी सहयोग से स्थापना की गई है ;

(ख) सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और वे किन किन देशों के हैं और इन सहयोगकर्ताओं ने कितनी कितनी पुंजी लगाई हुई है ;

(ग) क्या ये फर्में निर्यात प्रधान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया और कितने मूल्य के पेय पदार्थों के आधारभूत आवश्यक तत्वों का आयात किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) मैसर्स बिसलैरी (इं.) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।

(ख) मैसर्स बिसलैरी, इटली जिसके भारतीय कंपनी में 49 प्रतिशत शेयर हैं, के सहयोग से मैसर्स बिसलैरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड चल रही है ।

(ग) और (घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में मैसर्स बिसलैरी (इंडिया) प्रा० लि० का नाम नहीं है और न ही उन्होंने कंपनी को कोई आयात का लाइसेंस दिये जाने की सिफारिश की है । ऐसा समझा जाता है कि इस कंपनी के उत्पादन में कुछ आयातित तत्व होता है । आयात, निर्यात के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

हल्के पेय पदार्थ (साफ्ट ड्रिंक्स) बोतल भरना उद्योग

2179. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी सहयोग से स्थापित हलके पेय पदार्थ (साफ्ट ड्रिंक्स) बोतल भरना उद्योग वाली फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इसमें प्रयोग किए जाने वाले आवश्यक तत्वों के आयात के लिए कितनी कीमत के आयात लाइसेंस दिए गए और आयातित तत्वों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम्० बी० राणा) : (क) मे० बिसलैरी (इण्डिया) प्रा० लि०, बम्बई ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि मे० बिसलैरी (इण्डिया) प्रा० लि० द्वारा उत्पादित तरल पेय में कुछ आयातित तत्व सम्मिलित है । चुंकि एकक तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज नहीं है और न ही इसके आयात लाइसेन्स के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा सिफारिश की गई है अतः आयातित तत्व के विवरण तथा आयात लाइसेन्स के मूल्य की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

कश्मीर में बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य में केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने का अनुरोध

2180. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उस राज्य में केन्द्रीय सरकार परियोजनाएं स्थापित करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केंन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने कतिपत केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है । यह विषय विचाराधीन है ।

डिसूजा घटना के कारण अधिकारियों में अनिश्चितता और अशांति की भावना का पैदा होना

2181. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर की प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 'डिसूजा' घटना ने सूचना, रक्षा और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों में काफी अधिक अनिश्चितता और अशान्ति की भावना पैदा कर दी है ;

(ख) क्या इन मंत्रालयों में काम काफी समय तक रुका रहा था ; और

(ग) इस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर अखबारी कागज की कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति

2182. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर अखबारी कागज की कमी के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने हेतु एक समिति नियुक्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार छोटे, मंजीले तथा बड़े समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था पर अखबारी कागज की कमी तथा अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि के प्रभावों का समय समय पर अध्ययन करती रही है ताकि विक्रय मूल्य और विज्ञापन दर्जे में वृद्धि, जहा थी और जिस सीमा तक ऐसी वृद्धि आवश्यक हो, सहित सभी संभव उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें ।

(ख) सरकार ने समाचारपत्र उद्योग की अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये एक तथ्य अन्वेषण समिति पहले ही नियुक्त कर दी है ।

आकाशवाणी का युववाणी कार्यक्रम

2183. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में युववाणी कार्यक्रम की, विशेषकर प्रमुख आलोचकों द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए, कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कार्यक्रम में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार किसी भी प्रख्यात टीकाकार की आलोचना से अवगत नहीं है । "युववाणी" कार्यक्रम व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाते । तथापि इन कार्यक्रमों की श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों और अनौपचारिक सलाहकार समितियों के परामर्श को ध्यान में रखते हुए निरन्तर समीक्षा और छानबीन होती है ।

(ग) आकाशवाणी महानिदेशालय के एक वरिष्ट अधिकारी की इन कार्यक्रमों की देख रेख करने की अनन्य जिम्मेदारी है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में "युववाणी" सेवाओं के लिए धन राशि की भी व्यवस्था की जा रही है ।

रायल नेपाल एयरलाइन्स के फोरबेसगंज विमान अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

2184. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायल नेपाल एयरलाइंस के फोरबेसगंज विमान अपहरण के मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) क्या उक्त मामले से संबंध न रखने वाले कुछ व्यक्तियों को विशेष रुप से बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

2185. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा विशेषकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के कितने मामले अभी विचाराधीन हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सीतामढ़ी, मुज्फ्फरपुर और काज़ीपुर जिलों के 196 मामलों समेत 6,600 मामले।

(ख) विलम्ब का मुख्य कारण प्राप्त हुए भारी संख्या में कागजात हैं जिनके राजनैतिक यातना के बारे में अपूर्ण कागजात अथवा साक्ष्य का अभाव होता है। आवेदकों अथवा राज्य सरकार से यातना के ब्यौरे और सबूत प्राप्त करने में समय लगता है।

(ग) चूंकि आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 1974 है अतः वे अभी प्राप्त हो रहे हैं। जब कि आवेदनपत्रों को शीघ्र निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं फिर भी इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा।

पांचवीं योजना में उड़ीसा में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करना

2186. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कोई उचित उपाय किए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में रोजगार की व्यवस्था करने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उड़ीसा सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के प्रस्तावों में बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास क्षेत्रों में ऐसी स्कीमों तथा कार्यक्रमों को सम्मिलित किया है जिनसे राज्य के बेरोजगार शिक्षितों को पर्याप्त रोजगार अवसर प्राप्त हो सकें। विभिन्न योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरुप उपलब्ध होने वाले रोजगार अवसरों के अतिरिक्त एक विशेष रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, जिसे 1974-75 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, से भी उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियो को स्व-नियोजन के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) राज्य के 1974-75, 1975-76 और 1976-77 से सम्बन्धित रोजगार के लक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हैं।

कटक में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी बिल

2187. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कटक स्थित डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी बिलों पर वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कितना व्यय हुआ है; और

(ख) क्या कर्मकारियों और अधिकारियों के चिकित्सा संबंधी बिलों के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क)--

(1) 1972-73 में--6,99,509.00 रुपये

(2) 1973-74 में--1,52,679.00 रुपये

1973-74 का खर्च पूरे साल का नहीं है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) ऐसी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह खर्च उचित सीमाओं के अंदर रहे और कदाचार न हो इस उद्देश्य से कुछ प्रशासकीय हिदायतें अवश्य जारी की गई हैं।

फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना में प्रदेश के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण

2188. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के उपबन्धों के अनुसार 'फिल्म अभिनय' के पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाती के प्रत्याशियों को प्रवेश मिल गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले और प्रवेश पाने वाले अन्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ग) क्या विभिन्न परीक्षाओं के चयन निकायों/परीक्षकों में भी अनुसूचित जाति/जनजाती के सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। तथापि, दिए गए इस अधिप्रतिनिधित्व के बावजूद, चयन समितियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित किसी भी विद्यार्थी को भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के फिल्म अभिनय पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की स्थिति में नहीं पाया।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6340/74।]**

(ग) चयन समितियों का गठन प्रतिनिधित्व आधार पर नहीं किया जाता, परन्तु सभी चयन पाठ्यक्रमों के नियमों के ढांचे के अन्दर किए जाते हैं।

स्वाधीनता संग्राम संबंधी सभी पुराने लोक गीत रिकार्ड करना

2189. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के गीत तथा नाटक प्रभाग ने स्वाधीनता संग्राम और जन आन्दोलनों सम्बन्धी सभी पुराने लोकगीत रिकार्ड करने की नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) देश भर से सभी गीतों और नाटकों को एकत्र करके रिकार्ड करने के लिए क्या ठोस प्रबन्ध किये गये हैं; और

(घ) क्या संबंधित कलाकारों अथवा व्यक्तियों को स्वाधीनता संग्राम सम्बन्धी लोकगीत और नाटकों के रिकार्ड भेजने के अनुदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो किस प्रकार ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ) गीत तथा नाटक प्रभाग से ऐसे संगठनों तथा व्यक्तियों, जो स्वतन्त्रता संग्राम तथा जन आन्दोलनों से सक्रिय रुप से सम्बद्ध थे, के सहयोग और सहायता से हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी गीतों, जिनमें लोकगीत भी शामिल हैं, को एकत्र करने के लिये कहा गया है। गीतों की स्क्रिप्टें प्राप्त करने और उन्हें रिकार्ड करने में प्रभाग की सहायता करने के लिये दो समितियां गठित की गई है ताकि उनका संरक्षण और पुर्नप्रचलन हो सके।

वर्तमान विदेशी व्यापार विनियमन के कारण इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में कदाचार

2190. **श्री वसंत साठे** : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स विभाग को वर्तमान विदेशी व्यापार विनियमन के कारण इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में कुछ कदाचारों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो कदाचार किस प्रकार के हैं तथा कितने हैं और इनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) इलैक्ट्रोनिको विभाग को वर्तमान विदेशी व्यापार विनियमन के कारण इलैक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में किन्हीं कदाचारों का पता नहीं लगा है।

(ख) उदय न्हीं होता।

अखबारी कागज़ की कमी के कारण सामायिक, दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओंका बंद होना

2191. **श्री वसन्त साठे** :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की भारी कमी से प्रभावित सामायिक, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं के (राज्यवार और भाषावार) नाम और संख्या क्या है; और

(ख) इनको अखबारी कागज उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अखबारी काग़ज की कमी का सामान्यतया देश के उन सभी समाचार पत्रों, जो अखबारी काग़ज का कोटा प्राप्त करते है, पर इस सीमा तक प्रभाव पड़ा है कि उन्हें विदेशों से पूर्तियों में कमी के कारण 1973–74 के लाइसेन्सिग वर्ष के लिये अपना पूरा कोटा नही मिल सका । इस अन्तर को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे है । राज्यवार तथा भाषावार अलग अलग समाचार पत्रों के मामले में कमी की मात्रा के बारे में जानकारी आने वाले लाइसेन्सिग वर्ष के लिये अखबारी कागज के कोटे के लिये आवेदन करते समय उनके द्वारा यह जानकारी दिये जाने पर ही उपलब्ध होगी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उपचारात्मक उपाय :

सरकार, राज्य व्यापार निगम तथा समाचार पत्र उद्योग के प्रतिनिधियों पर आधारित एक उच्चस्तरीय अखबारी काग़ज खरीद समिति पूर्ति स्थिति पर बराबर नजर रख रही है तथा विदेशी पुतिकर्ताओं को संविदा का अखबारी काग़ज जल्दी भेजने तथा 1974 और आने वाले वर्षों के लिये अतिरिक्त पूर्तियों के नये अनुबन्ध करने के लिये मनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है ।

देश में स्टाक की कमी तथा विदेशों से पूर्तियों में कमी से पहले ही खराब स्थिति और बिकट हो गई है । अखबारी काग़ज की खपत तथा उपलब्धता में सन्तुलन रखने के लिये समाचार पत्र स्वेच्छा से प्रकाशन को विनियमित कर रहे है । कुछ समाचार पत्रों को थोडे समय के लिये प्रकाशन रोकना पडा है । तात्कालिन संकट पर काबू पाने के लिये कठिनाइयों में फंसे समाचार पत्रों को चालू वर्ष की हकदारी में से राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाकों जहां भी उपलब्ध हो, में से तदर्थ आधार पर कागज रिलिज किया जा रहा है । आयातों के विलम्ब के कारण जो समाचार पत्र अपने लाइसेन्सों का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस कर रहे है, उनको अपने लाइसेंसों का परित्याग करने पर आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अनुसार राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाकों से कागज लेने का अधिकार देकर उन की मदद की जा रही है । ऐसे नियतन किसी समाचार पत्र की तात्कालिक जरुरतों के आधार पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में किये जा रहे है जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में समाचार पत्रों को लाभ पहुंच सकें और वर्तमान स्टाक खाली न होने पाये ।

नैपा मिलके अखबारी काग़ज के नियतन की पद्धति में कुछ रद्दोबदल किया गया है। इस उद्योग पर संकट आने से पहले तक परंपरा यह थी कि केवल उन्हीं दैनिक समाचारपत्रों को नेपा का अखबारी काग़ज नियत किया जाता था जिनका इंटाईटलमेंट 480 टन वार्षिक से अधिक था। अब निवेदन करने पर यह नियतन उन समाचार पत्रों को भी आयातित अखबारी काग़ज के कोटे के बदले में किया जाता है जिन का इंटाइटलमेंट इससे भी कम होता है। नेपा मिल से निवेदन किया जा रहा है कि जहां तक संभव हो वहां तक पूर्तियां प्राथमिकता के आधार पर की जायें ।

ईंधन तेल के अभाव के कारण महाराष्ट्र में काग़ज मिलों का बन्द होना

2192. **श्री वसन्त साठे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काग़ज की कमी बढ रही है और ईन्धन तेल की सप्लाई न होने के कारण अनेक काग़ज मिलें, जिनमें अधिकांश मिलें महाराष्ट्र में है, बन्द हो रही हैं और अन्य मिलों के सामान्य उत्पादन पर प्रभाव पड रहा है; और

(ख) अखबारी कागज के उत्पादन को सामान्य करने के बारे में क्या शीघ्र तथा दूरगामी कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) सरकार को देश में कागज की किसी भी मिल के इंधन तेल की पूर्ति न होने के कारण बंद होने के बारे में पता नहीं है ।

(ख) हाल के महीनों में देश में अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है ।

भारतीय फिल्मों के लिये विदेशी मंडियों की खोज के लिये सलाहकार चयन पेनल की सिफारिश

2193. **सरदार बूटा सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बनाये गये सलाहकार चयन पेनल ने भारतीय फिल्मों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों की खोज करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावनाएं क्या है; और

(ग) सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय फिल्मों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की खोज करने के लिये कोई सलाहकार पैनल गठित नहीं किया गया है । तथापि, निर्यात संवर्धन के लिये इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन का गठन किया गया है तथा इसने हाल ही में ऐसी मंडियों, जहां हमारी फिलमें नहीं जाती थी, में काम करना शुरू कर दिया है । फिलमवित्त निगम द्वारा प्रायोजित फिल्म समारोहों, आदि का उद्देश्य की भारतीय सिनेमा में रुचि उत्पन्न करना है। राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना हो जाने पर और अधिक प्रबल और सौद्देश्य प्रयत्न करना संभव होगा ।

राष्ट्रीय मजूरी परिषद्

2194. **सरदार बूटा सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की राष्ट्रीय मजूरी परिषद गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद के कार्य क्या है; और

(ग) प्रस्तावित परिषद् का गठन इस समय किस चरन पर है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है । फिर भी उत्पादकता तथा मजदूर संघ आंदोलन के संबंध में अगस्त, 1973 में आयोजित राष्ट्रीय, संगोष्ठी के परिणामों पर आगे की कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा गठित प्रवर दल ने राष्ट्रीय मजदूरी परिषद् बनाने की संभावना पर विचार किया था। बाद को दल के अनुरोध पर शोध कर्मचारियों की कर्मशाला में इस पर विचारा गया जिसमें भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए थे तथा यह महसूस किया गया था कि इस मामले पर प्रवर दल द्वारा आगे विचार किया जाना चाहिए ।

मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्र में डाक और तारघर

2195. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में मध्य प्रदेश के आदिवासों तथा पिछडे क्षेत्रों में कितने डाक-घर और तार घर खोलने का विचार है और ये किन किन स्थानों में खोले जाएंगे; और

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे स्थान कितने है, जहां राज्य सरकार ने डाक और तारघर खोलने का अनुरोध किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) **डाकघर :—** वर्ष 74-75 में डाकघर खोलने का लक्ष्य अभी विचाराधीन है । तथापि, मध्य प्रदेश के आदिवासीं और पिछडे इलाकों में डाकघर खोलने के कुछ प्रस्तावों की जांच पहले से ही की जा रही है । वर्ष 74-75 में किन किन स्थानों पर डाकघर खोले जा सकते है, इसका निर्णय प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करने के बाद ही किया जाएगा, बशर्तें कि वे स्थान डाकघर खोलने की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों और निधि भी उपलब्ध हो।

तारघर :— वर्ष 74-75 के दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछडे इलाकों में निम्नलिखित स्थानों पर तारघर खोलने का प्रस्ताव है :—

आगासोद	बरखेडा	चाकघाट
अहमदपुर	बेला	चक्रभाटा
अंबागड चौकी	भोबरा	चनेरा
अंबुआ	भटगांव	डाभरा
बारीगढ	भिलाईगढ़	दलपतपुर
बच्ची	बिर्रा	उसुआमल
बह्नबिछीया	चाक	देवरी
धनोरा	कोंटा	शिवना
डोंडाबाद	कुसमी	सिहोरा
गढ़	मझावली	सिलवाड
हैदरपुर	निमाडखेड़ी	सिंगरोली
हनुमाना	निम्बोला	सुकमा
जाफना	पारवन जूर कैंप	तुमगांव
जनकपुर	रतनपुर	गोटतोरिया
कठौतिया	रोशमी	पनबारी
खलवा	सैमरिया	फरसगांव
किरनपुर	शिवपुर बडौदा	रघुनाथ गंज

(ख) डाकघर...कोई नहीं ।

तारघर ... 6

साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध

2196. **सरदार बूटा सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से सलाह ली गयी है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 संघों/संगठनों जिनकी गतिविधियां सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने तथा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हों, से निपटने के लिए सरकार को समर्थ करता है । सरकार द्वारा किसी ऐसे संगठन के बारे में उसके पास उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखकर ऐसे संघ के संबंध में इन उपबन्धों को लागू करने के प्रश्न की जांच की जाती है । इन उपबंधों को सभी राज्य सरकारों के ध्यान में उपयुक्त रूप से लाया गया है ।

Rescue of Muslim Girls of Andhra Pradesh from Henious Life of Prostitution

2197. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police rescued four Muslim girls of Andhra Pradesh from the henious life of prostitution ;

(b) whether at the same time a Fire Offcer and an employee of Delhi Corporation were arrested in raids and some girls were recovered ;

(c) if so, the facts thereof ; and

(d) the number of persons involved and action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) One Fire Station Officer, who is an employee of the Municipal Corporation, Delhi, has been arrested. In a raid three girls were recovered from his house, apart from the one who reported the case to the police.

(c) A complaint was made to the police that the complainant herself and three other girls had been confined in the house of the Fire Station Officer and compelled to lead an immoral life. A case under Suppression of Immoral Traffic in Women & Girls, 1956 was registered and the house raided. Three girls were recovered and the Fire Station Officer, his wife, and wife's brother were arrested. Three other persons found there as customers were also arrested. On further investigation, the brother's wife was arrested and one person was arrested in Hyderabad for procuring and supplying these girls. Another raid was conducted in Municipal Colony, Azadpur, Delhi, and one more girl was recovered and the women residing in the house was arrested.

(d) In all 9 persons have been arrested and they are now standing trial in court in a case under the suppression of Immoral Traffic in Woman & Girls Act, 1956.

Tours of Union Ministers to U. P. and Orissa

2198. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Union Ministers who toured U. P. and Orissa during the last three months in connection with the elections there and the amount of expenditure incurred on such tours ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsni) : The information relating to the number of Union Ministers who toured U. P. and Orissa during the period from 1st December, 1973 to 28th February, 1974] is being collected and will be laid on the Table of the House.

There are instructions to the effect that no travelling expenses or daily allowance should be charged by the Ministers for journeys undertaken in connection with the elections. The question of Government's incurring expenditure on this account does not, therefore, arise.

Opening of Centres in Delhi to Receive Complaints against Police Officials

2199. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to announce the opening of more centres in Delhi to receive complaints against Delhi Police Officials ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस देना

2200. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में फर्मों को उन मदों के लिए भी सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए हैं जिनका उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों के पदवार तथ्य क्या हैं और सी० ओ० बी० लाइसेंस किस आधार पर दिए गए थे; और

(ग) इन मदों की क्षमता निर्धारित करने का आधार क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) फरवरी, 1970 में संशोधित लाइसेंस नीति के लागू होने के बाद सरकार ने उन उपक्रमों को सी० ओ० बी० लाइसेंस प्रदान किये हैं। जिन्होंने उत्पादन प्रारंभ कर दिया था अथवा लाइसेंस संबंधी उपबन्धों से छूट हटा लिये जाने से पहले एकक स्थापित करने हेतु प्रभावशाली कदम उठा लिये थे, 1972-73 की अवधि में 520 सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये थे। सी० ओ० बी० लाइसेंस के उन प्रकरणों में जिनमें उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ था, किन्तु प्रभावी कदम उठा लिये गये थे, के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) लिखित साक्ष्य तकनीकी निर्धारण तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो स्थानीय निरीक्षण के आधार पर करने की आवश्यकता होती है ।

फर्मों द्वारा सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त न करने पर दण्ड देने संबंधी उपबन्ध

2201. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कारखानों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को प्राप्त न करने के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी फर्मों को अभी सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं; और

(ख) सरकार का इन फर्मों को क्या दंड देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उन एककों को जिन्होंने सी० ओ० बी० लाइसेन्स प्राप्त नहीं किये हैं तथा जिन्होंने इस हेतु आवेदन नहीं किया है के विवरण नहीं रखे जाते । वे उपक्रम जिन्हें सी० ओ० बी० लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है किन्तु उन्होंने इसके लिये आवेदन पत्र नहीं दिया है तथा वैध सी० ओ० बी० लाइसेन्स प्राप्त किए बिना कार्यशील हैं के विरुद्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय है ।

निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2202. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया है कि निवारक निरोध कानून के अधीन किसी व्यक्ति की नजरबन्दी की अधिकतम अवधि निर्धारित करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सम्भवत: प्रश्न का संदर्भ फागूशा तथा अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 दिसम्बर, 1973 को दिये गये निर्णय से सम्बन्धित समाचार पत्रों की रिपोर्टों से है। निर्णय के दौरान उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 22 के उपबंधों का क्षेत्र स्पष्ट किया। अनुच्छेद 22 के खण्ड (4) के उपखण्ड (क) में व्यवस्था है कि निवारक निरोध के लिए कोई कानून तीन महीने से अधिक समय के लिए किसी व्यक्ति की नजरबन्दी को प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि कोई सलाहकार मण्डल तीन महीने की उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व यह रिपोर्ट न करे कि उसकी राय में ऐसी नजरबन्दी के लिए पर्याप्त कारण है । उक्त उप खण्ड के उपबन्ध में यह भी व्यवस्था है कि ऐसा कोई कानून खण्ड (7) के उप खण्ड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि के बाद किसी व्यक्ति की नजरबन्दी को प्राधिकृत नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह संकेत दिया था कि उक्त उपबंध संसद को अधिकतम अवधि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए केवल समर्थ बनाता है, किन्तु संसद की अधिकतम अवधि निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं करता। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 13 के सम्बन्ध में सदन में हुई बहस के दौरान सरकार ने भी इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया था । निर्णय के दौरान न्यायाधीशों ने बहुमत से भी भारत रक्षा कानून, 1971 की धारा के खण्ड (6) के उपखण्ड (घ) द्वारा यथा संशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम की वैधता की पुष्टि की गई थी। ऐसा करते समय बहुमत निर्णय से यह तर्क अस्वीकार किया गया कि संसद द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि नहीं हो सकती जब तक कि भारत रक्षा अधिनियम समाप्त न हो जाय।

स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिये आवेदन प्राप्ति की समय-सीमा

2203. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई तिथि निश्चित की गई है जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के लिए भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6341/74**।]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर रेलवे के सिराथू स्टेशन पर गोली चलाये जाने का समाचार

श्री राम प्रकाश (अम्बाला): मैं रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

'रेल किराये में वृद्धि के विरोध में उत्तर रेलवे की इलाहाबाद–कानपुर लाइन के सिराथू स्टेशन पर धरना दे रहे लोगों की भीड़ पर गोली चलाये जाने के कारण तीन व्यक्तियों के मारे जाने और छः अन्य के घायल होने के समाचार'

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, 2 मार्च, 1974 को लगभग 18.00 बजे एक नेता श्री छोटे लाल यादव के नेतृत्व में लगभग 500 व्यक्तियों ने रेल किरायों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन किया और उत्तर रेलवे के इलाहाबाद-कानपुर खण्ड पर इलाहाबाद से 40 मील दूर सिरोथू रेलवे स्टेशन पर रेल पथ पर धरना देकर आगरा–इलाहाबाद सवारी गाड़ी को रोक दिया। सरकारी रेलवे, पुलिस-रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गये और रेल पथ को साफ करवाने के लिये 75 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया ।

भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120/126 के अधीन इलाहाबाद में एक मामला दर्ज कर लिया गया ।

3 मार्च, 1974 को श्री यादव के नेतृत्व में लगभग एक हजार व्यक्तियों की भीड़ ने फिर रेल-पथ पर धरना दे दिया और उन्होंने दिल्ली–हावड़ा जनता एक्सप्रेस और इलाहाबाद–आगरा सवारी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया । सूचना मिलने पर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद और उप पुलिस अधीक्षक सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों सहित कुमुक लेकर मौके पर पहुंच गये । भीड़ हिंसा पर उतर आयी और उसने पुलिस पर पत्थर फेंके जिसके परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट ने भीड़ को गैर-कानूनी करार दे दिया और श्री छोटे लाल यादव सहित 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । भीड़ द्वारा ईंट-पत्थर फेंकने और लाठियों का इस्तेमाल किये जाने से पुलिस रेलवे सुरक्षा दल के 52 कर्मचारी घायल हो गये । जिनमें से दो की हालत गम्भीर है । जब भीड़ और भी हिंसक हो उठी और उसने गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़वाना चाहा, तो उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को मजबूरन अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा । इस बीच रेल पथ के निकट के एक मकान से भीड़ ने गोली चला दी जिससे मजिस्ट्रेट को विवश हो कर गोली चलाने का आदेश देना पड़ा । गोली लगने से 2 व्यक्ति मारे गये और 9 घायल हो गये ।

[श्री एल० एन० मिश्र]

जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सिराथू में डेरा डाले हुए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाये ।

मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आदेश दे दिया गया है ।

Shri Ram Prakash : It is painful that strikes, firings and processions take place in this country every day. Due to disturbances in Railways the general public suffer.

The prices are increasing and it has become very difficult for the common people to live. The movement of Railway has almost become standstill.

Our people want peace but the opposition parties are interested in disturbances. The people are misguided.

There is vast difference in the outlook of the people of this country and in the outlook of the people of other countries. Here the tendency is to create conditions for lock out the factories and to stop the means of production. The country can develop only in the atmosphere of peace.

The hon. Minister may take up strong measures to improve the situation.

Shri L. N. Mishra : I fully agree with the views expressed by the hon. Member.

Shri S. M. Banerji (Kanpur) **:** So many people have been killed or injured. The statement of the Minister that not only stoning but even firing was first started by the people.

The decision of the Government for an enquiry by a magistrate is shameful. A judicial enquiry in the matter should be made.

The Government has failed to check the rising in prices. Taxes and fares are rising. Third class fares have been enhanced 18 or 22 times since 15-8-1947 and it has become impossible for the poor people to travel. The Government should withdraw the increase in third class fares.

In spite of repeated discussions on rising of fares and prices they are continue to rise.

Either a judicial enquiry and an all party parliamentary committee be deputed there (*Interruption*). These people did not die for their selfish end.

The families of the deceased should be given compensation. They have laid their lives on Railway track. This agitation would grew throughout the country.

Shri L. N. Mishra : Government of Uttar Pradesh has ordered for a magisterial enquiry. It is not within my powers to order judicial enquiry or to constitute an all party parliamentary committee for this purpose.

So far as the increase in third class fares is concerned it is for the house to accept it or reject it.

There is yet no law under which the people who die on the track may be given compensation. Even innocent people have been killed. I have no power to give them compensation. However, I will check it.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : तीन निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु पर मंत्री महोदय ने खेद व्यक्त किया है। मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे देश के 98.7 प्रतिशत लोग तीसरी श्रेणी में यात्रा करते हैं। ऊंची श्रणी के यात्रियों से प्रस्तावित वृद्धि का संबंध 1000 किलो मीटर से अधिक यात्रा करने वालों से है। कम यात्रा करने वालों को केवल 20 पैसे अधिक देने पड़ेंगे। जो विरोधी सदस्य किराया बढ़ाये जाने के विरुद्ध हैं वे यात्रियों के लिये अधिक सुविधायें, कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा कम टैक्स भी चाहते हैं। यह दोनों बात साथ साथ कैसे चल सकती है ?

हमें गोली चलाने के स्थान पर बलपूर्वक पानी डालकर भीड़ को तितर बितर करना चाहिये जैसा कि विदेशों में किया जाता है।

गड़बड़ी करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा। केवल निर्दोष व्यक्ति ही मारे गये हैं। क्या श्री छोटे लाल यादव को कोई चोट लगी है ?

Shri L. N. Mishra : The police had to resort to firing as there was no other way Let us await the report of magisterial enquiry.

Shri Madhu Limaye : Prior to elections Shri Chote Lal Yadav enquired that why the Railway budget would be presented after elections ? He also started peaceful opposition of the increase in 3rd class fares. You can examine the C.I.D. reports of his speeches. He did not talk of violence in his speeches. What percentage of votes were cast in U. P. for the Congress ? If the election procedure is not changed 70% of the voters would have no share in the administration.

Shri Shashi Bhushan : There should be labour participation in the administration.

Shri Madhu Limaye : The problems can be solved by votes and by ballots as well. If the Government acts badly it can be defeated by peaceful agitations.

It is clear from the statement of the Minister that no violence took place on the first day of agitation. What for the Railway protection force is there? Please give an account of the property being stolen from the yard of Mugalsarai. Railway protection force is a fraud. It should be set right. Instead of using it for the protection of railway property it is being used to curb the agitation of the people. The Government has insured the R.P.F. for arresting the agitators. I have serious objection to it. I propose that the Railway protection force should be abolished and whatever money is saved by so closing should be utilised for railway and the increase on fare should be withdrawn. You have burdened poor and common man by increasing the railway fare. The amount of 38 crore rupees which you want to raise from the poor in the form of inereased fare is not jutsified. The increase in fare should be withdrawn. If you really want to increase the fare increase the fare of first class and air conditioned coaches. A big agitation is soon going to be started all over the country on this increased Railway fare. If the agitation starts you will not be able to curb it. Government also propose to withdraw this increase. It has been stated that only two persons were killed whereas I am informed that life of 13 persons were lost in the R.P.F. firing. Will this house appoint a committee to go into the matter.

Shri L. N. Mishra : As far the R.P.F. is concerned we have not received any such complaint that they have misused their rights. A magisterial inquiry is being instituted. The truth will come out. Railway Protection Force is there to protect the Railway property. It is not possible to appoint a committee of this house. As I have stated that a magisterial enquiry is already going on.

As regards the increase in the Railway fare a separate discussion will be held on this topic and then I will give reply to it.

श्री समर गुह (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। . . .

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये एक पृथक प्रक्रिया है। माननीय सदस्य इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं माननीय सदस्य को अनुमति नहीं देता।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : यह बड़े दुख की बात है कि पुलिस द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये। यह बहुत गलत बात है और हम सब इसकी भर्त्सना करते है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाजवादी दल के मित्र सरकार पर किस प्रकार का दबाव डालना चाहते है और उन्होंने इलाहाबाद को इस उद्देश्य के लिये क्यों चयन किया है क्या ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि हमारे तीनों प्रधान मंत्री उसी स्थान के रहने वाले है।

[श्री हरि किशोर सिंह]

यह भी कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा दल की कोई आवश्यकता नहीं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि अगर कोई घेराव हो जाता है तो गरीब यात्रियों की जानमाल की रक्षा हेतु रेलवे मंत्री या उनका मंत्रालय किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा ?

क्या यह भी सच है कि यह आन्दोलन संघों की आपसी शत्रुता के कारण शुरू किया गया है। मेरा निवेदन है कि केवल मान्यताप्राप्त संघों को शक्तिशाली बनाया जाए यदि संभव हो तो रेलवे में केवल एक ही संघ बनाया जाए और इसके लिये गुप्त मतदान कराये जाएं। आशा है मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे।

जहां तक आन्दोलनों का प्रश्न है ऐसे आन्दोलन बड़े पैमाने पर शुरू किये जाने वाले हैं। सारे देश में हिंसक गतिविधियों के बढ़ने की आशंका है। गुजरात और इलाहाबाद में तो दंगे शुरू हो ही चुके हैं अतः मेरा अनुरोध है कि इस सदन के सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाए और कहा जाए कि अमुक विषयों पर आन्दोलन नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा होता है तो न केवल सरकार द्वारा अपितु सभी नेताओं द्वारा इसकी भर्त्सना की जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को पुलिस की गोली के शिकार हुए व्यक्तियों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और उन्हें मुआवजा या अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जानी चाहिये। यदि इसके लिये कानून में कुछ आवश्यक संशोधन करने पड़ते हैं तो वो संशोधन किये जाने चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं अधिनियम की जांच करूंगा और देखूंगा यदि कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके अधीन मुआवज़ा दिया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव--अनुमति नहीं दी गयी

MOTION FOR ADJOURNMENT—CONSENT WITHHELD

गुजरात में स्थिति

श्री समर गुह : मैंने गुजरात की परिस्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव सभा पटल पर रखा है। प्रतिदिन हमें दो चार आदमियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। आखिर कब तक यह नृशंसता और बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियां वहां होती रहेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति देता हूं। प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव सर्वश्री मावलंकर, श्यामनंदन मिश्र, पी० एम० मेहता, प्रो० मधु दण्डवते और श्री समर गुह की ओर से आए हैं चूंकि श्री मावलंकर का नाम बैलेट में पहले स्थान पर आया है। अगर सदन अनुमति देता है तो वह अपना प्रस्ताव पढ़ सकते हैं।

श्री समर गुह : आपने परसों सरकार से गुजरात में राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बारे में प्रस्ताव पेश करने को कहा था। यदि सरकार प्रस्ताव पेश करने के लिये सहमत हो जाती है तो स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और हम इसके लिये जोर नहीं देंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order. We are very much concerned over what is happening in Gujarat. We want an early discussion but it should not be in the form of adjournment motion. Since President has made a proclamation I wish that the motion on proclamation should be brought first and the discussion on railway budget should be postponed for the time being.

Mr. Speaker : The motion on proclamation will be brought on 20th March, 1974.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिये पूछ सकते हैं। जब इस विषय पर राज्य सभा में चर्चा हो सकती है तो इस सदन में क्यों नहीं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (श्री बेगुसराय) : यदि सरकार राष्ट्रपति को यह सूचना देती है कि किसी राज्य विशेष का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चल रहा तो वहां राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर देता है। किन्तु वैधानिक कार्यों की शक्ति तो भारतीय संसद् के हाथ में है। उस राज्य का कामकाज राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चल रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : न्यायालय तथा शिक्षा संस्थाएं बन्द हैं तथा सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : संविधान में वे कौन-कौन से उपबन्ध हैं जिनके अनुसार सरकार नहीं चल रही है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि सरकार के सभी अंग काम करना छोड़ दें तो क्या यह समझा जायेगा कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, इसका अधिकार तो केवल सदन को ही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि क्या राज्य का शासन संविधान की धारा 356 के अनुसार चल रहा है। क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव है जिसमें विलम्ब नहीं डाला जा सकता। आपका भी एक प्रस्ताव है। या तो आप इसे स्वीकार करें या कहें कि "मैं इसे नहीं चाहता" ताकि इसके स्थान पर मैं किसी अन्य प्रस्ताव को ले सकूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपने हमें बताया है कि सरकार 23 अथवा 30 तारीख को इस पर चर्चा करने का विचार कर रही है। क्या इस मामले में देर होनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करती है, अध्यक्ष नहीं। मैं कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श के अनुसार चलता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : उद्घोषणा पर चर्चा करने के लिये 21 मार्च की तारीख निश्चित की गई थी। लेकिन संभव है कि इसे कुछ अगली तारीख के लिये बढ़ाया जाये। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। इसके लिये हम सभी को उस बैठक में इस बारे में दबाव देना चाहिये।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The law and order situation in Gujarat had not been peaceful even after imposition of President's rule. There should be a discussion in the House on this issue as is going on in the Rajya Sabha.

Mr. Speaker : You want me to confess that I do not allow and when I allow you raise some other questions.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं प्रक्रिया के संबंध में कुछ बोलना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने से यह बात सिद्ध होती है कि आप गुजरात की स्थिति को महत्व देते हैं और अनुभव करते हैं कि संसद् को भी इस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये। लेकिन यह बात निर्विवाद है कि इस प्रश्न को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी। कहा गया था कि इस विषय पर 23 तारीख को चर्चा होगी लेकिन आज 6 मार्च है और इन 17 दिनों में हम अंगूठा चूसते हुए निष्क्रीय बैठे रहें और गुजरात के बारे में कोई भी चर्चा हमने नहीं की। आपने संसदीय मर्यादाओं के साथ प्रक्रिया की व्याख्या की है लेकिन बड़े बहुमत वाली सरकार सदन को चर्चा करने का अवसर प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब डाल रही है। मुझे आशा है कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैं कह चुका हूं कि यह सब बातें कार्य मंत्रणा समिति के सामने हैं। हम इसे स्थगित नहीं करना चाहते ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात में 9 फरवरी को राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। उसके बाद इस सदन को नहीं बताया गया कि वहां संवैधानिक व्यवस्था अधिक खराब हुई है अथवा नहीं। उसके बाद न जानें कितनी निर्मम हत्यायें हुई हैं। फिर भी सदन को चर्चा करने का अवसर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, मैं समझता हूं कि इस बारे में चर्चा किये जाने का विचार है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं समिति का सदस्य नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको आमंत्रित किया जायेगा ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : गुजरात में प्रतिदिन 3 अथवा 4 व्यक्ति गोली के शिकार होते हैं। इस सदन को चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रस्ताव को बिना विलम्ब को लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न की अनुमति देता हूं । मुझे आशा है कि इस बारे में कार्य मंत्रणा समिती में हम किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (1) मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रत पुनः सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसंबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1357 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6109/73।]**

(2) मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(क) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी, 1974 मे अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 43 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 44 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 45 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 50 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 51 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 52 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ख) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 13 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या ए० टी० 632/74]

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :--

(1) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6328/64]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6329/74]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड एर्नाकुलम के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6330/74]

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 6 मार्च, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में 3 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है और जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 120 (ङ) में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6331/74]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 28 फरवरी, 1974 की अपनी बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा 4 मार्च, 1974 की अपनी बैठक में राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1974 से, जो 21 फरवरी, 1974 को लोक सभा द्वारा पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा 4 मार्च, 1974 की अपनी बैठक में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1973 में लोक सभा द्वारा 21 फरवरी, 1974 को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक

NORTH-EASTERN AREAS RE ORGANISATION AMENDMENT BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

महासचिव : मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

नागपुर में श्री राम हेडाऊ, संसद सदस्य पर कथित हमला

STATEMENT RE. ALLEGED ASSAULT ON SHRI RAM HEDAOO, M. P. AT NAGPUR

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1971 के युद्ध में मारे गये सेनानियों की स्मृति में काटन मार्केट चौक में नवनिर्मित "शहीद स्मारक" के उद्घाटन के लिए 28 फरवरी, 1974 को नागपुर नगर निगम ने फील्ड मार्शल माणेकशा को आमंत्रित किया था। महा विदर्भ राज्य संघर्ष समिति ने उस स्थान पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति स्थापित करने की मांग करते हुए एक आन्दोलन प्रारम्भ किया।

28 फरवरी, 1974 को प्रात: 3.30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि समिति के कुछ कार्यकर्ता काटन मार्केट चौक गये और स्मारक को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जबकि अन्य लोग भाग गये। पूर्वान्ह लगभग 9.30 बजे श्री राम हेदाऊ, संसद सदस्य ने 30 अन्य अनुयायियों के साथ स्मारक पर "धरना" देना शुरू कर दिया तथा स्मारक पर शहीदों के लिखे नामों को मिटा दिया। समिति के साथ सम्भावित झगड़े से बचने के लिए निगम के अधिकारियों ने समारोह को निगम भवन में करने का निर्णय किया।

फिर भी फील्ड मार्शल, महापौर, उप महापौर तथा निगम के कुछ सदस्यों के साथ स्मारक पर पुष्प अर्पित करने के लिए गये। उस समय श्री राम हेदाऊ, जो स्मारक की चोटी पर खड़े थे स्मारक पर पुष्प अर्पित करने को रोकने के लिए उन पर कूद पड़े। महापौर तथा अन्य ने हस्तक्षेप किया और श्री राम हेदाऊ को एक ओर कर दिया। फील्ड मार्शल पुष्प अर्पित करने के पश्चात चौक से वापस चले गये। उसके तुरन्त बाद कुछ शरारतियों ने वहां एकत्रित व्यक्तियों तथा पास की दुकानों पर भी पथराव शुरू कर दिया। पथराव के कारण जनता में से दो व्यक्तियों, एक अधिकारी तथा 9 पुलिस कर्मचारियों को साधारण चौंटे आई। सम्पत्ति की क्षति को रोकने तथा विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस ने हल्का बेंत चार्ज किया तथा अश्रु गैस छोड़ी और भीड़ को तितर बितर कर दिया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 147, 148, 149, 323, 332, 336 व 337 के अधीन एक मामला दर्ज किया था। किन्तु पुलिस ने श्री राम हेदाऊ को न तो नजरबन्द किया न गिरफ्तार किया। पुलिस वाले उनके समीप बिल्कुल नहीं गये। दूसरे दिन श्री राम हेदाऊ ने एक आम सभा में भाषण दिया और पुलिस की तथा समारोह के आयोजकों की आलोचना की। यह आरोप कि श्री राम हेदाऊ को पुलिस ने पीटा जिस के कारण वे लोक सभा में नहीं आ सके सच नहीं है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जानी थी किन्तु तत्संबंधी निर्णय को रद्द कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उस बारे में आप बाद में चर्चा कर सकते हैं।

श्री समर गुह : महोदय ! यह समस्या अत्यंत गम्भीर है कि 1971 के शहीदों की स्मृति में प्रतिमा स्थापित किये जाने के साथ साथ भारतमाता के एक अन्य सपूत के प्रति असम्मान प्रकट किया जा रहा है। उस संबंध में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! श्री धोते द्वारा दिये गये विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में विवरण आ गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह राज्य सरकार का विवरण है।

श्री समर गुह : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी किया वह देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया। जब एक निर्णय हो गया था तो उसे फील्ड मार्शल बदल नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न नहीं है।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

दिएगो गारसिया में अमरीकी अड्डे के बारे में अमरीकी राजदूत द्वारा की गयी कथित टिप्पणियां

श्री भोगेंद्र झा (जामनगर) : मैं सभा तथा विशेषकर सरकार का ध्यान ऐसी घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमारे देश की प्रभुसत्ता के लिये घातक है। इस महीने की चार तारीख को भारत में अमरीकी राजदूत ने मद्रास में यह वक्तव्य दिया था कि दियागो गार्सिया द्वीप का महत्व भारत की अपेक्षा अमेरिका के लिये अधिक है। उसने यह भी कहा कि अमरीका सरकार इस द्वीप में सामरिक महत्व का अड्डा बनाने जा रही है। उसका तात्पर्य यह हुआ कि अमरीकी सरकार ने भारत द्वारा किये गये विरोध को कोई महत्व नहीं दिया। इस प्रकार अमरीका ने हमारे देश और इस सदन की अवमानना की है। उसने एक अन्य अत्यंत आपत्तिजनक बात कही है कि उसे हिन्दमहासागर क्यों कहा जाए, इसे 'मैडागस्कर सी' भी कहा जा सकता है। यह वक्तव्य विशेषकर उस समय दिया गया है जब भारतीय प्रधान मंत्री ने आस्ट्रेलिया सरकार के साथ सहमत होकर हिन्द महासागर में उस अड्डे की स्थापना की भर्त्सना की थी।

अमरीका की हाऊस कमेटी आफ एग्रीकल्चर के चैयरमन के व्यवहार के बारे में प्रेस संवाददाताओं को उत्तर देते हुए उसने कहा था कि जब तक भारत अमरीकी नीतियों का समर्थन नही करता और जब तक वह अमरीका का विरोध किये जाने पर पश्चाताप नही करता तब तक अमरीकी सरकार चीनी के आयात की अनुमति नहीं देगी। इन बातों को ध्यान मे रखकर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अमरीका को गंभीर विरोध पत्र भेजा था अथवा वह एक औपचारिकता मात्र था? क्या सरकार उक्त राजदूत को भारत से वापस जाने की मांग करेगी क्यों कि उसने भारत और भारत की प्रभुसत्ता का अपमान किया है? क्या सरकार उक्त राजदूत के वक्तव्य को भारत विरोधी वक्तव्य घोषित करेगी?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : डियागो गार्सियो में ब्रिटिश और अमरीकी अड्डे की स्थापना के बारे में हमने दृढता से विरोध प्रकट किया है। संयुक्त राष्ट्र संकल्प के अनुसार हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखना चाहिये। अत: यह कार्य उस संकल्प के प्रतिकूल है तथा हमने अपना विरोध प्रकट कर दिया है।

यह सच है कि टेन तथा अमरीका वहां अपने अड्डे बना रहे है, तथा भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने, जो हिन्दमहासागर के आस पास स्थित है, इस कार्यवाही का विरोध किया है।

हम इस कथन से सहमत नहीं है कि डियागो गार्सिया अमरीका के लिये अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि यह द्वीप अमरीका से लगभग 7000 किलोमीटर दूर है जब कि वह भारत के अधिक समीप है। जहां तक हाउस एग्रीकल्चरल कमैटी के चेयरमन के वक्तव्य का सम्बन्ध है भारत किसी से ऐसी शर्तों पर कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहता जो हमारे हितों के प्रतिकूल हों। हम मूल नीतियों में कोई परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं है चाहे उसके कुछ भी परिणाम क्यों न निकले। मैंने उस वक्तव्य का पूरी तरह अध्ययन किया है तथा मेरे विचार से राजदूत ने उक्त चैयरमैन के वक्तव्य का समर्थन नहीं किया।

जहां तक प्रतिनिधि का सम्बन्ध है वह शुगर मिल्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि था तथा उसने बैठक में स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि नही हूं इसी लिये उसने इस समस्या के राजनैतिक पहलू पर कोई टिप्पणी नहीं की । चीनी के कोटा आदि के बारे में भारत की नीति पर किसी को भी कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है ।

मैं सभा को जानकारी देना चाहता हूं कि कल अमरीकी दूतावास के डिप्टी चीफ आफ मिशन ने कहा है कि राजदूत ने प्रेस के समक्ष जो कुछ कहा था वह प्रकाशनार्थ नहीं था तथा इस परिपाठी का पालन नहीं किया गया ।

राजदूत द्वारा अड्डे की स्थापना के औचित्य के बारे में जो कुछ कहा गया है हमें वह स्वीकार्य नहीं है । हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है । अमरीका में नियुक्त हमारा राजदूत हमारे दृष्टिकोण को दृढता से व्यक्त करेगा । जहां तक हिन्दमहासागर के नाम को बदलने का प्रश्न है राजदूत को ऐसा करने का अधिकार ही क्या है । वह होता कौन है । यह भौगोलिक तथ्य है ।

मोटे अनाज के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE REMOVAL OF RESTRICTIONS ON MOVEMENT OF COARSE GRAINS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि कृषि मंत्री मोटे अनाज के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने के बारे में 4.30 म० प० पर एक वक्तव्य देंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर बीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned or Lunch till half past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर चौतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty four minutes past Fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेल बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा
RAILWAY BUDGET 1974-75—GENERAL DISCUSSION

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह सच है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में अब भी रेल किराये कम है किन्तु अन्य देशों में यात्रियों को सुविधायें भी बहुत अधिक मिलती है । रेलवे की आय में अधिकतर योगदान तीसरे दर्जे के यात्रियों का है और उन्हीं की स्थिति अत्यंत दयनीय है । खानपान व्यवस्था विश्रामगृह की व्यवस्था और आरक्षण की व्यवस्था दोषपूर्ण है । निम्नतम किराये की तुलना में प्लेटफार्म टिकट महंगी है तथा रेलवे की जन उपयोगिता घटती जा रही है । देश में व्याप्त असंतोष तथा आन्दोलन से यह सिद्ध हो गया है कि सरकार किसी की कठिनाइयों को तब तक सुनने को तयार नहीं होती जब तक आन्दोलन न किये जाए । रेलवे विभाग को पार्टी बाजी से बचाकर रखना चाहिये तथा उसमें एक यूनियन होनी चाहिये । गुप्त मतदान के माध्यम से एक यूनियन की स्थापना की जाए तथा उसे मान्यता दी जाए ।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

मेरा सुझाव है कि रेल कर्मचारियों को अवश्य बोनस दिया जाए तथा नैमित्तिक श्रमिकों की समस्या को यथाशीघ्र हल किया जाए। कर्मचारी रहित रेल फाटकों के कारण गंभीर घटनाएं घटी है। मंत्री महोदय को उस समस्या पर भी गौर करना चाहिये।

सरकार समाजवादी होने का दावा करती है किन्तु खेद है कि उसने सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को 40 रुपया न्यूनतम पेंशन नहीं दी जा रही है। अत: पेंशन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। रेल किरायों में वृद्धि के बजाय सरकार को रेलवे में कार्यकुशलता लानी चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार को रेलवे बोर्ड का कमसे कम पुनर्गठन अवश्य करना चाहिये तथा इसमें विद्यमान नौकरशाही को समाप्त करना चाहिये।

मंत्री महोदय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिये कि रेलवे में फिजूल खर्ची को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रेल गाडियां निर्धारित समय पर चलें तथा सही समय पर गन्तव्य स्थान पर पहुंचे।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है इस विषय पर जितना कहा जाए कम है। उस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार भ्रष्टाचार का उन्मूलन उच्चतम अधिकारियों से आरंभ करें। जब तक उच्चाधिकारियों को इमानदार नहीं बनाया जाता तब तक रेलवे से भ्रष्टाचार समाप्त नही हो सकता।

वैगन उत्पादन के बारे में सरकार ने कोई आंकडे उपलब्ध नहीं करायें है अत: जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पांचवीं योजना के लिये वैगन उत्पादन के बारे में कोई योजनाबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये है जिससे औद्योगिकीकरण आदि के कारण वैगनों के लिये वढती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

कोयले की ढुलाई के बारे में रेल्वे मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु उसका कोई सफल परिणाम दिखाई नहीं दिया। ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश की खानों में कोयला नहीं उठाया जा रहा है इससे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कारखानों पर, साबरमती बिजली घर आदि पर बहुत बुरा प्रभाव पडेगा। अत: सरकार को समय पर कोयले की ढुलाई सुनिश्चित करनी चाहिये।

मुझे इस व्यवस्था में भी कोई औचित्य दिखाई नहीं देता कि विमान यात्रा से दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है तथा रेल यात्रा के द्वारा दुर्घटना होने पर केवल 50,000 रुपये।

मैं यह भी मांग करता हूं कि भावनगर से तारापुर तक नई रेल्वे लाइन बनाई जायं। साबारकण्ठा जिले में भी मोडासा से नंदेड तक रेलवे लाइन बनाई जाय तथा बडौदा छोटा नागपुर छोटी लाइन को बडी लाइन में बदला जाय। प्रशिक्षण कालेज के कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिये जिससे अनुसंधान सम्बन्धी कार्य में प्रगति हो सके। कुलियों की दरों में भी वृद्धि होनी चाहिये तथां उनके स्वास्थ्य की और ध्यान दिया जाना चाहिये। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिये भी उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि साबरमती रेलवे कालोनी के निवासियों के लिये पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। वहां पर शिक्षा संबंधी सुविधा भी पर्याप्त नहीं है।

अंत में मैं मांग करता हूं कि अहमदाबाद से कानपुर, लखनऊ और बनारस तक सीधी रेल सेवा प्रदान करनी चाहिये। आशा है मंत्री महोदय यथा शीघ्र यह व्यवस्था कराएंगे।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) **:** To begin with I would like to congratulate the hon. Minister for certain good steps proposed to be taken in regard to changing criterion for new railway lines and increasing the efficiency in Railways.

Regarding the transportation of goods Government could not achieve the targets. Originally the target was 265 million tons which was afterward reduced to 240 million tons they could transport only 192 million tons of goods traffic in 1970-71.

The main objective of the Railway Administration should be the protection of the interests of the passengers. Government must ensure maximum facilities to the users who provide funds for running this industry. I do not find any reason for which punctuality chart has not been provided this year.

It is quite strange that large number of trains were cancelled due to non-availability of coal inspite of the fact that both coal and wagons belong to the Government. I suggsted in 1973 that there should be a Thinking cell in the Railway Board. I repeat my that suggestion and request that hon. Minister should think over it again. Users of Branch lines have been worst affected persons. Due to cancellation of trains they could not get their mails even Government incurred a heavy amount of Rs. 1430 crores during the fourth Five year plan but could not provide basic amenities to the railway users.

Railway management have adopted faulty method regarding supply of wagons to collieries. Wagons indented for five-six day are sent in bulk. It is not possible for collieries to load all the wagons in one day. It attach transportation capacity of the Railways. Government should look into this problem.

The hon. Minister told the house that arrangements were being made to discourage the growth of vested interests under the old procedure so far as the catering and vending contracts were concerned. But we do not find any improvement in this field. He could not translate those measures into practice.

Shri Hukum Chand Kachwai : Sir, there is no quoram in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गणपूर्ति हो गई है।

Shri D. N. Tiwary : Old book sellers have been occupying book stalls at big stations and new book sellers have been provided book stalls at new stations which are less advantageous. It should be rationalised.

Contracts of the catering service of contractors having good record of their performances should be renewed by the Government.

In view of the increased traffic and number of trains and stations the amount of Rs. 4 crores for amenities is quite inadequate.

There should not be any increase in the short distant fares. More halts should be provided in order to minimise chain pulling incidents.

The hon. Railway Minister had gone to Pahlezghat railway station of N.E. Railway. People welcomed him and demanded that Sonepur should be made headquarter of the Divisional Superintendent. This will help in the efficient running of trains because Samastipur Division alone is not able to bear so much burden of such a vast area.

Lastly I want to submit that Muzaffarpur-Naharkatia railway line should be converted in to broad gauge line because it is a very important line.

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : प्रत्येक वर्ष की भांति रेलवे ने इस वर्ष भी किरायों में वृद्धि की है। रेलवे देश का सबसे बडा सरकारी उपक्रम है जिसमें 3727 करोड रुपये के लगभग पूंजी लगी हुई है । रेलवे के कार्य को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है । एक तो इतनी लगाई गई पूंजी वसूल कैसे की जाती है, दूसरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ।

जहां तक पहले भाग का संबंध है मैं यह कहूंगी कि हमें घाटा हो रहा है । यह घाटा हमें क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण अकाल, हडताल या कम भाडा दर है। जहां तक भाडा दर का प्रश्न है रेलवे बोर्ड अभी भी अंग्रेजों के समय का देश के बडे बडे उद्योग गृहों को कम दरों पर भाडे में रियायत दे रहा है ताकि उनका परिवहन लागत कम रहे। यह कहा जाता है कि यदि माल भाडा बढा दिया जाए तो मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। इस समय वस्तुओं के मूल्य अधिकतम सीमा तक पहुंच गए। देश में चोर बाजारी दिनोदिन बढ रही है । अतः देश के मूल्य ढांचे और भाडे में कोई संबध नहीं रहा ।

प्रतिवेदन में तेल, चाय, कच्चा लोहा आदि के समान 75 वस्तुओं को सामाजिक वस्तुओं के शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है । उन पर कम भाडा लिया जाता है । कुछ वस्तुओं को बेकार सामाजिक वस्तुओं की श्रेणी में रखकर उनका भाडा कम लेकर बडे व्यापार गृहों को फायदा पहुंचाया जा रहा है । उदाहरणार्थ बसे को लीजिए । इसका उपयोग कागज तथा नायलन इत्यादि बनाने में किया जाता है । यह गरीब आदि के उपयोग के वस्तु नहीं है। वह तो ज्यादा से ज्यादा इस पर अपने भाडे लगाते है। अतः इस पर कम भाडा लिए जाने में कोई उचित कारण नहीं है । इसी प्रकार खाद्यान्नों को एक से दूसरी जगह ले जाने का मात्र थोक विक्रेता करते है ताकि गरीब कृषक अतः यह कहना कि भाडे दर में वृद्धि से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी ठीक नहीं ।

भारतीय खाद्य निगम हमेशा घाटा दिखा रहा है और जिस तरह के खाद्य पदार्थ वह सप्लाई कर रहा है उसे खाने को क्या देखने का भी जी नहीं चाहता। खाद्य निगम चोर बाजारी और कीमतों को बढाने में सहायक है।

कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने बम्बई की स्थानीय गाडी में यात्रा की थी। काश वह छुप कर किसी को बिना बताए यात्रा करते तो उन्हें असलियत पता चलता। वह जिस स्टेशन पर उतरना चाहते तो उससे अगले दो स्टेशनों पर उतर पाते। गाडियों में भीड इतनी अधिक होती है कि खडा होना भी मुश्किल होता है । बम्बई की महिला यात्रियों ने गाडियों में महिलाओं के लिए दो डिब्बे और लगाने का अनुरोध किया किन्तु इस संबंध में रेलवे प्राधिकारियों ने कुछ नहीं किया।

क्या मंत्री महोदय ने रेलवे में परोसे जाने वाले भोजन को कभी चखा है। मुझे यकीन है कि अगर वह एक महीना इन लाइनों पर चले तो उन्हें जरूर अल्सर हो जाएगा।

कई बार गाडियों में रात को बिजली कई कई घंटे गायब रहती है । आप जंजीर खींचते रहिये और गार्ड आप पर चिल्लाना शुरू कर देगा । हम अपनी गाडियों की तुलना विदेशों से नहीं कर रहे है फिर भी उनका सुधार किया जाना चाहिए।

यह भी कहा जा रहा है कि रेलवे का व्यापार कम हो रहा है जबकि सडक यातायात का बढ़ रहा है । जबकि असलियत यह है कि रेलवे स्वयं सड़क परिवहन को काफी काम दे रहा है क्योंकि ट्रक निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाते है और सरकार बडे व्यापार गृहों के हितों की रक्षक है ।

क्या कभी मंत्री महोदय ने यह जानने की कोशिश की है कि कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है । मंत्री महोदय तो कर्मचारियों पर दोष लगाते है कि वह हड़ताल कर रहे है, घेराव कर रहे है या धीरे काम करने की पद्धति अपना रहे है। क्या उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की है कि उनकी मांगे उचित है अथवा नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। कर्मचारी हडताल के पक्ष में नहीं हैं पर जब कोई दूसरा रास्ता न सूझे तो फिर क्या किया जाए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे में 700 श्रेणी वार संघ है । अगर 700 संघ प्रजातंत्र के नाम पर बने है तो आप उनसे बातचीत करो यही एक तरीका है मामला निपटाने का । अगर मांगों पर चर्चा नही की जाती तो रेलवे कर्मचारी फिर हड़ताल कर देंगे अगर मंत्री महोदय उनकी मांगे पूरी करेंगे तो वह उनका साथ देने के लिए आएंगे। अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि रेलवे बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । रेलवे कर्मचारी स्वयं रेलवे का काम चलाने में सक्षम है। मैं यह आश्वासन उनकी ओर से दे रही हूं और काम भी रेलवे बोर्ड की अपेक्षा बेहतर होगा।

Shri Genda Singh (Padrauna) : Mr. Deputy Speaker Sir, I am grateful to you that you have given me an opportunity to express my views, last year I had requested the hon. Railway Minister for the construction of a bridge over river Gandak. We are happy that the Prime Minister has laid foundation stone of this bridge this year on the 22nd Oct. People living in Tirhut division of Bihar and in Gorakhpur division of U. P. will remain obliged for meeting their demand for the construction of the said bridge. It is a matter of satisfaction that Railway have undertaken the reconstruction of this bridge. But I want to submit that paucity of funds should never be put forward so far as the construction of this bridge is concerned the hon. Prime Minister has said that the construction work will be over within four years but the progress work in this connection is very slow. The Railway Minister should see that this work is not held up for want of funds. As this bridge is of historical startegic importance, therefore funds should be granted for it liberally. If this bridge is completed it will strengthen the relation between U. P. and Bihar and crores of people will be releived from their present sufferings.

I would like to say few words about Hindi also. The Railway Minister should also try to popularise the use of Hindi in Railway.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : पिछले चार वर्षों से प्रत्येक रेल मंत्री बजट पेश करते समय किराये व भाडे दर की वृद्धि पर खेद प्रकट करते हुए आश्वासन देते आ रहे हैं कि अगले वर्ष हमें बचत होगी । लेकिन दर बार आश्वासन पूरा नहीं होता और रेलवे को घाटा होता है ।

पिछले रेल बजट में रेल किराए बढाए जाने पर यह कहा गया था कि रेलवे में 23.86 करोड रुपये की बचत होगी परन्तु उसमें 99.75 करोड रुपये का घाटा हुआ है । 1974–75 के बजट में फिर वास्तविकताओं को छिपाया गया है । माल ढुलाई में 200 करोड और यात्री किराए में 50 करोड रुपये अधिक प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। ये दोनों अनुमान हवाई किले है । यह नितांत असंभव है कि यात्री संख्या 1 प्रतिशत बढ जाएगी। यह आशा है कि माल ढुलाई में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी, बजट में दर्शाए गए आय व्यय का अन्तर 52 करोड का न होकर 152 करोड़ हो जाएगा। यदि माल ढुलाई को न

[श्री के० एस० चावडा]

बढाया गया तो 1974-75 में यह अन्तर 300 करोड रुपया हो जाएगा । देश भर में लगातार यह कहा जाता रहा है कि विभिन्न वस्तुओं के लिए माल डिब्बे उपलब्ध नहीं है । रेलवे का कहना है कि खानों ने पर्याप्त कोयला नही दिया जबकि खान मंत्री का कहना है कि रेलवे कोयला उठाने में असमर्थ रही है । अत: कौन गलती पर है इसका पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए ।

रेलवे के वित्त को सुधारने के लिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूं एक तो माल ढुलाई को 2000 लाख टन से बढाकर 2400 लाख टन करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करने चाहिए । रेलवे को बढती हुई आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठाना चाहिये । सडक परिवहन ने इसका लाभ उठाया है । इस लिए इस माल की ढुलाई के काम प्राप्त करने के लिए रेलवे को व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा । मेरा दूसरा सुझाव है कि प्रशासनिक कुशलता भी बढाई जाए जिससे बिना टिकट यात्रा और चोरी के कारण होने वाली हानि को रोका जा सके । मुआवजे के तौर पर रेलवे 15 करोड रुपये तक देती है और बिना टिकट यात्रा के कारण उसे उक्त वर्ष के दौरान 25 करोड की हानि हुई । यदि रेलवे इसकी बचत कर ले तो इससे स्थिति में काफी अन्तर पड जाएगा ।

रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रुप से रूचि ली है । किन्तु यह बात सही नहीं है । इस बात की कई शिकायतें प्राप्त हुई है कि उन आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तीगत मामले सदन के सामने नही लाने चाहिए इनको पेश करने की एक प्रक्रिया है अन्यथा तो ऐसे मामले कभी समाप्त न होंगे । आपको जो कुछ कहना है वह मंत्री महोदय को लिख कर भेजे ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं कई बार लिख चुका हूं और एक बार और लिख दूंगा ।

रेल मंत्री ने कर्मचारियों में फैल रही अनुशासहीनता की शिकायत की है । इसके लिये रेल मंत्रालय स्वयं ही जिम्मेदार है । यद्यपि सरकार का कुछ भी खर्च न ही करना पड़ता तब भी उनकी न्यायोचित शिकायतें दूर नहीं की जा रही है । सिगनैलर रेलवे में सिगनल नीचे करने वाले को कहते हैं पर हमारे यहां जो टेलीग्राम से संदेश भेजते हैं उन्हें सिगनिलर कहा जाता है वह अपना पदनाम बदलना चाहते हैं पर यह मांग भी स्वीकार नहीं की जा रही । रेलवे स्कूलों के अध्यापकों की यह मांग है कि उनके ग्रेड दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के समान किए जाए, स्वीकार नहीं की गई है ।

मंत्री महोदय ने 12 नई रेलवे लाइनों का प्रस्ताव किया है जिनके संबंध में सर्वेक्षण कर लिया गया है अथवा 1974-75 में करने का प्रस्ताव है किन्तु ककोसी-मिल्दी रेल लाइन के, जिसका सर्वेक्षण 1966 में कर लिया गया था और जिसके लिये रेल प्रशासन एक लाख रुपए व्यय कर चुका है, निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । या रेल लाईन सामयिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है । यदि इसका निर्माण कर दिया जाए तो यह अहमदाबाद-दिल्ली ट्रंकरूट के समान उपयोगी सिद्ध होगी और इससे ट्रंक लाईन पर यातायात का भार भी कम हो जाएगा ।

आशा है मंत्री महोदय अपने उत्तर में इन बातों का भी उत्तर देंगे ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : ऐसा लगता है कि रेलवे केवल ट्रेड यूनियन की होकर रह गई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे इस देश की जनता की है जो इसके लिये पैसा देती है हमने हमेशा मजदूरों की उचित मांग का साथ दिया है । मैं गजेंद्रगड़कर आयोग की इस सिफारिश का कि एक उद्योग में एक यूनियन हो समर्थन करता हूं। रेलवे में 747 यूनियनें न होकर केवल एक यूनियन होनी चाहिये । अधिक मजदूर संघ होने के कारण रेलवे के काम में प्रतिदिन रुकावटें हो जाती हैं इसके लिये हम गुप्त मतदान करा सकते हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं ।

मंत्री महोदय का कहना ठीक है कि गत वर्ष रेलवे के निराशाजनक कार्य का मुख्य कारण रेल कर्मचारियों में अनुशासनहीनता है। मैं ने टी० टी० ई० के पदों पर कार्य करने वाले लोगों के संचलन भत्ते का समर्थन किया । मैं उनकी समान वर्दी की मांग को भी उचित मानता हूं और यह भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे के अध्यापकों को दिल्ली के अध्यापकों के समान वेतनमान दिए जाने चाहिए पर क्या उनकी मांगों का समर्थन करते हुए हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि वह अपना काम ईमानदारी से करेंगे ।

गाड़ियों में समय की पाबंदी देखें तो पता चलेगा कि गाड़ियाँ बहुत देर से चलती है। यह भी निश्चित नहीं होता कि आप अपने गन्तव्य स्थल पर निर्धारित समय पर पहूंचेंगे? रेल मंत्री ने पिछले वर्ष मई में रेल कर्मचारियों से बातचीत करके भारी भूल की उस दिन के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब कोई न कोई समस्या न उत्पन्न हुई हो । अभी भी एक विशिष्ट वर्ग की यूनियन हड़ताल की धमकी दे रही ।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा की है कि काम न करने वाले को वेतन नहीं मिलेगा और जो काम करेगा उसे चार महीनों का पूरा वेतन और एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जायगी । लेकिन गाड़ियों के देर से चलने के लिये पैसे की आवश्यकता नहीं अपितु व्यक्तिगत देखरेख की आवश्यकता है । गाड़ियों के देर से चलने से राष्ट्र को क्षति होती है । अप्रैल और दिसम्बर के बीच गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण 4,50,000 कार्य दिवस खोये गए हैं । यह पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से दुगने हैं ।

अनुशासनहीनता का कोई प्रश्न नहीं या आप उन्हें नेतागिरी प्रदान करें या अनुशासन में रखे तभी उनका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है । इस बजट में मुझे निम्नलिखित बातें दिखाई पड़ी, एक तो कार्यकुशलता में ह्रास हुआ है, दूसरे सुधार लाने में शिथिलता, तीसरे कर्मचारियों में अनुशासन के लिये उनका सहयोग प्राप्त करने में असफलता, चौथा देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़क, नदी तथा रेल परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिये कोई समन्वित योजना नहीं । पांचवे, कार्यकरण व्यय को कम बढाया गया है और आय की संभावनाओं को बढ़ाकर बताया गया है। छटा इसमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये नई लाइनों की बात है। रेल किराये और माल भाडे में वृद्धि इस तरह की गयी है जैसा कि यह उन सभी बुराइयों को, जो रेलवे में हैं, दूर कर देगी। मैं अविकसित क्षेत्रों तथा अधिक रेलवे लाइनों को बिछाने के संबंध में कहूंगा । मैं मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं । अब तक हमें यही बताया जाता रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें नहीं बिछायी जा सकती क्योंकि इन लाइनों से लाभ नहीं हो सकता है किंतु समय और अनुभव से मालूम होता है कि पिछड़े क्षेत्रों में जहां रेलें चलायी गयी, काफी अधिक लोगों ने यात्रा की है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नयी लाइनों के बिछाने के लिये आप ने कौन से मानदण्ड निर्धारित किए हैं ?

[श्री भागवत झा आझाद]

मैं गोहाटी मेल के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। किन्तु ऐसा काफी लंबे संघर्ष के पश्चात् किया गया है। दिल्ली से बोनगामगांव तक गौहाटी मेल के साथ एक बहुत पुराना सा इंजिन जोड़ा जाता है। इसमें डीजल इंजिन लगाया जाना चाहिये। दिल्ली से बोनगामगांव तक की लाइन दोहरी है। मोकामो में लाइनें बेकार पड़ी हैं जिसे क्यूल बारहावा लाईन के लिये लिया जाना चाहिये। जब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तो उन्होंने पीरपायन्ती-गोड्डा, डुम्का लाईन के बारे में वचन दिया था। आपने देतगढ़-डुम्कल रामपुरहट लाईन के सर्वेक्षण की घोषणा की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेल सम्प है। मेरा अभिप्राय पीट पायन्ती से हमदिया तक है। इसे बढ़ाकर डुम्का तक मिला दिया जाना चाहिये।

जब हम बड़ी लाइनों के बारे में कहते हैं तो कहा जाता है कि धन नहीं है। जब हम छोटी लाइनों के लिये कहते हैं तो कहा जाता है कि यह सम्भव नहीं है। तो क्या बात सम्भव है? आप को सभी सम्भावनाओं के बारे में सोचना चाहिये।

यातायात के बारे में, जब चौथी योजना शुरू हुयी, तो 2650 लाख टन का वचन दिया गया था। रेलवे की देनादारियों में वृद्धि हो गयी है। उसका सामान्य राजस्व से ऋण 111 करोड़ रुपए से बढ़कर 208 करोड़ रुपए हो गया है। यह पता लगाया जाना चाहिये कि देनदारी तो बढ़ती जा रही है, किन्तु यातायात और संचालन कम होता जा रहा है, कार्य-कुशलता कम होती जा रही है। इसे रोका जाना चाहिये।

हम बार बार यह कहते चले आ रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में कोयले की कमी है। रेल मंत्री महोदय कहते हैं कि पर्याप्त कोयला नहीं होता है जिसे रेलवे द्वारा लाया जा सके। इस्पात और खान मंत्री कहते हैं कि 800 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है जबकि रेलवे द्वारा केवल 610 लाख टन कोयला ही ढोया गया है।

हमें यह बात भी याद रखनी चाहिये कि सरकार की ऊर्जा नीति में परिवर्तन हो गया है। हमने डीज़ल के स्थान पर कोयले के उपयोग की नीति बनायी है। यदि आप अपने उपयोग के लिये कोयला नहीं ला सकते तो आप इसे अहमदाबाद अथवा बम्बई कैसे ले जा सकते हैं। इस समय श्री मिश्राजी तथा श्री मालविया जी दो प्रगतिशील मंत्री हैं। आप दोनों आपस में फैसला कर लीजिये कि आप में से कौन दोषी है?

उपाध्यक्ष महोदय : उपभोक्ता ही दोषी है।

श्री भागवत झा आजाद : आप ठीक कहते हैं। उन्हें कोयले का उपयोग क्यों करना चाहिये, उनसे कच्चा गेहूं क्यों नहीं खाना चाहिये?

रेलवे को कोयला लाने ले जाने में 36 करोड़ रुपए की हानि हुयी है। इसलिये मंत्री महोदय ने माल भाड़े को बढ़ा कर 37 करोड़ रुपए कर दिया। यह बात भी नहीं भुलायी जानी चाहिये कि कोयला घरों में जलाने के काम भी आता है। इस लिये कोयले के भाड़े में बहुत कम वृद्धि की जानी चाहिये। यह कहना गलत है कि कोयले के भाड़े की इस वृन्धि से केवल 5 से 6 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। परन्तु इससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा। व्यय और राजस्व के गलत ढंग से निर्धारण से वित्त मंत्रालय की घाटे की अर्थव्यवस्था और भी बढ़ जायेगी। इससे अधिक प्रभाव बाजार पर पड़ेगा। संचालन को कम बता कर देश के सामने एक गलत चित्र पेश किया गया है। भाड़े में वृद्धि करने की बजाये प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये।

रेलवे सुरक्षा दल पर सरकार का 12 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और चोरी और उठाईगिरी के मुआवजे आदि पर 10-12 करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं। इन दोनों के बीच क्या संबंध है। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस तरह भाड़े और किराए को बढ़ाने की बजाय राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

संचालन कार्यकुशलता के मामले में वर्ष 1973-74 रेलवे का सबसे बुरा वर्ष रहा है। गत दो दशकों में भाड़ों में 82 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। किराये में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और भांडारों की लागत 250 प्रतिशत बढ़ी है। इसी तरह प्रतिव्यक्ति श्रम लागत में 194 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि यह पता लगाना बहुत ही आसान है कि आप कहां नियंत्रण कर सकते हैं ?

मैं प्रथम दर्जे तथा वातानूकूलित दर्जे का समर्थन कभी नहीं करूंगा। इन दर्जों को बनाये रखने की आवश्यकता ही क्या है ?

संचालन कार्यक्षमता, आर्थिक व्यवहारिका को सुदृढ़ तथा सुनिश्चित करने के रलवे को समन्वित रूप से सडक तथा समुद्री परिवहन के साथ विचार करना चाहिये। निवेश को कम करने और यातायात संबंधी गलत नीतियों से देश के यानी वर्ष 1973-74 से भी अधिक खराब होगा। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा कही गयी सभी बातों पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

[**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुए।
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

Shri Ravabahadur Singh (Sidhi) : I want to say some points. For instance, four crores rupees were spent on the New Katni-Morni line. Although this line was laid two years back, yet no proper rail service has been provided on this line. Because of such things the railways have to suffer heavy losses. Since the completion of this line the local people had been demanding that a level crossing at Gondwali village on the New Katni-Morna line may be erected. But no heed has been given to this demand. The Government should take steps to meet this demand of the local people.

Booking facility is not available at Vargina at Sidhi district. I want to know that how this facility would be provided to the people of the region ? The work of providing transmission lines in Sidhi district under the Rural Electrification programme had been started. But this work is not making any progress in the proper way due to lack of facilities for transport of necessary equipment for the same. It is matter of regret that inspite of instructions from the Railway Minister there is no quick transport of necessary equipment. The Government should work into it.

Today we are facing power crisis. We have evolved a clear policy that we will use coal in place of oil. Suffcient quantity of coal is available in Singrauli area. This coal can easily be obtained in large quantity from that area. As far as I know the necessary railway siding is being provided for 2 kilometres only. The requisite railway siding for proper utilization of the coal deposits should be provided. I request that this siding should be extended to the area where the coal deposits are available after having consultation with the Geological Survey of India.

Shri Ambesh (Firozabad) : I want to congratulate the Railway Minister for creating a reservation cell for scheduled casts and scheduled Tribes. At present that there is no Scheduled Casts and Scheduled Tribes officers in higher posts in the railway. There is perhaps only one Scheduled Caste and Scheduled Tribe officer in the cadres of General Manager, H. O. D., Deputy H. O. D. out of about 300 officers. Unless scheduled caste and scheduled tribs people are posted in the key posts, the harassement of lower staff belonging to these communities would not end.

[Shri Ambesh]

There are, perhaps, five railway service commissions. There is perhaps only one chairman of these commissions, who belongs to scheduled castes and scheduled tribes unless more scheduled castes and scheduled tribes people are posted in such key posts, justice can not be expected to scheduled castes and scheduled tribes people.

Several trains were cancelled due to shortage of coal. The railways are suffering heavy losses on account of coal shortage. There should be no shortage of coal in the railways. The punishment should be awarded to the officers who are responsible for this shortage. Please take steps to remove the coal shortage.

The Minister had given an assurance in regard to the Shahdara Saharanpur line. It is learnt that a corporation would be set up in collaboration with the state Government. When railway is a central subject, why is the State Government being involved in it ?

A survey for providing an underground railway in Calcutta is being conducted for the last ten years, but no tangible result has been achieved so far as far as I know that perhaps 10 crores of rupees have been spent on this survey.

The Honorable Minister has provided Audh Express after three years for Agra Lucknow but it starts at 10 a. m. and reaches at Lucknow at 8-10 p. m. I want that a train as Qutah Express may be introduced between Agra and Delhi on the pattern of Taj Express.

सभापति महोदय : मैं इस बात के बारे में सभा की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं कि यदि हम कार्यसूची के अनुसार अगले मद पर चर्चा 5-30 म० ध० से, जब कि आधे घंटे की चर्चा शुरू की जानी है, समाप्त करले तो क्या हम रेलवे बजट के संबंध में वाद-विवाद को पुनः शुरू करेंगे ? यदि हमारे पास कुछ समय शेष रहा जाये, तो क्या हम पुनः रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे ? मैं यह मान लेता हूं कि सभा की राय यही है । हम इन मदों पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् रलवे बजट पर चर्चा शुरू करेंगे ।

Shri Hukamchand Kachwai (Morena) : I support it

कार्य मंत्रण समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

38 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : मैं कार्यमंत्रण समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मोटे अनाज के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. REMOVAL OF RESTRICTIONS ON MOVEMENT OF COARSE GRAINS

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मोटे अनाज की अभि प्राप्ति और उनकी उपलब्धता की स्थिति पर बारीकी से विचार करने के बाद सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जनवरी, 1974 के अन्त में यह सलाह देने का निश्चय किया :—

(क) कि उनके अपने अपने राज्यों में मोटे अनाजों के संचलन पर सभी प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिये; और

(ख) मोट अनाजों के अन्तरराज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों में संशोधन किया जाना चाहियें जिससे राज्य सरकारों के नामित एजेंटों के लिये अन्य राज्यों से मोट अनाज खरीदना और उन्हें भेजना संभव हो सके ।

इस स्थिति की ओर समीक्षा की गई है और सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि देश भर में मोटे अनाजों का बिना किन्हीं प्रतिबन्धों के तुरन्त अबाध संचालन होना चाहिये ।

खाल तथा चमडे पर निर्यात शुल्क के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE EXPOSES DUTY ON HIDES AND SKINS

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"भारतीय टरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 6(ङ) दिनांक 1 जनवरी, 1974 का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा शोधित तथा अशोधित सभी प्रकार की खालों तथा चमड़े पर, किन्तु जिसमें सांप की खाल तथा चमड़े की निर्मित वस्तुएं शामिल नहीं हैं, निर्यातशुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से 10 प्रतिशत यथामूल्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत यथामूल्य किया गया है ।"

अशोधित खालों और चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । एक पृथक सूचना के द्वारा तयार चमड़े पर निर्यात शुल्क पर पूर्णतयः छूट दी हुयी है । अतः, इस अधिसूचना का उद्देश अर्धतयार खालों और चमड़े पर निर्यातशुल्क को बढ़ाना है ।

सरकार की यह नीति रही है कि अर्ध-तैयार खालों तथा चमड़े के निर्यात को निरुत्साहित किया जाये और तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल के निर्यात को बढ़ाया जाये । निर्यात से अर्जित होने वाली आय को बढ़ाने की दृष्टि से और देश के चमड़े उद्योग में रोजगार अवसर पैदा करने की दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय है । इस नीति के अनुसरण में वाणिज्य मंत्रालय ने अर्ध तैयार खालों तथा चमड़े के निर्यात पर कोटा संबंधी नियंत्रण लगा दिया है और उसी लक्ष्य को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से अर्ध-तैयार खालों तथा चमड़े पर निर्यात शुल्क में, जो 10 प्रतिशत यथा मूल्य है, 1-1-1974 से वृद्धि कर के 20 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया है ।

सभापति महोदय : निम्नलिखित संकल्प पेश किया गया :—

"भारतीय टेरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 6(ड) दिनांक 1 जनवरी, 1974 का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा शोधित तथा अशोधित सभी प्रकार की खाली तथा चमडे पर, किन्तु जिसमें साप की खाल तथा चमडे की निर्मित वस्तुएं शामित नहीं है, निर्यात शुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से 10 प्रतिशत यथामुल्य बढ़ाकर 20 प्रतिशत यथामुल्य किया गया है ।"

श्री माधुर्य्य हालदार ।

***श्री माधुर्य्य हालदार** (मथुरापुर) : निर्यात शुल्क बढ़ाकर अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । यदि इस मामले पर इसी विचार को ध्यान में रखा गया है, तो मुझे डर है कि संभावनाये आशाप्रद नहीं है । इसका कारण यह है कि देश में चमड़े का निर्यात व्यापार अधिकतर गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ में हैं । ये व्यापारी जहां मांग होती है उन आन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चमड़े का निर्यात करते हैं ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on English translation of Speech delivered in Bengali.

[श्री माधुर्य्य हालदार]

मांस के व्यापारियों ने गत जनवरी में हड़ताल की और मांस के भाव बढ़ा दिये। उनका कहना यह था कि देश में खालों और चमड़े के भाव कम हो गये हैं और यदि वे मांस के मूल्य को नहीं बढ़ाते हैं, तो यह व्यापार उनके लिये लाभकारी नहीं हो सकता। अतः निर्यातशुल्क के बढ़ने से एक ओर तो मांस की भाव बढ़ गया है और दूसरी ओर खालों और चमड़े के छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारी और निर्यातक कम मूल्य देने लगे हैं क्योंकि चमड़े के निर्यात व्यापार पर इन गैर सरकारी व्यापारियों का नियंत्रण है। छोटे उत्पादकों को इस तर्क पर कम मूल्य दिय जा रहे है कि निर्यातशुल्क बढ़ गया है। अतः सरकार ने निर्यातशुल्क में वृद्धि बड़े व्यापारियों के हित में की है। यह सरकार के समाजवाद का ढांचा है। इन कठिन दिनों में छोटे व्यापारियों को कुछ राहत दिये जाने की आवश्यकता थी। सरकार को इन गरीब लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है और वास्तव में वह गैर-सरकारी बड़े व्यापारियों की सहायता कर रही है।

राज्य सभा और लोक सभा में कई बार यह मांग की गयी है कि चमड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। किन्तु जब अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकता है और जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खालों और चमड़े को अधिक अच्छे मूल्य पर बेचा जा सकता है तथा सरकार द्वारा वैध निर्यातशुल्क वसूल किया जा सकता है, तो चमड़े के निर्यात व्यापार को ले लेने के लिय वाणिज्य मंत्री पर दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है और निर्यात व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में क्यों रखा जा रहा है। सरकार की इस नीति से देश को भारी हानि हो रही है। हमें यह गलत धारणा नहीं होनी चाहिये कि निर्यातशुल्क में वृद्धि करने से सरकार को अधिक लाभ होगा। निर्यात-शुल्क में वृद्धि का कोई भी औचित्य नहीं है। यह अधिसूचना विदेशियों तथा बड़े व्यापारियों को खुश करने के लिये जारी की गयी है। यही कारण है कि मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri R. R. Sharma (Banda) : I oppose this resolution. Increase in the export duty will hit hard the leather industry. The Government should reconsider and withdaw the resolution.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I oppose the resolution. Increase in the duty is likely to tell upon badly on the leather industry. It is not possible to prevent the export of leather by raising duty. The duty imposed on the export of leather should be withdrawn. You want to raise more revenue through such resolution. Increase in the duty is likely to harm the small traders and benefit the big traders. Nobody has supported this resolution which should be withdrawan.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरूचिरापल्ली) : मेरे विचार में शुल्क वृद्धि का अधिक प्रभाव चमडे के छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। इससे केवल बड़े बड़े व्यापारियों को ही लाभ पहुंचेगा। क्या मंत्री महोदय इस संकल्प की चर्चा को स्थगित करेंगे तथा इस पर व्यापारियों का परामर्श लेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : शुल्क वृद्धि करने का उद्देश्य चमड़े के तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना है, इस पर एक समिति ने विचार किया था।

इससे न केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा बल्कि चमड़ा उद्योग में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की संभावना भी होगी। समिति ने सिफारिश की है कि निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत होना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इसमें और भी वृद्धि की जाये।

अतः यह व्यापार प्रणाली में परिवर्तन करने संबंधी सरकार की घोषित नीति के अनुसार ही है। शुल्क संबंधी अधिसूचना बजट से पहले 31 जनवरी, 1974 को की गयी थी और अब हम इसके लिये सदन की अनुमति ले रहे हैं।

मैं सदन से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The ways and means of exporting the goods has not been indicated. Increased duty will not prevent the export. It should be clearly decided that we will not export raw material but only the finished goods.

Shri K. R. Ganesh: The Committee has given a thought to it.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 6(ङ) दिनांक 1 जनवरी, 1974 का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा शोधित तथा अशोधित सभी प्रकार की खालें तथा चमड़े पर, किन्तु जिसमें सांप की खाल तथा चमड़े की निर्मित वस्तुएं शामिल नहीं है, निर्यात शुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से 10 प्रतिशत यथामूल्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत यथामूल्य किया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम रेलवे बजट पर पुनः चर्चा शुरु करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want voting on it. How can you pass it when the entire house is opposing it ?

सभापति महोदय : इसके लिये बहुमत है, इसलिये मैं अगले विषय की ओर गया हुं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want ruling on this resolution.

सभापति महोदय: जब मैंने मतदान के लिये कहा किसी ने मतविभाजन की बात नहीं कही। अध्यक्षपीठ का निर्णय अंतिम है। कृपया बाधा न डाले।

रेल्वे बजट-सामान्य चर्चा

Railway Badget-General Discussion

Shri Ramkumar (Tonk): I regret that 3rd class passengers have been deprived of from the facilities of mail and express trains. The Government is increasing the fare without providing any facilities.

Rajasthan has not been covered for the new lines provided for in the budget. The hon. minister has not paid any attention towards the repeated demands from the members of that state for opening new lines.

During the last session also I referred to the requirements of Rajasthan for new lines I wrote many letters to the hon-minister on this subject. Only today I received a reply to one of such letters in which he has rejected almost all the demands regarding opening of new rail lines.

It appears that Rajasthan has been deliberately excluded from the construction of new railway lines. Construction of new railway lines will not only develop those areas but also provide employment to the local people. I request railway minister to pay necessary attention towards the demands for opening new railway lines in Rajasthan.

Railway canteens are being allotted to the rich people. I want to know the yardstick adopted for the allotment of canteens. Catering should be allotted to the scheduled castes and widows of the dead servicemen. There had not been adequate representation of scheduled castes and scheduled tribes in the railways. I suggest that class IV posts should be filled up directly from the scheduled castes and scheduled tribe community without interview.

Shri R. R. Sharma (Banda): This is a anti-people budget. What is the justification for increasing the fares of 3rd class? The justification given by the railway minister for increasing the 3rd class fare can not be supported.

If the government could have checked travelling without ticket, there would not have been any necessity of increasing the third class fares. When third class window is over-crowded at Kanpur Station, the Railway staff including the gundas and the Railway ticket collectors ask the passengers to board the train without the tickets. The Railway staff charge full fares from the passengers and issue the tickets at Patna station from Patna to Banda. The excess money is distributed by the Railway staff among themselves. I had made a complaint to the Railway authorities last vear. I have not been informed so far about any enquiry in the matter,

I would like to say a few words about the public conveniences provided to the passengers travelling in the Railway trains running in the Banda division. The trains between Jhansi-Kanpur, Kanpur-Banda, Lucknow-Banda do not have light and water in the compartments. The murders and robberies take place as a result there of in these trains. At some of the stations where there is provision of watermen, they do not come to their duty in time. They often do the domestic work at the houses of Station Masters and the Assistant Station Masters.

A platform was erected at the district headquarter of Banda. The station is far away from that platform and the bare-footed children and women have to walk in the scorching heat. The shed should be provided on the plat form.

A demand has been made to introduce an Express train between Allahabad and Jhansi, because High Court is in Allahabad and the office of commissioner is situated at Jhansi. It takes eight hours from Banda to Jhansi, whereas the distance is only 100 to 150 miles. The honourable Minister should give serious thought to this demand.

What is the need to have a Railway Board, when the Railways are running in the loss? After all the whole staff of the Railway Ministry is under the Minister. The savings at result of abolishing the Railway Board may make up Railway losses to certain extent.

In seventy percent cases of thefts and pilferage, the R. P. F. personnel are found to be involved in collusion with the culprits. The R. P. F. should be done away with.

Brindaban is a great place of piligrimage. Hathras and Brindaban should be connected by a Rail-link to remove the difficulties of the pilgrims.

In 1947, there was a scheme to provide a Railway line between Kalinjar to Rajpur via Kartal and Atarra. I would urge the honourable Minister to go through the old records and try to have this Railway line in this backward region of Bundelkhand.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : I have no objection to the tasks being levied because new works could not be taken up unless more money is collected. But I am sorry to say that there is wide spread mismanagement in the Railways.

It was said that narrow gauge lines would be converted in to broad guage and new railway linkes would be provided. That has not been done. Even the Railway lines laid by the ex-rulers are lying closed. There is alredy shortage of roads in Rajasthan. The collieries are far away from Rajasthan. The people of Rajasthan are not getting their supplies of essential commodities as the railway lines are being closed. The railway trains in Rajasthan should be operated once again and more coal should be made available.

The people of Rajasthan do not get any opportunity of employment in the Railways as the office of Railway Service Commission is situated at a distant place in Allahabad, U.P. I request that a headquarter may be provided at some place in Rajathan.

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Mohd. Shafi Qureshi): There would be one Commissioner in each zone.

Shri Nathu Ram Mirdha : I am happy to know that the government has agree to this.

The Metre guage Railway line in Rajasthan is divided between Western Railways and Northern Railways, but there is no co-ordination between these two Railways and as a result, the coaches are lying unutilised. There should be a single Zone for metre guage line.

The Government is going to enhance the pay and allowances of the Railway employees on the bassis of the recommendations of the Third Pay Commission. The Government should also look to the grievances of the pensioners.

Shri R. P. Yadav (Madhopura) : Mr. Chairman, I would like to congratulate the Honourable Railway Minister for presenting such a good Railway budget in spite of financial crisis and indiscipline of employees.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब आधा घण्टे की चर्चा के विषय को लिया जायेगा ।

*समाचार-पत्रों के स्वामित्व का विस्तार

**DIFFUSION OF OWNERSHIP OF NEWSPAPERS

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : आज से 20 वर्ष पहले प्रेस आयोग ने समाचारपत्रों के बारे में अपनी सिफारिशें पेश की थीं। उस प्रेस आयोग के डाँ० सी० पी० रामास्वामी अय्यर, डाँ० जाकिर हुसैन, श्री चलपति राव तथा अन्य विद्वान सदस्य थे। इस प्रेस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि समाचारपत्र के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और उसका नियन्त्रण पत्रकारों और कर्मचारियों के हाथ में होना चाहिए और इस दृष्टि से ही शेयरों को वितरित किया जाना चाहिए। बड़े और छोटे समाचारपत्रों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए पृष्ठानुसार मूल्य योजना को लागू किया जाना चाहिए और केवल 40 प्रतिशत स्थान ही विज्ञापनों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। पी० टी० आई० और यू० एन० आई० को निगमों में परिवर्तित करने की भी उनकी सिफारिश थी। उनकी सिफारिश यह भी थी कि एकाधिकार गृहों के नियन्त्रण में समाचारपत्रों के जाने पर निगाह रखी जानी चाहिए।

1971 के चुनावों के बाद प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा और उन्हें बड़े उद्योगगृहों से असम्बद्ध किया जायेगा। श्री गोखले ने भी यह कहा था कि भारतीय समाचारपत्रों को कुछ व्यक्तियों का माध्यम न बनकर राष्ट्रीय जनमत को प्रतिबिम्बित करना चाहिए। श्री रघुनाथ रेड्डी ने, जो उस समय कम्पनी कार्य मन्त्री थे, यह कहा था कि वाणिज्यिक बैंकों के बाद अब समाचारपत्रों को एकाधिकार गृहों के नियन्त्रण से अलग करने की बारी है।

मेरे पास पुराने आँकड़े हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय नवीनतम आँकड़े उपलब्ध करेंगे। 1952 में एकाधिकार गृहों का 50 प्रतिशत समाचार पत्र-पत्रिकाओं पर नियन्त्रण था। वर्ष 1970 में उनका 70 % पत्र-पत्रिकाओं पर नियन्त्रण हो गया था और बड़े शहरों में 80 % पत्र-पत्रिकाओं पर उनका नियन्त्रण है।

जब श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने यह कहा कि समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण किया जायगा, तो 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'टाइम्स आफ इण्डिया' और 'स्टेट्समैन' जैसे सभी बड़े समाचारपत्रों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि मत व्यक्त करने की आजादी खतरे में है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-Hour Discussion.

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

बड़े व्यापार गृहों से समाचार पत्रों को असम्बद्ध करने और समाचारपत्रों ने स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने से हमारा तात्पर्य यह है कि समाचार पत्रों को अभिव्यक्ति की स्वाधीनता तो हो, परन्तु इन समाचारपत्रों का कुछ मुठ्ठी भर लोग जनमत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता के नाम पर अपने स्वार्थों के लिए दुरुपयोग न कर सकें। पत्रकारों, कर्मचारियों और जनता को भी अपना मत व्यक्त करने की स्वाधीनता होनी चाहिए।

इस प्रकार के फार्मूले की सरकार ने घोषणा की थी। हम पिछले अनेक सालों से यह सरकार की ओर से सुनते आ रहे हैं कि इस प्रकार का विधेयक पेश किया जायेगा। अब सरकार को शीघ्र इस प्रकार का विधेयक पेश करना चाहिए।

किसी भी स्थिति या घटना की समीक्षा करने की पत्रकार या सम्पादक की स्वाधीनता का एकाधिकार गृह हनन कर रहे हैं। कांग्रेस विभाजन, राष्ट्रपति चुनाव, बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स सम्बन्धी विधेयक और अभी हाल के चुनावों सम्बन्धी समाचारों से स्पष्ट पता चलता है कि ये समाचारपत्र बड़े उद्योगगृहों और प्रतिक्रियावाद के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने पी० टी० आई० और यू० एन० आई० को निगम बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है, जिससे इनके कार्यकरण पर संसद में चर्चा की जा सके। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि अगर समाचार पत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में उन्होंने व्यापक विधेयक पेश करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है, तो कम से कम समाचारपत्रों को बड़े उद्योगगृहों से असम्बद्ध किया जाय। इस बारे में इसी सत्र में ही विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I would like to know as to who would decide whether there is monopoly in the Press or not. Whether Press Council has made any study in this regard and submitted any report. I would also like to know whether the government is going to appoint any new Press Commission. I fully agree that there should not be any monopoly over not only the Newspapers, but also on Radio as well, because Press and Radio are the two important media of Communication.

The papers which support the Government policy, get a good number of advertisements whereas the papers which criticize the Govts. do not get them.

I would like to know whether the Government is agreeable to the idea that the papers should be run by the employees and journalists and the press should not be taken over by the Government.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : यह कहा जाता है कि 'स्टेट्समैन' में अत्यधिक कुप्रबन्ध है, इसलिए इसका विकेन्द्रीकरण किया जाय। इस बारे में सरकार के क्या विचार है? पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को समाचारपत्रों के संचालन के साथ सम्बद्ध करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कलकत्ता और नई दिल्ली दोनों ही स्थानों पर 'स्टेट्समैन' लि० के कर्मचारी प्रबन्धकों के अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। कुछ गुन्डों को कर्मचारियों की हत्या करने के लिए तैनात किया गया। उनके विरुद्ध पुलिस ने भी मामले दर्ज किये हैं, परन्तु उन मामलों पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही। सरकार का इस बारे में क्या उत्तर है? अखबारी रद्दी काण्ड और पत्रकारों को परेशान करने जैसे कदाचारों और अनियमितताओं के बारे में सरकार जाँच करेगी?

प्रबन्धक पत्रकारों की पदोन्नति, स्थानान्तरण, वेतनवृद्धियों, भर्ती और तैनाती आदि के बारे में ही गड़बड़ी नहीं कर रहे, बल्कि वे सम्पादकीय कर्मचारियों के कार्यकरण में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्टेट्समैन पत्रकार एसोसियेशन ने अप्रैल, 1973 में एक ज्ञापन दिया था। क्या सरकार हस्तक्षेप करके प्रबन्धकों को कर्मचारियों की माँगे मानने के लिए बाध्य करेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : 17 अगस्त, 1973 को समाचारपत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा पेश किये गये संकल्प पर बोलते हुए सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने कहा था कि बड़े व्यापारगृहों से समाचारपत्रों को असम्बद्ध करने के लिए सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करेगी। 20 सितम्बर, 1973 को हैदराबाद में श्री गुजराल ने बड़े उद्योगगृहों के नियन्त्रण से समाचारपत्रों को बाहर करने के सरकार के निश्चय को दुहराया था।

3 मार्च, 1974 को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव ने यह कहा था कि संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों को निर्बाध्य ढंग से निभाने देने के लिए समाचारपत्रों को बड़े व्यापार गृहों के चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी विधेयक को पेश करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या विधेयक इसी सत्र में पेश किया जायगा ?

Shri M. C. Daga (Pali): I would like to know as to how long would it take to make amendment in the Press Council Act so that the journalists could be saved from the clutches of the capitalists. Secondly, I would also like to know whether the Government would set up an institution In the pattern of Public Service Commission for the selection of editors and jornalists so that they could have the freedom of expression.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत करने के समय से मैं समाचारपत्रों को बड़े उद्योग गृहों के चंगुल से छुड़ाने की बात का समर्थन करता रहा हूं। भारत में लोकतन्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि समाचारपत्रों की स्वाधीनता है। स्वाधीनता संग्राम के हमारे नेताओं ने इस बात का समर्थन किया था कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता की गारंटी के बिना स्वतन्त्रता का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमारे संविधान-निर्माताओं ने अभिव्यक्ति के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया।

समाचारपत्रों की स्वाधीनता का प्रश्न सुविधा या सरकारी नीति का ही प्रश्न नहीं है। यह तो हमारा दायित्व है और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। अभिव्यक्ति के अधिकार को लोकतन्त्र और चुनावों का भी कोई महत्व नहीं।

विश्व के अनेक भागों में अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा है। इस समय पैसे की ताकत और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के बीच समझौता किया जा रहा है। प्रिन्टिंग मशीनरी और कागज के मशीन द्वारा निर्माण होने पर पैसे वाले लोगों ने जनमत को प्रभावित करने के लिए उस पर एकाधिकार करने का प्रयास किया।

स्वाधीनता से पूर्व समाचारपत्र सामान्यतः दो प्रकार के थे—राष्ट्रीय समाचारपत्र और एंग्लो इण्डियन समाचारपत्र। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समाचारपत्र उन लोगों के नियन्त्रण में पहुँच गये, जो अपनी धन की ताकत से अपने स्वार्थ के लिए जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। इस बारे में प्रेस आयोग, यह सदन और श्रमजीवी पत्रकार आदि इस बारे में पिछले बीस वर्षों से चिन्ता महसूस कर रहे थे।

मेरे माननीय मित्र ने मेरे विचारों को उद्धृत किया है। मैं इसे सराहना की बात समझता हूँ। मेरा यह मौलिक विचार है कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता और समाचारपत्रों को अभिव्यक्ति की स्वाधीनता होनी चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि धन के बल पर समाचारपत्रों पर स्वामित्व को समाप्त किया जाए।

[श्री आई० के० गुजराल]

यदि समाचार-पत्रों में इस लोगों का धन कमाने का ही हित होता तो मैं अधिक विचार नहीं करत परन्तु उनकी रुचि एक कदम आगे जानें में है। वे 'प्रेस' का अपने निहित-स्वार्थ साधन के लिये प्रयोग क रहे हैं। इस सभा में श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता और सुयोग्य प्रधान मंत्री ने अनेक बार कह कि जब तक समाचार-पत्रों पर पुंजीपतियों का नियंत्रण रहेगा तब तक भारतीय स्वतन्त्रता खतरे में रहेगी अतः मैं महसूस करता हूं कि समाचार-पत्रों का सम्बन्ध बड़े पुंजीपतियों से तोड़ा जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय इस मामले के बारे में समय-समय पर अपने निर्णयों में उल्लेख करता रहा है मेरे एक मित्र ने मूल्य-पृष्ठ अनुसूची के सम्बन्ध में प्रेस आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया। जैस कि आपको ज्ञात है कि इस सभा तथा इस संसद ने मूल्य-पृष्ठ अनुसूची के बारे में विधेयक पारित किया था। उसे लागू किया गया था परन्तु न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। अतः इससे हम पर थोड़ा प्रतिबन्ध लग गया।

यदि यह विधेयक मेरे कार्यकाल में पारित हो जायेगा तो मुझे बहुत गर्व होगा। इस सम्बन्ध में मेरा जो उत्तरदायित्व है उसका आशय यह है कि मैं विधेयक का ऐसा प्रारुप तैयार करूं जो व्यापक हो।

आप लोग मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि यह विधेयक तीन सुपरिभाषित परिमापों के अन्दर तैयार किया जाना चाहिए। पहला परिमाप यह है कि समाचार-पत्रों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। मैं ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहता जिससे केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाचार-पत्रों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो। दूसरे, मैं चाहता हूं कि जब बड़े उद्योग गृहों से समाचार-पत्रों का सम्बन्ध विच्छेद हो तब धन-सम्बन्धी मामलों में बेनामी सौदे न हो। तीसरा परिमाप यह है कि जब समाचार-पत्रों की यह पद्धति अमल में आ जाये तब उसका यह तात्पर्य नहीं होगा कि समाचार-पत्र बंद हो जायेंगे। हम उन्हें बंद करना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते है कि विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारंटी दी जाये।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है?

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य धैर्य रखें। विधि मंत्रालय 700 पृष्ठ लम्बे निर्णय, जो 24 वें तथा 25 वें संशोधनों के बारे में है, का अध्ययन कर रहा है।

समाचार एजेंसियों के बारे में एक प्रश्न किया गया है। इस बारे में कहना चाहता हूं कि प्रेस आयोग ने सिफारिश की है कि एक निगम की स्थापना की जानी चाहिए। हम इस सिफारिश की व्याख्या अपने ढ़ंग से करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि निगम का अर्थ क्या है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे चलाया जाये, इसका संचालन कौन करे और प्रबन्धक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हों। इन मामलों पर हमें विचार करना है और हम इस स्थिति में हो सकेंगे कि स्थिति को अधिक स्पष्ट ढ़ंग से सभा के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रेस परिषद् अधिनियम के सम्बन्ध में इस समय एक समिति बैठी हुई है जो प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधनों के बारे में सरकार को सलाह देगी। वह इस सत्र के अन्त तक या अगले सत्र के प्रारंभ में सलाह दे देगी।

श्री कछवाय ने कहा कि क्या प्रेस परिषद् ने अपने एकाधिकार का प्रयोग किया। दुर्भाग्यवश उसने ऐसा नहीं किया। प्रेस परिषद् का यह उत्तरदायित्व है कि वह एकाधिकार की वृद्धि का अध्ययन करें और सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करें। दुर्भाग्यवश प्रेस परिषद् ने यही उचित समझा कि वह स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार से कहे कि वह अपने विचार व्यक्त करें। इस पर मैंने उनको लिखा कि उन्हें सरकार के विचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अतः प्रेस परिषद् को एकाधिकार के बारे में स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

श्री दशरथ देव ने 'दि स्टेट्समैन' के बारे में कुछ प्रश्न उठाये। यह सही है कि 'दि स्टेट्समैन' में कार्य कर रहे पत्रकारों ने मेरे समक्ष कुछ मामले पेश किये हैं। यदि पत्रकार मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करे तो उनकी कुछ समस्याओं को हल किया जा सकता है।

हम इस देश में विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में काफी विश्वास रखते हैं और अनुभव करते हैं कि ऐसा संविधान के अन्तर्गत होना चाहिये।

तत्पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 7 मार्च, 1974/16 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, March 1974/Phalguna 16, 1895 (Saka).

GIPN—S3—4 LSS./74—24-5-74—490.